Kalwa v. Vasakha Singh and another
(S. S. Sandhawalia, C.J.)

एन, के, एस.

पूरी बेंच

से पहले , सीजे, पीसी जैन, एस, सी. मितल, डीएस तेवतिया,
एमआर शर्मा, आरएन मित्तल और एएस बैंस, जेजे।

कलवा, अपीलकर्ता।

बनाम

वशाखा सिंह और अन्य,-प्रतिवादी।

नियमित द्वितीय अपील संख्या, 1969 का 67.

1 फ़रवरी 1982.

पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट *(* 1913 का 1) - धारा 15(1) और (2) - पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम *(* 1953 का एक्स) - धारा 17 और 17-ए - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद *1* ए - महिला विरासत में मिली जमीन बेच रही है - बिक्री धारा *15(2)* के अंतर्गत आती है - ऐसी बिक्री - चाहे
किसी किरायेदार या सह-हिस्सेदार या दोनों द्वारा पूर्व-खाली - धारा 15(2) - चाहे एक

स्वतंत्र स्व-निहित प्रावधान या केवल धारा 15 (1) का प्रावधान - धारा में पूर्व-खाली करने वालों के किसी भी वर्ग का उल्लेख नहीं है 15(2) अस्तित्व में - प्री-एम्प्शन का अधिकार - चाहे उप-धारा (1) में उल्लिखित प्री-एम्प्टर्स के वर्ग द्वारा या केवल एक किरायेदार द्वारा उपयोग किया जा सकता है - क़ानून की व्याख्या - अनुभाग में गैर-अस्थिर खंड 15(2)-पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम की धारा 17 और 17-ए की व्याख्या और दायरा -क्या किरायेदार को पूर्व-खाली का अधिकार प्रदान करता है और [1] उसे पूर्व-खाली करने वालों की श्रेणी में शामिल करता है- धारा 15 (2) में एक किरायेदार को छूट का अधिकार प्रदान न करना - क्या यह प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है - दो दशकों से चली आ रही मिसाल - घूरने के निर्णय का सिद्धांत - क्या लागू किया जाना चाहिए।

माना गया, (प्रति बहुमत एसएस संधवालिया, सीजे, पीसी जैन, एससी मितल, आरएन मित्तल और आईए। एस। बैंस, जेजे। डीएस तेवतिया और एमआर शर्मा, जेजे। विपरीत।) कि अनुभाग की उप-धारा (2) की भाषा पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 का 15 बिल्कुल स्पष्ट है। उपधारा एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होती है और इस प्रकार पूर्ववर्ती, उपधारा (1) के सामान्य प्रावधानों के अपवाद के रूप में स्पष्ट है। क़ानूनों के निर्माण के प्रयोजनों के लिए एक गैर-अस्थिर खंड का प्रभाव इतना अच्छी तरह से ज्ञात है कि किसी भी विस्तार की आवश्यकता नहीं है। विधायिका द्वारा इस उप-धारा का स्पष्ट रूप से इरादा महिला मालिकों द्वारा की गई बिक्री के लिए प्रदान करना था और इसके अलावा केवल महिला मालिकों के उस वर्ग को प्रदान करना था जो अपने पिता या भाइयों या अपने पतियों के माध्यम से संपत्ति में सफल हुए थे। विशेष रूप से विधायिका ने विक्रेताओं के इस वर्ग के लिए एक विशेष प्रावधान किया और उन्हें सामान्य श्रेणी से बाहर कर दिया। उप-धारा , इस अधिकार को केवल निकटतम संबंधों तक ही सीमित रखा। निर्माण के पवित्र नियम पर कि कानून का एक विशेष नियम एक सामान्य नियम पर हावी हो जाएगा, यह समान रूप से स्पष्ट होगा कि इस संदर्भ में धारा 15(1) के लिए संभवतः कोई जगह नहीं हो सकती है। विधायिका ने उप-धारा (2) में अपना इरादा स्पष्ट और स्पष्ट कर दिया है, यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह उसकी नीति की बुद्धिमत्ता पर निर्णय दे। क्या इस प्रावधान की तर्कसंगतता के बारे में कोई संदेह है? सूचक स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 15(2) की संपूर्ण विचारशील भावना अंतिम पुरुष धारक के वंशजों में अलग की गई संपत्ति को जब्त करना और प्री-एम्प्टिव को सीमित करना है। निकटतम संबंधों का अधिकार. यह महत्वपूर्ण है कि उप-धारा (2) के तहत अंतिम पुरुष धारक के दूर के संबंधों को भी उप-धारा (1) के तहत अज्ञेय दावा चींटियों की लंबी कतार से अलग रखा गया है , और महिला विक्रेता के संबंधों को सफल बनाया गया है। किसी पुरुष मालिक के माध्यम से उसे प्री-एम्प्शन के प्रयोजनों के लिए नया स्टॉक बनने से रोकने के स्पष्ट उद्देश्य से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। उपधारा (2) के अंतर्गत विधानमंडल ने

> खाली करने वालों की संख्या के वर्ग को जानबूझकर सीमित और कम किया गया । ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण उद्देश्य उन महिला विक्रेताओं के मामले में पूर्व-खाली या पूर्व-खाली की संख्या में कटौती करना है जो पुरुष-मालिकों के निर्दिष्ट वर्ग के माध्यम से संपत्ति में सफल हुए हैं। विधायिका के इस स्पष्ट इरादे के विपरीत, उप-धारा (1) में सभी संबंधों और साथ ही सह-हिस्सेदारों या किरायेदारों को थोपकर पूर्व-खाली करने वालों के वर्ग की सूची का विस्तार करना बहुत ही निराशाजनक है। उपधारा (2) को अधिनियमित करने में विधायिका का उद्देश्य और इरादा। इस प्रकार, यह माना जाता है कि धारा 15 की उपधारा (2) एक स्वतंत्र स्व-निहित प्रावधान है और इसे पूर्ववर्ती उपधारा (1) के मात्र परंतुक के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, यह माना जाता है कि किरायेदार या सह-हिस्सेदार को अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आने वाले मामलों में पूर्व-खाली का कोई अधिकार नहीं है।
>
> (पैरा 23, 42 और 46)।

माना गया, [1] (बहुमत के अनुसार एसएस संधावालिया, सीजे, पीसी जैन, एससी मितल, आरएन मित्तल और एएस बैंस, जेजे.. डीएस तेवतिया और एमआर शर्मा, जे जे,

इसके विपरीत) कि धारा 15 की उपधारा (2) प्रथम दृष्ट्या यह पूर्ववर्ती उपधारा (1) का भाग या खंड नहीं है, बल्कि इसे स्पष्ट रूप से सेरियाटम को अपने ओप में एक स्वतंत्र के रूप में लेबल किया गया है। इसलिए, यह एक स्व-निहित उप-धारा है और इसे प्रावधान के रूप में या उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के रूप में पढ़ना निर्माण के किसी भी सिद्धांत द्वारा उचित नहीं है। इसे स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र उप-धारा के रूप में लेबल किया गया है और इस अतिरिक्त तथ्य के कारण कि यह 'उप-धारा (1) में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद' शब्दों के साथ खुलता है, यह वास्तव में एक अलग खंड के अनुरूप हो जाएगा। एक गैर-अस्थिर खंड का प्रभाव और वास्तविक कानूनी आयात सिद्धांत और मिसाल द्वारा इतनी अच्छी तरह से तय किया गया है कि उससे विचलित होना आसान नहीं है। 'उपधारा 1(1) में निहित किसी भी बात के बावजूद' शब्दों का स्पष्ट प्रभाव यह है कि उक्त उपधारा के प्रावधानों को पूरी तरह से उपधारा (2) में दिए गए प्रावधानों से मेल खाना चाहिए या दूसरे शब्दों में कहें तो यह बाद की उपधारा (2) के निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपधारा (1) के पहले प्रावधानों को वस्तुतः निरस्त करने का एक सुविधाजनक तरीका है। इस प्रकार, एक श्रेणीबद्ध गैर-अप्रत्याशित खंड को मात्र परंतुक में परिवर्तित करने का कोई वारंट नहीं है। (पैरा 27, 28 और 29)।

माना गया, (बहुमत के अनुसार एसएस संधवालिया, सीजे, पीसी जैन, एससी मितल, आरएन मितल, आरएन मित्तल और एएस बैंस जेजे, डीएस तेवतिया, और एमआर शर्मा, जेजे, इसके विपरीत) कि यह पहली बार था 1960 का अधिनियम 10 कि विधायिका ने प्री-एम्प्टर्स के वर्ग को गंभीर रूप से कम कर दिया और ऐतिहासिक और विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण किरायेदारों को पेश करने के लिए मजबूर किया गया; उसमें, हालांकि धारा 15(1) में प्री-एम्प्टर्स के निचले पायदान पर। यह स्पष्ट है कि कानून के तहत बिक्री से पहले बिक्री का कोई मौलिक या अंतर्निहित अधिकार नहीं है और 1960 से पहले सामान्य किरायेदार इस वर्ग में नहीं आते थे। इसलिए, कोई भी व्यक्ति पूर्व-मुक्ति के किसी भी अंतर्निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है जब तक कि यह मान्यता प्राप्त प्रथा या स्पष्ट रूप से क़ानून द्वारा प्रदान न किया गया हो।

श्रेणियों को छूट का अधिकार देता है। वह भी इसका समान रूप से हकदार होगा।
(पैरा 24)'.

माना गया (प्रति बहुमत एसएस संधवालिया, सीजे, पीसी जैन, एससी मितल, आरएन मित्तल और ए.एस., बैंस, जेजे, डीएस तेवतिया और एमआर शर्मा, जेजे, विरोधाभासी) कि पंजाब सुरक्षा की धारा 17 का प्रावधान भूमि काश्तकारी अधिनियम, 1953 | इस अधिनियम में मुख्य रूप से किरायेदार को उसकी किरायेदारी से बेदखल करने के पूर्व-खाली अधिकार के कुटिल उपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए शामिल किया गया था और इस प्रकार पिछले दरवाजे से किरायेदारी की सुरक्षा और खरीद का अधिकार छीन लिया गया था। कृषि विधान द्वारा उसे प्रदान करने की मांग की गई थी। धारा 17 निश्चित रूप से सामान्य किरायेदार को पूर्व-मालिकों के एक आवश्यक वर्ग के रूप में शामिल करने के किसी बड़े उद्देश्य के लिए अधिनियमित नहीं की गई थी। वास्तव में, यदि यह उद्देश्य था तो प्रावधान सीधे पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट में किया गया होता, न कि मुख्य रूप से अग्रेरन विधान तक सीमित एक पूरी तरह से अलग क़ानून में। फिर, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट की धारा 17-ए भी किरायेदार को प्री-एम्प्शन का अधिकार प्रदान नहीं करती है और वास्तव में एक सामान्य किरायेदार को प्री-एम्प्शनर्स की श्रेणी में रखने से बहुत दूर है। धारा 17-ए ने जो कुछ किया वह किरायेदार के पक्ष में बिक्री होने पर उसके खिलाफ दूसरों में निहित प्री-एम्प्शन के समुद्री अधिकार के खिलाफ बचाव खड़ा करना था। वास्तव में माना जाए तो, धारा 17-ए वास्तव में पंजाब प्री-एम्पशन एक्ट द्वारा प्रदत्त प्री-एम्प्टिव अधिकार का अपमान है, न कि उसका कोई विस्तार। इस प्रकार, पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम की धारा 17 और 17-ए किरायेदारों को पंजाब प्री की धारा 15 (2) के तहत आने वाली बिक्री के खिलाफ प्री-एम्प्टर की श्रेणी में प्रवेश करने के अंतर्निहित अधिकार का दावा

करने का अधिकार नहीं दे सकती है। -अधिनियम की व्याख्या की एक प्रक्रिया द्वारा जब विधायिका ने उन्हें उसमें रखने का विकल्प नहीं चुना है।

(पैरा 39, 40 और 41)।

माना गया (बहुमत के आधार पर एसएस सैंडवालम। सीजे. पीसी जैन, एससी मित्तल, आरएन मित्तल और ए, एस. बैंस, जे.जे.. री, एस. तेवतिया और एमआर शर्मा, जे... इसके विपरीत) कि यह विचार इस न्यायालय का है। संक्षेप में यह है कि यदि कोई बिक्री अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत आती है, (धारा 15(1) के अनुप्रयोग को बाहर रखा गया है। कर्ता राम के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा कानून की इस आधिकारिक घोषणा के बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है) असहमति का। इस मत पर दो दशकों से इस न्यायालय में वास्तव में पूर्ण सर्वसम्मति रही है। यदि संख्याओं की कोई प्रासंगिकता है, तो इस न्यायालय के लगभग बीस न्यायाधीशों ने अलग-अलग समय पर बिना शर्त राय दी है कि उप-धारा (2) एक स्वतंत्र है। पूर्ववर्ती उप-धारा (1) के अपवाद के रूप में प्रावधान और उसे ओवरराइड करता है। इस संदर्भ में यह माना जाना चाहिए कि

न्यायिक औचित्य के कारणों से भी मिसाल की लंबी कतार को अब नहीं हटाया जाना चाहिए, जो घूरने के निर्णय के सिद्धांत में अच्छी तरह से निहित है , जब यह नहीं कहा जा सकता है कि अब तक लिया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत, अन्यायपूर्ण या शरारती है। (पैरा 8 और 9)।

माना गया (प्रति डीएस तेवतिया, जे. कॉन्ट्रा. और एमआर शर्मा, जे. कॉन्करिंग) कि धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत सूचीबद्ध प्री-एम्प्टर्स की ओर से किसी भी कारण से विफलता की स्थिति में बिक्री को पूर्व-मुक्त करने के लिए अधिनियम, प्राथमिकता के क्रम में अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के तहत सूचीबद्ध प्री-एम्प्टर विक्रेताओं द्वारा बिक्री के लिए पूर्व-मुक्ति का दावा करने के हकदार होंगे और अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में परिकल्पित संपत्ति की। (पैरा 100).

माना गया, (प्रति एम.आर. शर्मा, जे., विपरीत.) कि:

(1) अधिनियम की धारा 15 को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए;

(2) उचित व्याख्या पर, धारा 15 की उप-धारा (2) किसी सह-हिस्सेदार या किरायेदार को किसी महिला द्वारा विरासत में मिली संपत्ति के संबंध में पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोकती है;

(3) उपधारा (2) उपधारा (1) के परंतुक की प्रकृति में है और इसकी व्याख्या उपधारा (1) के प्रभाव को नष्ट करने के लिए नहीं की जा सकती;

(4) यदि सह-हिस्सेदारों और किरायेदारों को उप-धारा (2) पर विपरीत व्याख्या करके प्री-एम्प्शन के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वह व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 14 की भावना का उल्लंघन करेगी;

(5) इस मामले की परिस्थितियों में घूरने के निर्णय के सिद्धांत के पीछे आश्रय लेना पूरी तरह से अनुचित होगा। (पैरा 120).

मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए *1.7* अप्रैल, 1980 को एकल न्यायाधीश हॉबल श्री न्यायमूर्ति एमआर शर्मा द्वारा सात न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ को मामला भेजा गया। • पूर्ण पीठ में माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एसएस संधवालिया,

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन, होबल श्री न्यायमूर्ति एससी मितल, माननीय श्री न्यायमूर्ति डीएस तेवतिया, माननीय श्री शामिल हैं। न्यायमूर्ति एमआर शर्मा, माननीय श्री न्यायमूर्ति आरएन मित्तल और माननीय श्री न्यायमूर्ति एएस बैंस। पूर्ण पीठ ने कानून के बिंदु पर निर्णय लेने के बाद 1 फरवरी, 1982 को मामले को कानूनी प्रश्नों के उत्तरों के अनुसार निपटान के लिए एकल न्यायाधीश को वापस कर दिया।

जोगिंदर सिंह मंडेर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला शहर की अदालत की 18 अक्टूबर, 1968 की डिक्री से नियमित दूसरी अपील, जिसमें श्री पी.एल. सांघी , वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, अंबाला की अदालत की डिक्री को पलट दिया गया। *2* मार्च, 1968 और वादी के मुकदमे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और पार्टियों को सिविल अपील संख्या, 74/13 में अपनी पूरी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया और वादी द्वारा दायर सिविल अपील संख्या, 73/13 में मुकदमा खारिज कर दिया।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता सीबी गोयल

प्रतिवादी की ओर से एसके गोयल, अधिवक्ता ।

प्रलय

एसएस संधावालिया, सीजे

1. क्या पंजाब प्री एम्प्शन एक्ट, 1913 की धारा 15 की उप-धारा (2) एक स्वतंत्र स्व-निहित प्रावधान है या गैर-अस्थिर खंड के बावजूद पूर्ववर्ती उप-धारा (1) का एक प्रावधान मात्र है, जिसके साथ यह शुरू होता है- सात न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष यह मामला रीढ़ की हड्डी का मुद्दा बन गया है।

2. इसका कारण कर्ता राम और अन्य बनाम ओम प्रकाश, *(1)* मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ और पृथ्वी पाल सिंह और अन्य बनाम मामले में एक सह-समान पीठ द्वारा इस न्यायालय के भीतर स्थापित कानून की शुद्धता के बारे में परोक्ष संदेह है । मिल्खा सिंह और अन्य (2), ऐसा लगता है कि यह संदर्भ आवश्यक हो गया है। इस वजह से और वास्तव में इसमें शामिल मिसाल के सिद्धांत के लिए एक अंतर्निहित चुनौती को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में एक विस्तृत और गहन जांच की आवश्यकता है।

3. ऐसे मुद्दों के लिए जो बिल्कुल कानूनी हैं, तथ्य हमेशा महत्वहीन हो जाएंगे। फिर भी कानून को अमूर्त रूप में भी तथ्यात्मक मैट्रिक्स के टेरा फ़रमा के साथ अपना संबंध बनाए रखना चाहिए। इसलिए, कलवा बनाम वसाखा सिंह और अन्य, *1969* के आरएसए नंबर *67* में कानूनी मुद्दे से संबंधित तथ्यों का उल्लेख करना पर्याप्त है। जगदीश चंद अन्य सह-हिस्सेदारों के साथ विवाद में भूमि के मूल मालिक थे। उनकी मृत्यु पर, 21 मई, 1965 को उनके दो बेटों - इंदर प्रताप सिंह और रवि, सरला के पक्ष में म्यूटेशन नंबर 72 स्वीकृत किया गया था।

(1) एआईआर/1971'पीसी&" हर। 423.
(2) एआईआर 1976 पीबी. एवं हर. 157.

देवी, विजय देवी, विजय लक्ष्मी, उनकी बेटियाँ; और विद्या वंती - उसकी विधवा, बराबर हिस्से में। उपरोक्त उत्तराधिकारियों ने पंजीकृत विलेख द्वारा जमीन विक्रेताओं को बेच दी। कलवा अपीलकर्ता ने बिक्री के समय विवादित भूमि के किरायेदार होने और मूल मालिक जगदीश चंद के साथ सह-हिस्सेदार होने और परिणामस्वरूप विक्रेताओं के साथ सह-हिस्सेदार होने के अपने दावे के आधार पर

प्री-एम्प्शन के लिए एक मुकदमा लाया। यह मुकदमा उत्तरदाताओं की ओर से लड़ा गया था और इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे क्रमांक (1) और (6) थे:

(1) क्या वादी को अग्रिम छूट का अधिमान्य अधिकार प्राप्त है? ओपीपी.

(6) क्या महिलाओं द्वारा की गई बिक्री पूर्व-खाली योग्य है?
ओपीपी.

पंजाब प्री-एम्पशन की धारा 15 की उप-धारा (2) के रूप में उन महिलाओं द्वारा की गई बिक्री को प्री-एम्प्ट करने का हकदार नहीं है, जो अपने पिता या पति के माध्यम से विरासत में मिली थीं। - अधिनियम, 1913 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा) ही लागू था। हालाँकि, यह माना गया कि सादा टिफ़-अपीलकर्ता केवल एक पुरुष सह-हिस्सेदार, अर्थात् - इंदर पार्टाप के हिस्से को और उसके आनुपातिक मूल्य के भुगतान पर पूरी भूमि के 1/12 वें हिस्से को छोड़ सकता है।

4. अपील पर विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने महिलाओं (जिन्हें अपने पिता या पति से जमीन विरासत में मिली थी) द्वारा की गई बिक्री के संबंध में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष की स्पष्ट रूप से पुष्टि की, यह मानते हुए कि मामला पूरी तरह से धारा 15(2) के तहत आता है।) अधिनियम का और, इसलिए, किरायेदार या सह-हिस्सेदार के पास इसके तहत पूर्व-खाली का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि इंदर प्रताप द्वारा बेची गई भूमि के संबंध में भी, विक्रेता भी सह-हिस्सेदार बन गए और इसलिए, कलवा के पास इस भूमि के संबंध में पूर्व-खाली का कोई बेहतर अधिकार नहीं था। प्रतिवादियों की अपील को स्वीकार करते हुए और अपीलकर्ता कलवा की अपील को खारिज करते हुए, उसका मुकदमा तोला में खारिज कर दिया गया।

5. अपीलकर्ता-कलवा ने तब वर्तमान नियमित दूसरी अपील को प्राथमिकता दी (जो पहली बार मेरे विद्वान भाई शर्मा, जे. के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी, जिन्होंने कर्ता राम और अन्य में पिछली पूर्ण पीठों के अनुपात की शुद्धता के संबंध में कुछ संदेह उठाए थे । पृथ्वी पाल सिंह के मामले *(सुप्रा)* भी थे और इसलिए, मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया गया।

6. अनिवार्य रूप से यहां विवाद क़ानून के प्रासंगिक प्रावधानों और वास्तव में उसके शब्दों के इर्द-गिर्द घूमना चाहिए। इसलिए, अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों को शुरुआत में ही पढ़ना उचित है: -

> "एस। 15(1) कृषि भूमि और गांव की अचल संपत्ति के संबंध में पूर्व-खाली का अधिकार (निहित होगा-
>
> (a) जहां बिक्री एकमात्र मालिक द्वारा होती है-
>
> सबसे पहले, विक्रेता के बेटे या बेटी, या बेटे के बेटे या बेटी के बेटे में;
>
> दूसरे, विक्रेता के भाई या भाई के बेटे में;
>
> तीसरा, विक्रेता के पिता के भाई या पिता के भाई के पुत्र में;
>
> चौथा, किरायेदार में, जो बेची गई भूमि या संपत्ति या उसके एक हिस्से को विक्रेता की किरायेदारी के अधीन रखता है;

(b) जहां संयुक्त भूमि या संपत्ति में से एक शेयर के रूप में बिक्री सभी सह-हिस्सेदारों द्वारा संयुक्त रूप से नहीं की जाती है-

सबसे पहले, विक्रेता या विक्रेताओं के पुत्रों या पुत्रियों या पुत्रों के पुत्रों या पुत्रियों के पुत्रों में;

दूसरे, विक्रेता या विक्रेताओं के भाइयों या भाइयों के पुत्रों में;

तीसरा, पिता के भाइयों या पिता* भाइयों के विक्रेताओं या विक्रेताओं के पुत्रों में;

चौथा, अन्य सह-हिस्सेदारों में;

- पांचवें, जे किरायेदारों में जो विक्रेता या विक्रेताओं की किरायेदारी के तहत भूमि या संपत्ति या उसके हिस्से को रखते हैं;

(c) जहां बिक्री संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि या संपत्ति की हो और सभी सह-हिस्सेदारों द्वारा संयुक्त रूप से की गई हो-

सबसे पहले, विक्रेता के बेटों या बेटियों या बेटों के बेटों, या बेटियों के बेटों में^ i;

दूसरे, विक्रेता के भाइयों या भाइयों के पुत्रों में;

तीसरा, पिता के भाइयों या पिता के भाइयों के विक्रेताओं के पुत्रों में;,

चौथा, उन किरायेदारों में जो विक्रेताओं या उनमें से किसी को बेची गई जमीन या संपत्ति की किरायेदारी रखते हैं। उसका एक भाग.

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी -

(a) जहां बिक्री किसी महिला द्वारा की जाती है, (भूमि या संपत्ति जिस पर वह अपने पिता या भाई के माध्यम से सफल हुई है या ऐसी भूमि या संपत्ति के संबंध में बिक्री विरासत के बाद ऐसी महिला के बेटे या बेटी द्वारा की जाती है, पूर्व-खाली का अधिकार निहित होगा,-

(i) यदि बिक्री ऐसी महिला द्वारा, उसके भाई या भाई के बेटे में की जाती है;

(ii) यदि बिक्री बेटे ओआई द्वारा की गई है; ऐसी महिला की बेटी, मां के भाइयों या मां के भाई के बेटों में विक्रेता या विक्रेताओं के;

(b) जहां भूमि या संपत्ति की बिक्री किसी महिला द्वारा की जाती है, जिसे वह अपने पति के माध्यम से प्राप्त करती है, या अपने बेटे के माध्यम से, यदि बेटे को जमीन या बेची गई संपत्ति अपने पिता से विरासत में मिली है, तो पूर्व-मुक्ति का अधिकार निहित होगा ,—

सबसे पहले, महिला के ऐसे पति के बेटे या बेटी में;

दूसरी बात, ऐसी महिला के पति के भाई या पति के भाई के बेटे में।"

7. जो प्रश्न उभरते हैं और पार्टियों के विद्वान वकील के संबंधित रुख और तर्कों से सामने आते हैं, उन्हें अब स्पष्टता के लिए तैयार किया जा सकता है। ये हैं-

1. कर्ता राम मनसा राम और अन्य बनाम ओम प्रकाश हिरदा राम, *(1* सुप्रा*)* में पूर्ण पीठ का सर्वसम्मत दृष्टिकोण गलत है और इसलिए, इसे खारिज कर दिया जाना

चाहिए;

2. पृथी पाल सिंह और अन्य बनाम मिल्खा सिंह और अन्य, (2 सुप्रा) में पूर्ण पीठ का बहुमत का दृष्टिकोण गलत है और पुनर्विचार की मांग करता है;

3. क्या धारा की उपधारा (2) है. अधिनियम का 15 एक स्वतंत्र स्व-निहित प्रावधान है या पूर्ववर्ती उप-धारा (1) का एक परंतुक मात्र है, गैर-अप्रत्याशित खंड के बावजूद जिसके साथ यह शुरू होता है और;

4. यदि ऐसा है, तो क्या अकेले किरायेदार को, या किरायेदार और सह- - हिस्सेदार दोनों को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) में आने वाले मामलों में भुगतान का अधिकार दिया जा सकता है। दोनों के किसी भी संदर्भ की स्पष्ट अनुपस्थिति के बावजूद व्याख्या।

अब प्रश्न संख्या 1 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, यह स्पष्ट रूप से प्रकाश डालने योग्य है कि पंजाब अधिनियम संख्या 10, 1960 द्वारा लाए गए धारा 15 में संशोधन द्वारा सामान्य किरायेदारों को पूर्व-खाली करने वालों के एक वर्ग के रूप में पहली बार क़ानून में पेश किया गया था। प्री-एम्प्टर्स के इस वर्ग का क़ानून में ज़रा भी उल्लेख नहीं किया गया है। सबसे पहले यह तथ्य है कि कर्ता राम के मामले में पांच न्यायाधीशों की एक पीठ पहले ही इस प्रमुख विवाद पर सर्वसम्मति से फैसला सुना चुकी है कि उप-धारा (2) पूर्ववर्ती धारा 15(1) को ओवरराइड करती है और इसलिए, धारा 15(1) में संदर्भित प्री-एम्प्टर्स का वर्ग उप-धारा 15(2) के तहत आने वाले मामलों में प्री-एम्प्शन के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसके तहत इस तरह के अधिकार का दावा कर सके। पुनः कर्ता राम का मामला अलग-थलग नहीं था बल्कि इस न्यायालय के भीतर इस विशेष बिंदु पर अखंड मिसाल की सबसे लंबी श्रृंखला की परिणति और पुन: पुष्टि मात्र था। 1960 के अधिनियम 10 द्वारा संशोधन के तुरंत बाद 11 अगस्त, 1960 को की गई बिक्री के संबंध में यह मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष उठा, और बुधन चौधरी और अन्य बनाम पर भरोसा करते हुए शमशेर बहादुर, जे. द्वारा इसका उत्तर दिया गया। बिहार राज्य (3), देबी राम और अन्य बनाम श्रीमती में निम्नलिखित शब्दों में। चम्बेली और अन्य (4) -

> "* * *. इसी प्रकार, वर्तमान मामले में 'उपसंप्रदाय में निहित किसी भी बात के बावजूद' शब्दों का स्पष्ट प्रभाव है । (1) यह है कि खंड (बी) के उप खंड (चौथे) के तहत एक सह-हिस्सेदार को पूर्व-खाली का अधिकार देने वाली धारा 15 के उप-धारा, (1) के प्रावधानों को क्या रास्ता देना चाहिए

(3) एआईआर 1955 एससी 191. ' ' -.
(4) 1963 पीएलआर 500.

उपधारा (2) में प्रावधान किया गया है। उस संपत्ति के मामले में जिसमें महिलाएं अपने पिता, भाई या पति के माध्यम से सफल हुई हैं, प्री-एम्प्शन का अधिकार केवल बहुत करीबी रिश्तेदारों को दिया जाता है और निश्चित रूप से सह- - हिस्सेदारों को नहीं।

डीके महाजन का भी यही विचार था। जे., संता सिंह बनाम हजारा सिंह *(5)* में , अतिरिक्त कारण के साथ कि विशिष्ट परिस्थितियों में महिलाओं द्वारा बिक्री के संबंध में धारा 15(2) के विशेष प्रावधान धारा 15(1) के सामान्य प्रावधानों को बाहर कर देंगे। . बाद में उपरोक्त अधिकारियों का उल्लेख करने के बाद हरबंस सिंह, जे. (तब विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) ने सुरजीत सिंह बनाम नज़ीर सिंह (6) में एक समान दृष्टिकोण अपनाया और धारा 15 की उप-धारा (2) के औचित्य के बारे में राय दी। निम्नलिखित शब्दों में:-

> "उप-धारा (2) में किए गए प्रावधानों के पीछे के विचार को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। एक महिला या तो विरासत से या स्व-अर्जन या दूसरों से उपहार द्वारा संपत्ति प्राप्त कर सकती है। इनमें से प्रत्येक मामले में, वह संपत्ति प्राप्त कर सकती है। संपत्ति की एकमात्र मालिक बनें। विचार यह है कि यदि संपत्ति उसके पिता की ओर से विरासत में मिली है, तो उस पक्ष के वंशजों को ही पूर्व-खाली का अधिकार होना चाहिए, और यदि उसे संपत्ति अपने पति से विरासत में मिली है, यह पति के रिश्तेदार होने चाहिए जिन्हें पूर्व-त्याग का अधिकार होना चाहिए।

जय सिंह बनाम मुघिया और अन्य में न्यायिक पीठ ने , (6 ए) निम्नलिखित शब्दों में उपरोक्त दृष्टिकोण पर अपनी मंजूरी की मुहर लगाई : -

> . "♦ * ♦, लेकिन धारा 15 की उपधारा (2) एक गैर-अप्रत्याशित खंड से शुरू होती है, और, इसलिए, उपधारा (1) के प्रावधानों को उपधारा (2) के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। यदि कोई मामला दोनों उप-धाराओं के अंतर्गत आता है, तो यह उप- धारा (2) है जो उस पर लागू होगी, इस तथ्य के बावजूद कि इसे उप-धारा (1) के अंतर्गत भी शामिल किया जा सकता है?'

(5) 1965 पीएलआर 132.
(6) 1965 पीएलआर 1100.
(6-ए) 1967 पीएलआर 475।

बाद में, मोहिंदर सिंह और अन्य बनाम, बलबीर कौर और अन्य, (6 बी), टेक चंद, जे. ने इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होती है और है उपधारा (1) में निर्धारित नियमों का अपवाद। इसलिए, जहां उपधारा (2) लागू है वहां उपधारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। परिणामस्वरूप, स्वजा * सिंह और अन्य बनाम छोटे और अन्य (7) में मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह और पीसी जैन, जे. की एक खंडपीठ शामिल हुई। (मामले का फैसला 6 मई, 1969 को हुआ था, हालांकि इसकी रिपोर्ट बहुत बाद में दी गई थी), उपरोक्त पूर्ववर्ती मिसाल के अनुरूप एक समान दृष्टिकोण अपनाया गया।

8. यह इस न्यायालय के भीतर मिसाल की पूर्वोक्त लंबी और अटूट पंक्ति थी जिसे पूर्ण पीठ ने कर्ता राम के मामले (सुप्रा) में निम्नलिखित शब्दों में इस टिप्पणी के साथ पुष्टि की कि विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले एक भी प्राधिकारी का हवाला नहीं दिया जा सकता है: -■

> "इस विवाद में कोई दम नहीं है। इस न्यायालय द्वारा लगातार यह दृष्टिकोण

अपनाया गया है कि यदि कोई बिक्री प्री-एम्प्शन एक्ट की धारा 15 (2) (ए) के अंतर्गत आती है, तो धारा 15 (1) के आवेदन को बाहर रखा गया है। मेरी राय में, धारा 15 (2) (ए) में प्रयुक्त भाषा किसी अन्य व्याख्या में सक्षम नहीं है। इसमें कहा गया है कि धारा 15(1) में उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, जहां बिक्री एक महिला द्वारा की गई है और उस संपत्ति की, जिसे उसने अपने भाई के माध्यम से प्राप्त किया है, तो पूर्व-खाली का अधिकार निहित होगा उसका भाई या भाई का बेटा। दूसरे शब्दों में, ऐसी बिक्री के लिए प्री-एम्प्शन का अधिकार किसी और में निहित नहीं होगा, प्री-एम्प्शन अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में जो कहा गया है उसके बावजूद। क़ानून की भाषा स्पष्ट होने और कोई अन्य व्याख्या करने में सक्षम नहीं होने के कारण, यह सुझाव देना बेकार है कि जिन व्यक्तियों के पास धारा 15 की उप-धारा (2) (ए) के तहत पूर्व-मुक्ति का अधिकार है, अन्य प्री-एम्प्शन एक्ट की धारा 15 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को भी प्री-एम्प्शन का अधिकार होगा।

(6 बी) 1968 पीएलआर। 752.
(7) 1972 पीएलजे 732.

ऐसे मामले में प्री-एम्प्शन एक्ट की धारा 15 की उप-धारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों के पास प्री- एम्प्शन का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, प्री-एम्प्शन का कोई अधिकार अब अच्छी तरह से तय नहीं हुआ है ।

फिर से कानून की उपरोक्त प्रामाणिक व्याख्या के बाद असहमति का कोई संकेत नहीं मिला है, - जिसका श्रीमती में गुरदेव सिंह और गोपाल सिंह, जे जे की खंडपीठ ने पालन किया था। बिरजी बनाम पृथी और अन्य (8) और अमर नाथ बनाम श्रीमती , निर्मल कुमारी और अन्य में सीजी सूरी, जे. द्वारा, *(9),* अनुप सिंह और अन्य बनाम हाम चंद (10) में सीएस तिवाना, जे. और अंत में चंदर और अन्य बनाम चाओ खान और अन्य *(11)* में जेवी गुप्ता, जे. द्वारा , कर्ता राम के मामले में निर्णय देने से पहले और बाद में समान दृष्टिकोण अपनाने वाले कई असूचित निर्णयों के अलावा।

9. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि तर्क के अलावा घूरने का निर्णय का सिद्धांत तुरंत यहां आकर्षित होता है। 1960 के संशोधित अधिनियम 10 के बाद से, जिसके तहत किरायेदारों को भी पूर्व-खाली का अधिकार दिया गया था, इस बिंदु पर दो दशकों से इस न्यायालय में पूरी तरह से एकमत है। यदि संख्याओं की कुछ प्रासंगिकता है, तो इस न्यायालय के लगभग बीस न्यायाधीशों ने अलग-अलग समय पर स्पष्ट रूप से राय दी है कि उप-धारा (2) पूर्ववर्ती उप- धारा के अपवाद के माध्यम से एक स्वतंत्र प्रावधान है और वास्तव में इसे ओवरराइड करता है। इस संदर्भ में जो बात विशेष रूप से उजागर करने योग्य है वह यह तथ्य है कि अब पंजाब राज्य में प्री-एम्प्शन के अधिकार की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। पंजाब प्री-एम्पशन एक्ट को 1973 के अधिनियम संख्या 11 द्वारा पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है और कानून की किताब से मिटा दिया गया है। हरियाणा में अभी भी प्री-एम्प्शन कानून लागू है, लेकिन वहां भी कभी-कभी इसे कानून में बनाए रखने की सलाह के बारे में हंगामा खड़ा हो जाता है। किताब। इस संदर्भ में किसी को यह जांचना होगा कि क्या स्थापित कानून की यह लंबी श्रृंखला (पृथी पाल सिंह के मामले में मेरे विद्वान भाई शर्मा, जे. के एकान्त और अल्पसंख्यक दृष्टिकोण को छोड़कर , पंडित की स्पष्ट टिप्पणियों में परिणत हुई) , जे., जो पांच न्यायाधीशों की सर्वसम्मत पीठ के लिए बोल रहे थे, को अब दिया जाना चाहिए

(8) एआईआर 1973 पीबी. एवं हर. 289.
(9) 1973 पीएलजे 321.
(10) 1978 पीएलजे 328.
(11) 1980 पीएलजे 7.

अलविदा, इस प्रकार इसे पूरी तरह से व्यवस्थित करें और इसे नए सिरे से किण्वित करें। मेरा स्पष्ट विचार है कि पूर्वोक्त लंबी मिसाल को अब न्यायिक औचित्य के कारणों से भी विचलित नहीं किया जाना चाहिए जो कि घूरने के निर्णय के सिद्धांत में अच्छी तरह से निहित है। इसी तरह की स्थिति में मुखदर सिंह और अन्य बनाम रारख नारायण सिंह बनाम अन्य *(12)* में डिवीजन बेंच ने इस प्रकार कहा : -

> "* * *. इस न्यायालय के अभिशाप क्यूरी का पालन करने का मेरा अन्य आधार काफी हद तक वह है जो हाल ही में बाबू त्रिबानी प्रसाद बनाम राम आश्रय प्रसाद *(13)* में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा इंगित किया गया है , और मुखर्जी, जे द्वारा व्यक्त किया गया है। , केदार नाथ हाजरा बनाम मणिंद्र चंद्र नंदी (14) के मामले में , इन शब्दों में: -

'न्यायालयों को उन निर्णयों को खारिज करने में हमेशा संकोच करना चाहिए जो स्पष्ट रूप से गलत और शरारती नहीं हैं, जो कई वर्षों से बिना किसी चुनौती के खड़े हैं और जिनके स्वभाव से यह माना जा सकता है कि उन्होंने अधिकारों से संबंधित मामलों में समुदाय के एक बड़े हिस्से के आचरण को प्रभावित किया है। संपत्ति का *(*कौंग बनाम रॉबर्टसन*}* (15 ए)।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं यह मानने में असमर्थ हूं कि इस न्यायालय में अब तक जो दृष्टिकोण रखा गया है, वह स्पष्ट रूप से गलत है और यह स्पष्ट है कि यह अन्यायपूर्ण या शरारती होने के बिल्कुल विपरीत है।

सी. वरदराजुलु नायडू बनाम बेबी अम्मल और अन्य *(15)* में , यह सही ढंग से उजागर किया गया था कि लगातार न्यायिक राय को अस्थिर करने की बुराई कथित तौर पर खराब कानून बनाने की बुराई से कहीं अधिक होगी और पूर्ण जहां तक संभव हो, बेंच के फैसलों को तब तक बाध्यकारी माना जाना चाहिए जब तक कि वे स्पष्ट रूप से खराब न हों या स्पष्ट रूप से क़ानून के विपरीत न हों। इसी में

(12) एआईआर 1931 पटनी 285। ''
(13) एआईआर 1931 पटना 241।
(14) (1910) 5 आईसी 309।
(15) एआईआर 1964 मद्रास 448।
(15 ए) 30(4) मैक्वीन 314।

मगनलाल छग्गनलाल (पी.) लिमिटेड बनाम मुनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे और अन्य *(16)* मामले में नस एच. आर. खन्ना, जे. ने इस प्रकार देखा है: -

> "जहां तक सवाल इस न्यायालय के पिछले दृष्टिकोण को उलटने का है, इस तरह के उलटफेर को केवल निर्दिष्ट आकस्मिकताओं में ही हल किया जाना चाहिए। इसे शायद एक व्यापक प्रस्ताव के रूप में रखा जा सकता है कि जिस दृष्टिकोण को लंबे समय से स्वीकार किया गया है, उससे तब तक छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए जब तक कि न्यायालय सकारात्मक रूप से यह न कह दे कि यह गलत या अनुचित था या यह सार्वजनिक कठिनाई या असुविधा का कारण बनता है। "

मामून राव बनाम भारत संघ *(17)* में नियम की पुष्टि निम्नलिखित शब्दों में की गई है:—•

> "यह कहना भी सही है कि घूरने के निर्णय के नियम को लागू करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि पहले के निर्णय या लंबे समय से चले आ रहे निर्णयों पर विचार किया जाना चाहिए और या तो उस विशेष तर्क पर जोर दिया जाना चाहिए या खारिज कर दिया जाना चाहिए जो हाथ में मामले में आगे बढ़ाया गया है . यदि ऐसा होता, तो पूर्व निर्णयों को मिसाल के कानून को लागू करके अधिक आसानी से बाध्यकारी माना जा सकता था और घूर्णी निर्णय के सिद्धांत का सहारा लेना अनावश्यक होगा। इसलिए, घूरकर निर्णय लेने के नियम को लागू करने के लिए यह पर्याप्त है कि एक प्रश्न पर एक निश्चित निर्णय पर पहुंचा गया था जो कि उठाया गया था या तर्क दिया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निर्णय किस कारण से लिया गया है या निर्णय का आधार क्या है। दूसरे शब्दों में, घूरने के निर्णय के नियम को लागू करने के उद्देश्य से , यह पूछताछ करना या निर्धारित करना अनावश्यक है कि पहले के फैसले का औचित्य क्या था, जिसे घूरने के निर्णय के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाता है।

"मैं

10. कर्ता राम के मामले *(सुप्रा)* में दृष्टिकोण को अब बिना शर्त पालन किया जाना चाहिए और बरकरार रखा जाना चाहिए।

(16) ए.एल.आर. 1974 एससी 2009.
(17) एआईआर 1981 एससी 271।

11. हालाँकि, मैं उक्त दृष्टिकोण की पुष्टि केवल घूर्णी निर्णय के आधार पर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सिद्धांत और तर्कसंगतता पर इसकी सुदृढ़ता के आधार पर भी कर रहा हूँ। वास्तव में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री सी.बी. गोयल, कर्ता कैरिस मामले (सुप्रा) में किसी भी सार्थक तर्क से अनुपात पर हमला करने में असमर्थ थे, सिवाय इसके कि इसमें सिद्धांत की विस्तृत चर्चा नहीं हुई थी। यह तर्क इस तथ्य को नजरअंदाज कर देता है कि कर्ता राम के मामले *(सुप्रा)* में पूर्ण पीठ अदालत में अखंड मिसाल की एक लंबी श्रृंखला की पुष्टि कर रही थी, जिसने पहले इसके लिए विभिन्न तर्क दिए थे और जिसके खिलाफ एक भी विपरीत निर्णय का हवाला नहीं दिया

जा सका जैसा कि स्पष्ट रूप से देखा गया है। उसमें. फिर भी, उसमें यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि गैर-अस्थिर खंड के कारण, अधिनियम की धारा 15(2) की भाषा कोई अन्य व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी, सिवाय इसके कि यदि कोई बिक्री आती है। पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट की धारा 15 (2), अधिनियम की धारा 15 (1) के आवेदन को पूरी तरह से बाहर रखा जाएगा। पहले के निर्णयों में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया था कि उपधारा (2) विशेष रूप से महिला मालिकों से संबंधित है। इतना ही नहीं, यह महिला स्वामियों के उस विशेष वर्ग से संबंधित था, जिन्हें संपत्ति या तो अपने पिता या भाइयों के माध्यम से या अपने पतियों के माध्यम से विरासत में मिली थी। इसलिए, निर्माण का ध्वनि सिद्धांत कि एक विशेष प्रावधान एक सामान्य प्रावधान को बाहर कर देगा और उसे खत्म कर देगा, अधिनियम की धारा 15 (2) की व्याख्या में समान रूप से आकर्षित हुआ था। विधायिका द्वारा उप-धारा (2) के अधिनियमन में अंतर्निहित मूल विचार का फिर से विभिन्न निर्णयों में विश्लेषण किया गया था कि ऐसी संपत्ति को केवल अंतिम पुरुष-धारक के परिवार के भीतर और वह भी केवल उसके अपेक्षाकृत करीबी संबंधों के भीतर ही बनाए रखा जाए। मुझे उपरोक्त आधारों से असहमत होने या असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता, जो समान रूप से कर्ता राम के मामले (सुप्रा) में अनुपात को रेखांकित करता है। अत्यंत सम्मान के साथ, न केवल मैं इस बात से सहमत होने में असमर्थ हूं कि चन्नन सिंह और अन्य बनाम श्रीमती में उनके आधिपत्य की टिप्पणियाँ। जय कौर, (18) किसी भी तरह से कर्ता राम के मामले (सुप्रा) के अनुपात को कम करती है या नष्ट करती है, लेकिन वास्तव में उसी को इतना अनारक्षित रूप से समर्थन देती है कि मामले को किसी भी संदेह से परे समाप्त कर दिया जाए। चन्नन सिंह और अन्य के मामले *(*सुप्रा*)* में , ग्रोवर, जे. ने बेंच के लिए बोलते हुए अधिनियम की धारा 15(2) का विश्लेषण इस प्रकार किया:-

> धारा 15 की उपधारा (2) की पूरी योजना यह है कि प्री-एम्प्शन का अधिकार अंतिम पुरुष धारक के मुद्दों तक ही सीमित कर दिया गया है जिससे संपत्ति प्राप्त हुई है । ....
>
> (21) एआईआर 1970 एससी 349
>
> जो बेचा गया है वह विरासत में मिला है। उपधारा (2) के खंड (ए) को देखते हुए, जहां बेची गई संपत्ति महिला को उसके पिता या भाई से उत्तराधिकार में मिली है, पूर्व-मुक्ति का अधिकार उसके भाई या भाई के बेटे को दिया गया है। जैसा कि मोटा सिंह बनाम प्रेम प्रकाश कौर, (18 ए) में देखा गया है, प्रमुख विचार यह प्रतीत होता है कि संपत्ति अंतिम पुरुष धारक की रेखा से बाहर नहीं जानी चाहिए और अधिकार उसके पुरुष वंशजों को दिया गया है। जहां बिक्री ऐसी महिला के बेटे या बेटी द्वारा की जाती है, तो इसका अधिकार मां के भाइयों या उनके बेटों को दिया जाता है। जिस सिद्धांत को ध्यान में रखा गया है वह यह है कि जिस व्यक्ति को प्री-एम्प्शन का अधिकार प्रदान किया गया है, वह - बेची गई संपत्ति के अंतिम पुरुष धारक का पुरुष वंशज होना चाहिए। उप के खंड (ए) के संबंध में ऐसा ही है। सेकंड. (2). खंड (बी) की बात करें तो जहां किसी महिला द्वारा भूमि या संपत्ति की बिक्री की जाती है, जिसमें वह अपने पति के माध्यम से या अपने बेटे के माध्यम से सफल हुई है, यदि बेटे को अपने पिता से विरासत में मिला है, तो पूर्व-खाली का अधिकार निहित है पहला, ऐसी महिला के बेटे या बेटी में और दूसरा, ऐसी महिला के पति के भाई या पति के भाई के बेटे में। अब यदि उस महिला का बेटा या बेटी, जिसने संपत्ति बेची है, अपने बेटे या बेटी को उस पति के अलावा किसी अन्य पति से संदर्भित कर सकती है जिससे संपत्ति उसे हस्तांतरित हुई है, तो यह उप-योजना और उद्देश्य के विपरीत होगा। सेकंड. (2) जो अनिवार्य रूप से अंतिम पुरुष धारक के वंशजों में पूर्व-मुक्ति का अधिकार निहित करना है ....."

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उनके आधिपत्य ने अब आधिकारिक रूप से निर्धारित कर दिया है कि अधिनियम की धारा 15(2) को लागू करने में विधायिका का इरादा पूर्व-मुक्ति के अधिकार को अंतिम पुरुष धारक के मुद्दे तक सीमित रखने का दोहरा उद्देश्य था। जिसके माध्यम से वह संपत्ति में सफल हुई थी और अंतिम पुरुष धारकों के वंशजों को पूर्व-मुक्ति का अधिकार प्रदान किया था। इस आधिकारिक घोषणा के बाद, क्या यह संभवतः कहा जा सकता है कि एक किरायेदार संभवतः अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत आने वाली महिला मालिक द्वारा बिक्री में अंतिम पुरुष धारक के वंशज की योजना में फिट हो सकता है ?

(18 ए) आईएलआर (1961) 2 पंजाब 614।

12. अंतिम विश्लेषण में, प्रश्न (I) पर यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि कोरसा राम के मामले (सुप्रा) में निर्णय कानून को सही ढंग से निर्धारित करता है और क्षेत्र को कायम रखना चाहिए और इसके द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है।

13. पृथ्वी पाल सिंह मामले *(सुप्रा)* में बहुमत के दृष्टिकोण की शुद्धता का मुद्दा अब सीधे तौर पर यहां नहीं उठता है। दरअसल, अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री सीबी गोयल ने इसके खिलाफ एक भी तर्क नहीं उठाया। यह अन्यथा भी स्पष्ट है; उक्त निर्णय का एक मात्र संदर्भ। उसमें प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या एक हिंदू महिला, जिसने 1956 से पहले एक सीमित संपत्ति हासिल की थी, जिसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के आधार पर पूर्ण स्वामित्व में विस्तारित किया गया था, अंतिम पुरुष धारक के माध्यम से सफल होगी या नहीं? बहुमत के दृष्टिकोण ने जय सिंह के मामले *(सुप्रा)* में डिवीजन बेंच के पहले के फैसले की पुष्टि की , जिसमें कहा गया था कि एक विधवा जो मूल रूप से हिंदू कानून के तहत एक सीमित मालिक के रूप में अपने पति की संपत्ति में सफल होती है, उसे अपने पति के माध्यम से सफल नहीं माना जाता है। संपत्ति का पूर्ण और पूर्ण स्वामित्व, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के आधार पर ऐसा किया गया। इस निष्कर्ष के परिणामस्वरूप बहुमत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से यह था कि ऐसी विधवा द्वारा की गई बिक्री केवल उप-धारा (1) के तहत पूर्व-खाली थी, और उप-धारा (2) का उसके मामले में कोई आवेदन नहीं था। परिणामस्वरूप उपधारा (2) की व्याख्या या प्रयोज्यता के संबंध में कोई भी प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होगा और इसलिए बहुमत द्वारा इसका उत्तर देना तो दूर की बात है।

14. यह स्पष्ट है कि यहां 1956 से पहले एक सीमित संपत्ति की उत्तराधिकारी महिला द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के तहत संपत्ति के किसी भी विस्तार का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए, पृथ्वी पाल सिंह के मामले *(सुप्रा)* में बहुमत के फैसले का अनुपात बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया जा सकता है। समान रूप से, 'यह ध्यान देने की मांग करता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत 1956 से पहले विरासत में मिली एक सीमित महिला मालिक की संपत्ति के विस्तार का मुद्दा अब इसके अधिनियमन के 25 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद पूरी तरह से अकादमिक हो गया है' . जैसा कि पहले देखा गया है, इसमें कोई चुनौती नहीं उठाई गई है, मुझे पिरथी पाल सिंह के मामले में बहुमत के दृष्टिकोण से अलग होने का कोई कारण नहीं दिखता, जिसमें मैं एक पक्ष था और इसके द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। इसलिए, प्रश्न संख्या (2) का उत्तर इन शब्दों में दिया गया है।

15. अब प्रश्न संख्या (3) और (4) पर एक स्पष्ट नज़र डालने से पता चलेगा कि वे एक-दूसरे में इतने घुलमिल जाएंगे कि उन्हें अलग से निपटाना स्पष्ट रूप से बेकार है क्योंकि उनसे संबंधित मुद्दे काफी हद तक ओवरलैप होते हैं। इसलिए, उनसे मिलकर निपटने का प्रस्ताव है। अनिवार्य रूप

से इन सार्थक मुद्दों को समझने में, पूर्व-मुक्ति के अधिकार की आंतरिक अवधारणा और इस क्षेत्राधिकार के भीतर संबंधित कानून दोनों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को संभवतः टाला नहीं जा सकता है। आधुनिक वकील को गोबिंद दयाल बनाम इनायाफकुल्लाह, (19) में महमूद, जे. द्वारा भारत में प्री-एम्प्शन के कानून के उद्देश्यों और प्रकृति की क्लासिक व्याख्या से आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें इस प्रकार देखा गया:-

> एफएफ हेदाया के मूल अरबी पाठ से किसी भी अधिक अंश को उद्धृत करना अनावश्यक है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्री- एम्प्शन के अधिकार की नींव का कारण प्री-एम्प्टिव टेनमेंट का प्री-एम्प्शनल टेनमेंट के साथ संयोजन है, चोरी का उद्देश्य उस असुविधा या अशांति को दूर करना है जो ग्रेंजर्स की शुरूआत से उत्पन्न होगी। कि बिक्री का अधिकार पहले से मौजूद है, और बिक्री एक शर्त है, अधिकार के अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि केवल इसकी प्रवर्तनीयता के लिए। ।"

सर जेम्स एम. डौई द्वारा पंजाब सेटलमेंट मैनुअल (चौथे संस्करण) के पैरा नंबर 127 में प्री एम्प्शन की प्रथा के औचित्य को निम्नलिखित शब्दों में देखा गया था: -

> एक सच्चे ग्रामीण समुदाय में स्वामित्व निकाय के सदस्य अक्सर रिश्तेदारी के वास्तविक या कल्पित संबंधों से एकजुट होते हैं। भाईचारे में अजनबियों का प्रवेश हमेशा, कम से कम सैद्धांतिक रूप से, एक ऐसी चीज़ थी जिससे बचा जाना चाहिए और विरासत और पूर्व-त्याग के मामले में गाँव के रीति-रिवाज इसी भावना पर आधारित हैं .. "

कुमार दिगंबर सिंह बनाम अहमद सईद खान, (20) में फैसला सुनाते समय सर जॉन एज द्वारा इसे फिर से अधिक आधिकारिक रूप से निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित किया गया था : -

> "लेकिन सभी मामलों में उद्देश्य, जहां तक संभव हो, गांव के अजनबियों को गांव में हिस्सेदार बनने से रोकना है

(19) ILR VII सभी. 775.
(20 एआईआर 1914 प्रिवी काउंसिल 11.

उत्तम सिंह बनाम कंतार सिंह और अन्य *(20 ए)* में पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने माना कि धारा 15 और 16 में अंतर्निहित मुख्य उद्देश्य थे: -

(1) गाँव और ग्राम समुदाय की अखंडता को बनाए रखना*;

(2) उत्तराधिकार के नियम के अज्ञेयवादी सिद्धांत को लागू करना ; और

(3) होल्डिंग के विखंडन से बचने के लिए.

इस मत पर अनुमोदन की मुहर राम सैम्प और अन्य एन में दी गई है। मुंशी और अन्य (21), निम्नलिखित शब्दों में: -

"* * ♦ 1^ धारा 15 (ए) को उचित और आम जनता के हित में बनाए रखने के आधार इसलिए अंततः खुद को दो में विभाजित करते हैं:

(1) गाँव और ग्राम समुदाय की अखंडता को बनाए रखना; और

(2) उत्तराधिकार के अज्ञेयवादी नियम को लागू करना।

उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि इस क्षेत्राधिकार के तहत प्री-एम्प्शन के कानून के तहत मूल तर्क, सबसे पहले विशेष ग्राम समुदाय की कृषि जनजाति की एकरूपता और अखंडता को बनाए रखना और संपत्ति को इसके अनुसार बनाए रखना है। उत्तराधिकार का अज्ञेय नियम.

16. अब इस क्षेत्राधिकार के भीतर प्री-एम्प्शन कानून के विधायी इतिहास की ओर ध्यान दिलाते हुए, यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि इससे संबंधित नियम पहली बार 1854 के पंजाब नागरिक संहिता में अधिनियमित किए गए थे। इसे बाद में पंजाब कानून अधिनियम (अधिनियम संख्या 4) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1872 का) जिसे बदले में 1878 में संशोधित किया गया था। इन प्रावधानों के संबंध में यह ध्यान देना पर्याप्त है कि अज्ञेय प्री-एम्प्टर के मूल वर्गों के अलावा केवल अधिभोगी किरायेदार को प्री-एम्प्टर की सूची के निचले भाग में सीमांत उल्लेख मिला। अधिभोग किरायेदारों के अधिकारों की घटनाओं से अच्छी तरह वाकिफ लोगों को इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वास्तव में स्वामित्व पर आधारित है। पंजाब अधिभोग किरायेदारों द्वारा अंतिम रूप से (स्वामित्व का निहितार्थ)।

(20 ए) एआईआर 1954 पंजाबी' '

(21) A.I.R. 1963 S.C. 553.

अधिकार) अधिनियम, 1953 के तहत इस स्थिति को स्वीकार कर लिया गया और उन्हें स्वामित्व के अधिकार से जोड़ दिया गया। अधिभोग किरायेदार सामान्य किरायेदारों-एट-विल या अन्य संविदा किरायेदारों से पूरी तरह से अलग एक वर्ग बनाते हैं, जिन्हें थोड़ा विस्तार की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि , इन दोनों वर्गों का प्री-एम्प्शन के शुरुआती वैधानिक कानूनों में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है। पहला प्री-एम्प्शन एक्ट 1905 में अधिनियमित किया गया था और उसकी धारा 11 से 15 प्री-एम्प्शन के अधिकार से संबंधित है। उक्त अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथनों के संदर्भ से पता चलेगा कि यहाँ फिर से कृषि जनजातियों की एकरूपता के लिए प्राथमिक चिंता थी और उत्तराधिकार के कानून के अज्ञेय सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत था जो कि था? इस तरह प्री-एम्पशन कानून की वैधानिक मान्यता और विनियमन के लिए यह अधिनियम बनाया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे क़ानून में किरायेदार-पर-वसीयत या अन्य संविदात्मक किरायेदारों को कम से कम जगह नहीं मिली। इस अधिनियम को तब पूर्व - भेजे गए पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसमें फिर से, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, प्री-एम्प्शनर्स के एक वर्ग के रूप में किरायेदारों का कोई स्थान नहीं है और यह स्थिति लगभग आधी शताब्दी तक जारी रही। वर्ष 1960 तक.

17. इस बीच, 1947 में देश के विभाजन के बाद क्षेत्र के ग्रामीण जीवन में व्यापक परिवर्तन हुए। इससे क्षेत्र के मुस्लिम भूमिधारकों का पलायन और पश्चिम पाकिस्तान से शरणार्थियों का आगमन तथा कृषि कानून भी प्रभावित हुआ। इसके तुरंत बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा विरासत कानूनों में बदलाव किए गए। पूर्ववर्ती अध्यादेशों के अलावा, पंजाब किरायेदार और किरायेदारों की सुरक्षा अधिनियम , 1950 और पंजाब किरायेदार (किराये की सुरक्षा) (संशोधन) अधिनियम, 1951 को जल्दबाजी में क़ानून की किताब में लाया गया और फिर पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953 द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस कानून ने भूमि जोत पर एक सीमा की अवधारणा को पेश करने के अलावा कुछ हद तक किरायेदारी की सुरक्षा भी प्रदान की। किरायेदारों और लंबे समय से चली आ रही किरायेदारी से अर्जित उनमें खरीद का अधिकार। हालाँकि, अनुभव से पता चला है कि किरायेदारों के पक्ष में इस लाभकारी कानून को बेईमान जमींदारों द्वारा पूर्व-खाली के अधिकार के संदिग्ध उपयोग द्वारा व्यर्थ करने की कोशिश की गई थी। किरायेदारी के तहत भूमि को मिलीभगत से बिक्री द्वारा हस्तांतरित किया गया और फिर पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट के तहत अज्ञेय संबंधों द्वारा पूर्व-खाली कर दिया गया। यह किरायेदारों को प्री-एम्प्शन एक्ट की धारा 17 के इस दुरुपयोग से बचाने के लिए था

> पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम को कानून की किताब में लाया गया। इस प्रावधान पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि एक बहुत ही सीमित क्षेत्र में और कई योग्यताधारी किरायेदारों द्वारा, जो चार साल से अधिक समय से भूमि पर लगातार कब्जे में थे, विक्रेता के वंशजों के नीचे पूर्व-खाली का अधिकार दिया गया था। दादाजी ने स्पष्ट रूप से उन्हें एक हिंसक अधिकार के दुरुपयोग से बचाने के लिए कहा, जिसने एक सुरक्षित कार्यकाल के लाभों और उनके किरायेदारी में शामिल क्षेत्रों को खरीदने के अंतिम अधिकार को शून्य कर दिया था। यह इस संदर्भ में था कि पहली बार किरायेदारों के एक विशेष वर्ग को मुख्य रूप से उनकी सुरक्षा के लिए पूर्व-एम्प्टोर्स के क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट की धारा 17 अपने आप में - जमींदारों की संदिग्ध प्रथाओं के खिलाफ पर्याप्त आड़ प्रदान करने में असमर्थ थी। इसलिए, विधानमंडल को क़ानून में संशोधन का सहारा लेना पड़ा। प्रामाणिक रूप से बताए गए ऐसा करने के कारण शिक्षाप्रद हैं और विस्तार से ध्यान देने योग्य हैं: -

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण। - यह सरकार के ध्यान में आया है कि जो भूस्वामी पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953 के तहत अपनी किरायेदारी वाली भूमि से अपने किरायेदारों को बेदखल करने में सक्षम नहीं हैं, वे उस अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार कर रहे हैं। किरायेदारों के पक्ष में ऐसी भूमि के संबंध में कब्जे के साथ बिक्री और बंधक के दुर्भावनापूर्ण लेनदेन को निष्पादित करना । इसके बाद ऐसी बिक्री को पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 के तहत एक पात्र प्री-एम्प्शनर द्वारा विक्रेता (तत्कालीन मकान मालिक) की मिलीभगत से प्री-एम्प्ट दिया जाता है और प्री-एम्प्शनर किरायेदारी वाली भूमि पर कब्जा कर लेता है; इसी तरह, ऐसे बंधक को गिरवीकर्ता (तत्कालीन मकान मालिक) द्वारा भुनाया जाता है; और किसी भी स्थिति में किरायेदार को धोखा दिया जाता है और उसकी किरायेदारी से वंचित कर दिया जाता है। सरकार ने ऐसे दुर्भावनापूर्ण लेनदेन के खिलाफ किरायेदारों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने का निर्णय लिया है ; उनकी किरायेदारी को परेशान नहीं किया जाएगा, और यदि ये पहले ही परेशान हो चुके हैं, तो उन्हें एक सारांश प्रक्रिया द्वारा उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। किरायेदार (तत्कालीन विक्रेता) के पास प्री-एम्प्टर द्वारा उसे भुगतान की गई कीमत के भुगतान पर पूर्व-खाली भूमि के संबंध में स्वामित्व के अधिकारों की बहाली के लिए एक सारांश प्रक्रिया द्वारा दावा करने का विकल्प भी होगा।

उपरोक्त उद्देश्य को प्रभावी करने के लिए धारा 17-ए और धारा 17-बी को पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953 में शामिल किया गया था।

18. यह उपरोक्त विधायी पृष्ठभूमि के साथ है कि पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट की धारा 15 में 1960 के अधिनियम संख्या 10 द्वारा इसके मूल अधिनियम के 47 साल बीतने के बाद संशोधन उचित, परिप्रेक्ष्य में आता है। इस प्रकार, जबकि पूर्व-खाली करने वालों के अज्ञेय वर्ग की लंबी सूची को काफी हद तक कम कर दिया गया था, किरायेदारों को अज्ञेय दावेदारों के निचले भाग में पूर्व-खाली का अधिकार देना पड़ा। यह स्पष्ट रूप से पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम की धारा 17, 17-ए और 17-बी के पहले प्रावधानों के परिणामस्वरूप था। 1960 के अधिनियम संख्या 10 के उद्देश्यों और कारणों के संदर्भ से यह स्पष्ट होता है कि यह किसी किरायेदार को पूर्व-खाली का अधिकार प्रदान करने की किसी विशेष चिंता के कारण नहीं किया गया था, बल्कि मुख्य रूप से किरायेदार को थोड़ी सी सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। प्री-एम्प्शन का समुद्री अधिकार जिसका आक्रामक रूप से उपयोग किया जा रहा था: उसके खिलाफ और पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट की धारा 18 द्वारा दिए गए खरीद के उसके अधिकार की रक्षा के लिए और हिंदू उत्तराधिकार द्वारा लाए गए विरासत कानूनों में बदलावों को प्रतिबिंबित करने के लिए भी। कार्यवाही करना। उसके प्रासंगिक भाग को उद्धृत करना शिक्षाप्रद है ।:-

"पंजाब प्री-एम्पशन एक्ट, 1913 को संशोधित करने के लिए जनता की ओर से लगातार मांग की जा रही है। विभिन्न स्थानों से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के कारण ग्रामीण जीवन काफी प्रभावित हुआ है , जिन्हें तब से अर्ध-आधार पर भूमि दी गई है। स्थायी आधार लेकिन यह अधिनियम इन व्यक्तियों और स्थानीय भूस्वामियों के बीच अंतर बनाए रखता है। यह अधिनियम भूमिहीन व्यक्तियों को संपत्ति के निजी हस्तांतरण में भी बाधा डालता है, जो भूमि पर बसने और उस पर पुनः दावा करने के बाद पूर्व-खाली मुकदमों द्वारा परेशान होते हैं।' यह (जोत पर लगाई गई सीमा के परिणामस्वरूप) अधिशेष भूमि के किरायेदारों के बीच वितरण को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा ,

अचल संपत्ति की बिक्री पर प्रतिबंध न केवल विकासात्मक गतिविधियों को रोकते हैं, बल्कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ असंगत भी हैं। इन गंभीर दोषों को दूर करने के लिए पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 में संशोधन करना आवश्यक है। विधेयक का उद्देश्य इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

19. उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि विधायिका स्वयं प्री-एम्प्शन कानून को बहुत नापसंद करती थी और संशोधन का उद्देश्य उसी को सीमित करना था जो कि पहले के खंड में मौजूद प्री-एम्प्शनर्स के एक बड़े वर्ग को भौतिक रूप से कम करके प्रभावी किया गया था। 15. यह इस संदर्भ में था कि पहली बार किरायेदारों को पूर्व-खाली करने वालों की सूची में शामिल किया गया था और वह भी अज्ञेय वर्ग के निचले पायदान पर और साथ ही सह-हिस्सेदारों की भी ताकि वस्तुतः एक छोटा और अवशिष्ट अधिकार प्राप्त हो सके। उनकी अनुपस्थिति. इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि सामान्य किरायेदार जो स्पष्ट रूप से क्लासिक अवधारणा और प्री-एम्प्शन कानून के उद्देश्य के लिए विदेशी है, को केवल ऊपर वर्णित बहुत ही विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण और विशेष रूप से उसकी रक्षा करने के लिए प्री-एम्प्टर के रूप में पेश किया जाना था। उसके किरायेदारी के अधिकार और धारा 18 द्वारा प्रदत्त खरीद के परिणामी अधिकार के लिए खतरा। 1964 के बाद के पंजाब अधिनियम संख्या 13 का एक संदर्भ, जो उप-धारा (2) के खंड (बी) के पहले पैराग्राफ में एक संशोधन पेश करता है। धारा 15 फिर से शिक्षाप्रद है, जिसके तहत महिला विक्रेता के सौतेले बेटे को दूसरे पति द्वारा उसके अपने बेटे को प्राथमिकता देते हुए शामिल किया गया था, जो अज्ञेयवादी सिद्धांत पर जोर देने के साथ-साथ उप-धारा (2) के प्राथमिक उद्देश्य पर भी प्रकाश डालता है। इसके तहत पूर्व-मुक्ति का अधिकार केवल अंतिम पुरुष-धारक के वंशजों तक ही सीमित रखा जाए। यह प्री-एम्प्शन एक्ट का मान्यता प्राप्त बड़ा उद्देश्य था, इसकी धारा 14 से स्पष्ट है जो इस प्रकार है: -

> "बिक्री की तिथि पर कृषि जनजाति के सदस्य (विक्रेता के रूप में कृषि जनजातियों के उसी समूह) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किसी कृषि जनजाति के सदस्य द्वारा बेची गई कृषि भूमि के संबंध में छूट का अधिकार नहीं होगा। जनजाति।'*

आख़िरकार 1973 का पंजाब अधिनियम संख्या 11 आया, जिसने पंजाब राज्य के भीतर क़ानून की किताब से संपूर्ण प्री-एम्पशन अधिनियम को मिटा दिया और इस प्रकार इसके पूर्ण निरसन से उस महान अपमान की पराकाष्ठा हो गई जिसके साथ इसे देखा गया था। .

20. इस प्रकार यह प्री-एम्प्शन के अधिकार की प्रकृति के साथ-साथ इस बिंदु पर वैधानिक कानून के इतिहास से भी प्रकट होगा कि 1960 के अधिनियम संख्या 10 द्वारा प्री-एम्प्शन के अधिकार वाले एक किरायेदार के कपड़े रास्ते में थे। अंतर्निहित मूलभूत विचारों का एक स्पष्ट अपवाद (स्वयं पूर्व-उत्सर्जन की अवधारणा)। यह न तो आगे बढ़ता है

उत्तराधिकार का अज्ञेयवादी सिद्धांत न तो ग्रामीण समुदाय की कृषि जनजाति की एकरूपता के रखरखाव के लिए अनुकूल है, वास्तव में यह सीधे तौर पर उन दोनों के विपरीत चलता है क्योंकि काश्तकार अज्ञेय रेखा के लिए एक श्रेणी का अजनबी हो सकता है और समान रूप से एक विदेशी भी हो सकता है। कृषि जनजाति जो गाँव की मालिकाना संस्था का गठन कर सकती है। इसलिए, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील इस बात पर दृढ़ थे कि एक किरायेदार को छूट का अधिकार प्रदान करना पूरी तरह से वैधानिक था और विभाजन के बाद की स्थिति की विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण, हालांकि वास्तव में यह बुनियादी सिद्धांतों और वस्तुओं के खिलाफ था। पूर्व-उत्सर्जन। यह दोहराने की मांग करता है कि 1960 में धारा 15(1) के तहत किरायेदार को प्रदत्त पूर्व-भुगतान का अधिकार क़ानून का एक शुद्ध प्राणी था। इसलिए, इस संदर्भ में वास्तविक मुद्दा यह है कि क्या यह विशुद्ध रूप से वैधानिक सम्मान और वह भी प्री-एम्प्शन की अवधारणा के अपवाद के माध्यम से

अब विस्तारित किया जाना चाहिए और काल्पनिक रूप से उपधारा (2) में भी पढ़ा जाना चाहिए, जहां ऐसा पूर्व -एम्प्टर अपनी अनुपस्थिति से स्पष्ट है और जहां प्रावधान की स्पष्ट भाषा इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं देती है। " "

21. अब प्री-एम्प्शन क़ानूनों के निर्माण का सच्चा सिद्धांत संदेह में नहीं है और इस गिनती के साथ-साथ अंतिम न्यायालय के उदाहरणों को बाध्य करके कैविल से परे अच्छी तरह से तय किया गया है। ये पूरी तरह से इस दृष्टिकोण की ओर झुक गए हैं कि संक्षेप में प्री-एम्प्शन का अधिकार एक समुद्री अधिकार है और स्वामित्व के अधिकार पर एक बंधन और रुकावट है जिसकी जड़ें केवल पुराने रीति-रिवाजों और पुरातन इतिहास में हैं जिन्हें माना जाना था एक सामंती अतीत का अवशेष. जय सिंह बनाम मुगला में डिवीजन बेंच [एफ] (सुप्रा) ने स्पष्ट रूप से राय दी:-

> "♦♦♦The ri gj lt 0 £ p re _ em pti on j s निस्संदेह उपरोक्त मौलिक अधिकार पर एक प्रतिबंध है, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (5) द्वारा बचाया गया है, जैसा कि आधिकारिक तौर पर माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय, फिर भी, प्री-एम्प्शन का अधिकार प्रकृति में समुद्री है, इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को प्री-एम्प्शन का अधिकार न दिया जा सके जो अन्यथा संपत्ति के मौलिक अधिकार के लिए विनाशकारी है ; जो अधिकार नहीं दिया गया है विधायिका द्वारा विशेष रूप से इच्छित प्री-एम्प्टर को प्रदान किया गया। इस दृष्टिकोण से भी, प्री-एम्प्शन एक्ट की धारा 15 (2) (बी) पर मेरे द्वारा दिए गए विचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

राधाकिशन लक्ष्मीनारायण तोषनीवाल बनाम श्रीधर रामचन्द्र आइशी एवं अन्य *(22)* मामले में अंतिम न्यायालय द्वारा इस पर अनुमोदन की मुहर निम्नलिखित शब्दों में लगाई गई है :-

> ((♦♦♦j^g]^ t 0 प्री-एम्प्टेबल बिक्री तब तक लागू नहीं होती जब तक कि प्री-एम्प्टेबल ट्रांसफर प्रभावी न हो जाए और प्री-एम्प्शन का अधिकार ऐसा नहीं है जिसे अदालतों द्वारा बड़े एहसान के साथ देखा जाता है संभवतः इस कारण से कि यह अपनी संपत्ति को हस्तांतरित करने के मालिक के अधिकार का अपमान है। सभी वैध तरीकों से पूर्व-खाली के दावे से बचने और उसे हराने के लिए हस्तांतरण के पक्षकारों के लिए यह न तो अवैध है और न ही धोखाधड़ी है। पंजाब में जहां प्री-एम्प्शन का अधिकार भी वैधानिक है, अदालतों ने किसी भी वैध तरीके से प्री-एम्प्शन के अधिकार के संचय से बचने के लिए विक्रेता और विक्रेता के प्रयासों को नापसंद नहीं किया है और इस दृष्टिकोण को बिशन में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। सिंह बनाम खजान सिंह (23) जहां सूबा राव जे. ने कहा:-
>
> 'अधिकार एक बहुत ही कमजोर अधिकार है, इसे सभी वैध तरीकों से हराया जा सकता है, जैसे कि प्रतिशोधी किसी श्रेष्ठ या समान अधिकार के दावेदार को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करने की अनुमति देता है।'

और फिर-

> प्री-एम्प्टर के पक्ष में कोई इक्विटी नहीं है, जिसका एकमात्र उद्देश्य क़ानून द्वारा बनाए

गए अधिकारों के आधार पर वैध लेनदेन को परेशान करना है। किसी भी वैध तरीके से प्री-एम्प्शन के कानून को विफल करना विक्रेता या विक्रेता की ओर से धोखाधड़ी नहीं है और एक व्यक्ति सभी वैध तरीकों से प्री-एम्प्शन के कानून से दूर रहने का हकदार है।

फिर से निर्माण के इस नियम का एक शक्तिशाली और सुरम्य वर्णन थान सिंह बनाम नंदू आदि *(24)* में इस न्यायालय की पिछली पूर्ण पीठ के फैसले में दिखाई देता है , जिसमें बैंस जे. ने अपने आदेश में कहा था

(22) एआईआर 1960 एससी 1368 .
(23) 1959 एससीआर 878.
.(24), 1978 कर्ट। लॉ जर्नल (सिविल) पी. एवं एच. 25.

संदर्भ ने प्री-एम्प्शन कानून को आधुनिक बदली हुई सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में एक पुराना कानून बताया क्योंकि इसने मालिक के अपनी संपत्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति को हस्तांतरित करने के अधिकार पर रोक लगा दी थी और इसलिए, इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए। . बाद में - सर्वसम्मत पूर्ण पीठ के लिए बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं तो जो पूर्व-त्याग के अधिकार को विफल करता है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और अंत में निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए: -

"***विक्रेता सभी वैध तरीकों से प्री-एम्प्टर के अधिकार को पराजित कर सकता है। पूर्व-उत्सर्जन कानून. है, सामंतवाद का अवशेष। इसे पंजाब राज्य में निरस्त कर दिया गया है। यह मालिक के अपनी संपत्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति को हस्तांतरित करने के अधिकार में रुकावट पैदा करता है। भले ही किसी दस्तावेज़ की दो व्याख्याएँ संभव हों; जो पूर्व-प्रदाता के अधिकार को पराजित करता है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

22. उपर्युक्त स्थापित न्यायिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, क्या अब यह कहा जा सकता है कि इस समुद्री अधिकार का विस्तार करने के लिए किसी को तनावपूर्ण निर्माण का सहारा लेना चाहिए, भले ही विधायिका ने इसे धारा 15 की उप-धारा (2) में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने का विकल्प चुना हो। कार्य? कुछ समय के लिए सामाजिक रूप से लाभकारी कानून का विस्तार करने और उदारतापूर्वक व्याख्या करने के लिए न्यायिक विवेक की उत्सुकता की सराहना की जा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से समुद्री डकैती, पुरानी प्रथा और सामंतवाद को व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा बड़े पैमाने पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।

23. संदर्भ में निर्माण के उपरोक्त स्पष्ट सिद्धांत के साथ अब कोई भी अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के स्पष्ट प्रावधानों को समझने के लिए आगे बढ़ सकता है। इसकी भाषा एकदम स्पष्ट है. वास्तव में यह ध्यान देने की मांग करता है कि किसी भी स्तर पर ऐसा नहीं था, और शायद कभी भी सुझाव दिया जा सकता है, कि इसके प्रावधानों में कोई अस्पष्टता है। उप-धारा एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होती है और इस प्रकार स्पष्ट रूप से पूर्ववर्ती उप-धारा (1) के सामान्य प्रावधानों के अपवाद के रूप में होती है। क़ानून के निर्माण के प्रयोजनों के लिए एक गैर-विषयक खंड का प्रभाव इतना अच्छी तरह से जाना जाता है कि किसी भी विस्तार की आवश्यकता नहीं है। विधायिका द्वारा इस उप-धारा का स्पष्ट रूप से इरादा महिला मालिकों द्वारा की गई बिक्री के लिए प्रदान करना था और इसके अलावा केवल महिला मालिकों के उस वर्ग को प्रदान करना था जो अपने पिता या भाइयों या अपने पतियों के माध्यम से संपत्ति में सफल हुए थे। विशेष रूप से विधायिका ने विक्रेताओं के इस वर्ग को

छोड़कर उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया

सामान्य वर्ग से. उप-धारा (2) के प्रावधानों से स्पष्ट स्पष्ट उद्देश्य यह है कि इसने इस संदर्भ में छूट के अधिकार को अंतिम पुरुष धारक के वंशजों तक सीमित कर दिया है (महिला विक्रेता के संबंधों को छोड़कर)। स्वयं) और इस अधिकार को केवल निकटतम संबंधों तक ही सीमित कर दिया। इस पहलू को विस्तृत करना अनावश्यक है क्योंकि इसे रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 में चन्नन सिंह और अन्य बनाम श्रीमती जय कौर, *(सुप्रा)* मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा आधिकारिक रूप से निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में फिर से इस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि उप-धारा (2) केवल महिला विक्रेताओं द्वारा की गई बिक्री में पूर्व-खाली करने वालों के वर्ग के लिए प्रदान करने वाला एक विशेष प्रावधान है और इस योग्यता से और भी सीमित है कि बेची गई संपत्ति को एक के माध्यम से सफल होना चाहिए था पिता या भाई या एक पति. निर्माण के पवित्र नियम पर कि कानून का एक विशेष नियम एक सामान्य नियम को खत्म कर देगा, यह समान रूप से स्पष्ट होगा कि इस संदर्भ में धारा 15(1) का संभवतः कोई स्थान नहीं हो सकता है। मेरे विचार से विधायिका ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है और उप-धारा (2) में गोरखधंधे का उल्लेख किया है, यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह अपनी नीति की बुद्धिमत्ता पर निर्णय दे, और न ही मुझे इस प्रावधान की तर्कसंगतता के बारे में कोई संदेह है . न्यायिक निर्माण का मूल और मौलिक सिद्धांत यह है कि जहां भाषा स्पष्ट है, उसे उसका स्पष्ट अर्थ दिया जाना चाहिए और यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह उसमें कुछ ऐसा पढ़े जो उसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट हो। यह पवित्र नियम इतना सुव्यवस्थित है कि इसे अधिकार से बल देना अनावश्यक है।

24. अपीलकर्ताओं की ओर से एक हल्के सुझाव पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है कि जब तक किरायेदार को अधिनियम की धारा 15(2) में प्री-एम्प्टर के वर्ग के रूप में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक इसके प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होंगे। इस विवाद को बार में गंभीरता से नहीं दबाया गया, लेकिन पिरथी पाल सिंह के मामले *(सुप्रा)* में अल्पमत फैसले में कुछ टिप्पणियों के कारण इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले, इस संदर्भ में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्री-एम्पशन कानून की संवैधानिकता को इस न्यायालय में सावधानीपूर्वक चुनौती दी गई थी और इसे बरकरार रखा गया था और उस दृष्टिकोण को बिना किसी योग्यता के सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा अनारक्षित रूप से पुष्टि की गई है। इसलिए यह तर्क देना कि धारा 15(2) के स्पष्ट प्रावधान किसी भी तरह से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हैं, बाध्यकारी मिसाल के विपरीत है जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह था
1960 के अधिनियम संख्या 10 द्वारा पहली बार विधायिका ने प्री-एम्प्टरों के वर्ग को गंभीर रूप से कम कर दिया 'और ऐतिहासिक और विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण किरायेदारों को इसमें शामिल करने के लिए मजबूर किया गया, हालांकि प्री-एम्प्टर्स के निचले पायदान पर, धारा 15(1). यह स्पष्ट है कि कानून के तहत बिक्री से पहले बिक्री का कोई मौलिक या अंतर्निहित अधिकार नहीं है और 1960 से पहले सामान्य किरायेदार इस वर्ग में नहीं आते थे। इसलिए, कोई भी व्यक्ति पूर्व-मुक्ति के अंतर्निहित अधिकार पर तब तक दावा नहीं कर सकता जब तक कि यह मान्यता प्राप्त रीति-रिवाज या स्पष्ट रूप से क़ानून द्वारा प्रदान नहीं किया गया हो। इसलिए, मेरे विचार से, अनुच्छेद में भेदभाव या समानता खंड के उल्लंघन का सवाल दूर-दूर तक नहीं उठ सकता है, न ही किसी के लिए इस आधार पर कानून को नकारात्मक रूप से चुनौती देना संभव होगा क्योंकि यह पूर्व-मुक्ति का अधिकार देता है। कुछ अन्य श्रेणियों के लिए वह समान रूप से हकदार होगा। यदि इन विचारों को

'कानून में पेश किया जाता है तो संभवतः ग्राम समुदाय के भूमिहीन निवासियों के साथ समान रूप से भेदभाव किया जाएगा क्योंकि क़ानून द्वारा उन्हें पूर्व-खाली का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। यहां तक कि हरिजन, जो भूमिहीन भी हो सकते हैं और अन्यथा समुदाय का कमजोर वर्ग भी हो सकते हैं, को समान अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है, और इस मामले में मूल रूप से वित्तीय आधार या गरीबी के आधार पर समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों को क्यों नहीं? मेरे विचार में ये विचार पूरी तरह विधायिका के हैं न कि न्यायालयों के। किसी भी न्यायालय को यह घोषित करने के लिए आगे आने की आवश्यकता नहीं है कि नीति के बड़े आधारों पर किरायेदार को प्री-एम्प्शन का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, भले ही विधायिका ने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना हो। यह बताया जा सकता है कि पृथी पाल सिंह के मामले में अल्पसंख्यक दृष्टिकोण में एकान्त टिप्पणियों के अलावा किसी अन्य निर्णय ने अब तक यह नहीं माना है कि किसी वर्ग को पूर्व-मुक्ति का अधिकार प्रदान करना या अस्वीकार करना समानता खंड का उल्लंघन होगा। मैं इस विचार से सहमत हूं कि अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का कोई भी मुद्दा विधायिका द्वारा अपने विवेक से किसी भी वर्ग को पूर्व-मुक्ति का अधिकार प्रदान करने, बहिष्कृत करने, बढ़ाने या कम करने के कारक से उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए यह तर्क कि अनुच्छेद 14 के किसी भी उल्लंघन से बचने के लिए - धारा 15 (2) की संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए एक तनावपूर्ण निर्माण को अपनाया जाना चाहिए - को पूरी तरह से त्याग दिया जाना चाहिए।

25. अब अपीलकर्ता की ओर से तर्क का मूल यह है कि उप-धारा (2) को उप-धारा (1) के प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और क़ानून को वस्तुतः फिर से लिखने की प्रक्रिया द्वारा यह माना जाना चाहिए कि मामले में धारा 15 (2) में प्री-एम्प्टर्स का वर्ग समाप्त हो गया है, सहारा लें

उप-धारा (1) को या तो उसमें पूर्व-खाली करने वालों के सभी वर्गों को शामिल करके या चुनिंदा रूप से ■ अकेले किरायेदार को जोड़कर नए सिरे से बनाया जाएगा। जिस तीव्रता के साथ इस तर्क को दबाया गया उसे देखते हुए इसका कुछ विस्तार से विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

26. उपरोक्त तर्क पर निर्माण का महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठता है कि क्या क्लासिक और श्रेणीबद्ध शब्दों में तैयार किए गए एक गैर-अस्थिर खंड को व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा एक प्रावधान में तब्दील किया जा सकता है। प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने अपीलकर्ता के रुख के खंडन में दोहरा तर्क उठाया, पहला यह कि एक स्पष्ट गैर-अप्रत्याशित खंड को केवल परंतुक के रूप में पढ़ना पूरी तरह से अस्वीकार्य था और दूसरा यह कि यदि ऐसा करना संभव भी हो, तो कोई बाध्यता नहीं है। क़ानून की स्पष्ट भाषा के प्रति ऐसी कोई भी हिंसा करने का कारण या आवश्यकता यहाँ उत्पन्न होती है।

27. पहले पहलू पर यह जोरदार ढंग से बताया गया कि धारा 15 की उपधारा (2) पहली नजर में पूर्ववर्ती उपधारा (1) का हिस्सा या खंड नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से सेरियाटुन को एक स्वतंत्र के रूप में लेबल किया गया है। अपने आप। प्राइमा जेड, इसलिए, यह एक स्व-निहित उप-धारा है और इसे प्रावधान के रूप में या उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के रूप में पढ़ना निर्माण के किसी भी सिद्धांत द्वारा आवश्यक नहीं है। उठाया गया ठोस तर्क यह था कि इसे स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र उप-धारा के रूप में लेबल किया गया है और अतिरिक्त तथ्य के कारण यह खुला है; 'उपधारा (1) में किसी भी बात के बावजूद' शब्दों के साथ, यह वास्तव में एक अलग खंड के अनुरूप हो जाएगा। वास्तव में यह प्रशंसनीयता के साथ तर्क दिया गया था कि उपधारा (2) को या तो धारा 15-ए या धारा 16 के रूप में लेबल किया गया होगा और

केवल यह तथ्य कि इसे धारा 15 का हिस्सा बना दिया गया है, इसे अधीन या धारा 15 का हिस्सा बनाने का कोई आधार नहीं है। पूर्ववर्ती उपधारा का मात्र उपांग।

28. एक गैर-अस्थिर खंड का प्रभाव और वास्तविक कानूनी आयात सिद्धांत और मिसाल द्वारा इतनी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अब उससे विचलित होना आसान नहीं है। सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताना अनावश्यक है क्योंकि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालयों और अंतिम न्यायालय दोनों में ही मिसाल के तौर पर एकमतता है। के. परसुरामैया बनाम पोकुरी लक्ष्माम्मा, *(25)* में डिवीजन बेंच ने नियम को संक्षेप में इस प्रकार बताया: -

> "♦♦♦यह समझा जाना चाहिए कि एक गैर-अप्रत्याशित खंड का उपयोग आमतौर पर किसी प्रावधान में यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि वह प्रावधानकर्ता
>
> 25.) एआईआर 19651712^ " "
>
> ऐसे गैर-अस्पष्ट खंड में उल्लिखित प्रावधान में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद प्रबल होना चाहिए। यदि गैर-प्रमुख खंड और किसी अन्य प्रावधान के बीच कोई असंगतता या विचलन है, तो ऐसे खंड की वस्तुओं में से एक यह इंगित करना है कि यह गैर-प्रमुख खंड है जो अन्य खंड पर प्रबल होगा।

मेसर्स में रिपोर्ट के पैराग्राफ 35 में भी इसी आशय की टिप्पणियाँ दी गई हैं। श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, (26) (पूर्ण पीठ)। मुर्शिदाबाद के नवाब बहादुर बनाम रामेश्वरलाट गनेरीवाला, (27) में निम्नलिखित शब्दों में एक गैर-अप्रत्याशित उपवाक्य के प्रभाव का और भी अधिक स्पष्ट और क्लासिक उच्च प्रकाश दिखाई देता है: -

> "* * *, मुझे यह मानना उचित लगता है कि धारा 30 में आने वाले शब्द 'तत्समय लागू किसी भी कानून में किसी भी बात के बावजूद' केवल सामान्य क़ानूनों को संदर्भित करते हैं, जिन्हें उनकी शर्तों के अनुसार समझा जा सकता है उधारकर्ताओं पर उस अनुभाग द्वारा अपेक्षित सीमा से अधिक का दायित्व थोपें। इस्तेमाल किए गए शब्दों के रूप को - ब्याज अधिनियम या अनुबंध एसीबी जैसी स्थितियों के असंगत प्रावधानों को बिना कोई स्पष्ट संदर्भ दिए निरस्त करने का एक सुविधाजनक तरीका माना जा सकता है।

29, अंतिम न्यायालय समान रूप से सशक्त है और अश्विनी कुमार बनाम अरबिंद बोस, *(28)* में मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री, सीजे के उच्च अधिकार पर , नियम इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है: -

> "पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धारा का अधिनियमित भाग क्या प्रदान करता है, उनके प्राकृतिक और सामान्य अर्थ के अनुसार इस्तेमाल किए गए शब्दों का उचित निर्माण, और गैर-प्रमुख खंड को अब किसी भी चीज़ को वैध नहीं मानने के लिए काम करने के रूप में समझा जाना चाहिए प्रासंगिक मौजूदा कानूनों में निहित है जो नए अधिनियम के साथ असंगत है।"

26.) 1972 एमपीएलजे 864,
27.) एआईआर 1949 कैल। 323.
28.) एआईआर, 1952 एससी 369।

उपरोक्त जे टिप्पणियों को बाद में ए वी फर्नांडीज बनाम केरल राज्य, (29) में स्पष्ट पुष्टि मिली। अंत में, फिउधन चौधरी के मामले में (सुप्रा) उनके आधिपत्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 28, और 30 की व्याख्या कर रहे थे और उन्हें अंतिम खंड के संबंध में यह कहना था जो एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होता है , जे

1. * *. इसके अलावा, धारा 30 का पाठ स्वयं स्पष्ट रूप से कहता है कि इसके प्रावधान 'धारा 28 या धारा 29 में निहित किसी भी बात के बावजूद' लागू होंगे। इसलिए, धारा 28 और दूसरी अनुसूची के प्रावधानों को रास्ता देना होगा (धारा 30 के प्रावधान) ।"

उपरोक्त आधिकारिक और, वर्तमान मामले में बाध्यकारी व्याख्या के बाद, 'उपधारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद' शब्दों का स्पष्ट प्रभाव यह है कि उक्त उपधारा का प्रावधान पूरी तरह से प्रदान किए गए को रास्ता देना चाहिए। उपधारा (2) के लिए. या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो यह बाद की उपधारा (2) के निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपधारा (1) के पहले प्रावधानों को वस्तुतः निरस्त करने का एक सुविधाजनक तरीका है।

30. दूसरे पहलू पर यह सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि यहां तक कि पूरी तरह से तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि एक चरम स्थिति में वर्तमान में ऐसा करने की अनुमति हो सकती है, तो इस उपाय के लिए न तो कोई बाध्यकारी, तथ्यात्मक या कानूनी वारंट है। एक स्पष्ट गैर-अस्थिर खंड का परंतुक में काल्पनिक रूपांतरण। उपधारा (2) की भाषा सटीक और स्पष्ट है। किसी भी स्तर पर, अपीलकर्ता के विद्वान वकील यह भी सुझाव नहीं दे सके कि इसमें कोई अस्पष्टता थी जो संभवतः इसके स्पष्ट शब्दों पर ज़ोर दे सकती थी। इसलिए, निर्माण के तीन स्थापित सिद्धांत तुरंत आकर्षित होते हैं। जहां प्रावधान की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है, वहां इसका स्पष्ट व्याकरणिक अर्थ दिया जाना चाहिए और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त विधायिका के सुविचारित ज्ञान को प्राथमिकता देते हुए किसी के अपने विचारों को प्रतिस्थापित करना अनुचित है। केवल जहां क़ानून की भाषा अस्पष्ट है या अलग-अलग अर्थों में सक्षम है, वहां अधिनियमित क़ानून के उद्देश्यों और कारणों जैसे अन्य क्षेत्रों में जाने की अनुमति होगी; इसकी प्रस्तावना; और पहले से मौजूद कानून; वह शरारत जो संसद चाहती थी

प्रदान करें और अंतिम उपाय का आशय स्पष्ट करें। दूसरे शब्दों में, हेडन के संदर्भ में सुप्रसिद्ध नियम अच्छी तरह से आकर्षित हो सकता है लेकिन ये विचार भी केवल तभी उठते हैं जब भाषा अस्पष्ट हो लेकिन निश्चित रूप से सटीक अर्थ देने में सक्षम हो। हालाँकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि किसी क़ानून में अस्पष्टता अस्पष्टता और वास्तव में अव्यवहार्यता की सीमा पर है, तो व्याख्या की आड़ में कानून बनाना या अपनी पसंद के अनुसार प्रावधान को फिर से लिखना न्यायालयों के क्षेत्र में नहीं है। या नापसंद है और इसलिए, इसका सच्चा समाधान केवल विधायिका के पास है। यह स्पष्ट है कि क़ानून की व्याख्या के इन बुनियादी नियमों में से किसी को भी संभवतः एक उप-अनुच्छेद उद्घाटन को एक श्रेणीबद्ध गैर-विषयक खंड के साथ एक प्रावधान में परिवर्तित करने के लिए नहीं लाया जा सकता है।

'(29) A.I.R. 1957 S.C. 65^~ "

31. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील श्री सीबी गोयल ने अपने तर्क के समर्थन के लिए वडुबॉयिना तुलसम्मा और अन्य बनाम वडुबॉयिना शेषा रेड्डी, (13) पर भरोसा करने का प्रयास किया था कि एक गैर-अस्थिर खंड को प्रावधान के रूप में पढ़ा जा सकता है। उसमें उनके लॉर्ड शिप हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान का अर्थ लगा रहे थे। इसलिए, इस तर्क की सराहना करने के लिए धारा 14 को उद्धृत करना आवश्यक है:-

> "14(1) किसी हिंदू महिला के पास मौजूद कोई भी संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में अर्जित की गई हो, वह उसके पूर्ण मालिक के रूप में रखी जाएगी, न कि सीमित मालिक के रूप में:
>
> स्पष्टीकरण: इस उप-धारा में 'संपत्ति' में हिंदू महिला द्वारा विरासत या वसीयत द्वारा, या विभाजन के माध्यम से, या भरण-पोषण के बदले में या भरण-पोषण के बकाया के रूप में, या किसी व्यक्ति से उपहार के रूप में अर्जित चल और अचल दोनों संपत्ति शामिल हैं। रिश्तेदार हो या न हो, उसकी शादी से पहले, उसके समय या उसके बाद, या उसके अपने कौशल या परिश्रम से, या खरीद से या नुस्खे द्वारा, या किसी अन्य तरीके से , और साथ ही ऐसी कोई संपत्ति जो उसके द्वारा स्त्रीधन के रूप में शुरू होने से ठीक पहले रखी गई हो। यह कार्य।
>
> (2) उप-धारा (1) में निहित कोई भी बात उपहार के माध्यम से या वसीयत या किसी अन्य साधन के तहत या सिविल कोर्ट के डिक्री या आदेश के तहत या किसी पुरस्कार के तहत अर्जित किसी भी संपत्ति पर लागू नहीं होगी जहां उपहार की शर्तें, वसीयत या

(30) AIR 1977 S.C. 1944.

अन्य लिखत या डिक्री, आदेश या पुरस्कार ऐसी संपत्ति में प्रतिबंधित संपत्ति निर्धारित करते हैं।"

अब उपरोक्त प्रावधानों पर एक स्पष्ट नज़र डालने से पता चलेगा कि अपीलकर्ता की ओर से विवाद दोहरे भ्रम से ग्रस्त है। धारा 14 की योजना पूरी तरह से अलग है। उप-धारा (1) के तुरंत बाद एक विस्तृत व्याख्या दी गई है, जिसने उप-धारा (1) में प्रयुक्त 'संपत्ति' शब्द को व्यापक आयाम दिया है। इस व्यापक आयाम को थोड़ा कम करने के लिए उप-धारा (2) में स्पष्टीकरण का अनुसरण करते हुए यह दर्शाया गया है कि उपहार के माध्यम से या वसीयत या अन्य साधन आदि के तहत अर्जित संपत्ति, जहां इसकी शर्तें स्पष्ट रूप से ऐसी संपत्ति में प्रतिबंधित संपत्ति निर्धारित करती हैं। धारा 14(1) और उसके स्पष्टीकरण के दायरे से बाहर रखा गया है। वास्तव में यह स्पष्टीकरण को स्पष्ट करने वाला और एक निश्चित स्थिति में उपधारा (1) की प्रयोज्यता के संबंध में एक प्रावधान है। यह उपरोक्त अजीब संदर्भ में है कि वडुबॉयिना तुलसम्मा के मामले में टिप्पणियाँ की गई हैं। वर्तमान मामले में, उप-धारा 15(1) का न तो कोई स्पष्टीकरण है और न ही ऐसे किसी स्पष्टीकरण आदि का कोई प्रयास किया गया है और इसलिए, उपरोक्त टिप्पणी शायद ही लागू होगी।

32...फिर से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त उपधारा (2) किसी गैर-अप्रत्याशित उपवाक्य से शुरू नहीं होती है। 'अनुभाग में कुछ भी निहित होने के बावजूद' की ज्ञात और क्लासिक भाषा का .....स्पष्ट रूप से और डिज़ाइन रूप से यहां विधायिका द्वारा उपयोग नहीं किया गया है, वास्तव में यह एक बचत उपवाक्य है। इसका उद्देश्य केवल उस स्पष्टीकरण के अनुप्रयोग को सीमित करना था जिसने उपधारा (1) में 'संपत्ति' शब्द को बहुत विस्तारित अर्थ दिया था। इसमें यह नहीं बताया गया है कि उप-धारा (1) के प्रावधान को छोड़कर या यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कानून की स्थिति क्या होनी चाहिए। यह केवल इसके अनुप्रयोग के तौर-तरीकों को निर्दिष्ट करता है। इसलिए, अक्षरशः और भावार्थ में उपधारा (2) एक गैर-अस्पष्ट उपवाक्य की प्रकृति नहीं है।

33. दूसरी बात यह है कि इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 की व्याख्या करते समय, उनके आधिपत्य को इसके अर्थ में इतनी अस्पष्टता मिली कि उन्हें निम्नानुसार निरीक्षण करने के लिए मजबूर होना पड़ा: -

"* * *. यह वैधानिक प्रावधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने अपने अयोग्य प्रारूपण के कारण, वादियों के लिए अंतहीन भ्रम पैदा कर दिया है और वकीलों के लिए स्वर्ग साबित हुआ है।"

यह उपरोक्त संदर्भ में था कि एक गलत प्रारूप वाले प्रावधान को अर्थ प्रदान करने के लिए अपरिहार्य न्यायिक खोज शुरू की जानी थी। यह दोहराने लायक है कि यहां यह वस्तुतः सामान्य मामला है कि धारा 15(2) की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए, मैं यह निष्कर्ष निकालूंगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 की योजना के विशिष्ट प्रावधानों और योजना के संदर्भ में वडुब्यिना तुलसम्मा के मामले में अवलोकन के संबंध में जो सादृश्य उठाया गया है, वह यहां और वास्तव में पूरी तरह से व्यापक है। हमारे सामने मौजूद मुद्दे के लिए

अप्रासंगिक।

34. निर्माण के बुनियादी सिद्धांतों पर विचार करने के बाद कि यहां एक स्पष्ट गैर-अस्थिर खंड को मात्र परंतुक में परिवर्तित करने का कोई वारंट नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता की ओर से तर्क की भ्रांति और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। यदि इस तरह की व्याख्या को धारा 15 की दो उप-धाराओं पर लागू किया जाता है, तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। हम सबसे पहले एक महिला विक्रेता का मामला ले सकते हैं, जो एकमात्र मालिक है और अपने पिता या भाई के माध्यम से संपत्ति में सफल हुई है। ऐसे मामले में, उप-धारा (2) के आधार पर, पूर्व-मुक्ति का अधिकार उसके भाई या भाई के बेटे तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें उसके पति या यहां तक कि उसके अपने बेटों या बेटियों को वर्ग से जानबूझकर और स्पष्ट निष्कासन दिया गया है। अन्य संबंधों के बारे में क्या कहा जाए। यदि उपधारा 2(ए)(आई) के तहत निर्दिष्ट दावेदारों के थकने और असफल होने पर , उपधारा (1) (ए) के खंड प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ को लागू किया जाता है तो वहां से दिलचस्प परिणाम सामने आएंगे। ऐसा करने से ऐसी महिला विक्रेता के बेटों या यहां तक कि बेटियों या बेटे के बेटे या बेटी के बेटे को प्री-एम्प्टर्स के अधिमान्य वर्ग में आयात किया जाएगा, जब उप-धारा (2) का पूरा और स्पष्ट उद्देश्य संबंधों के इस वर्ग को बाहर करना था। . फिर, यहां विक्रेता का भाई या भाई का बेटा उपरोक्त दावेदारों के बाद आएगा, जबकि उप-धारा (2) में भाई या भाई के बेटे प्राथमिक और वास्तव में प्री-एम्प्टर का एकमात्र वर्ग थे। समान रूप से खंड तीसरे के तहत विक्रेता का भाई या विक्रेता के भाई का ऐसी महिला विक्रेता का बेटा भी किरायेदारों की प्राथमिकता में पूर्व-खाली करने वालों की श्रेणी में आ सकता है। अब यह एक पेटेंट बेतुकेपन को जन्म देगा क्योंकि जैसा कि पहले ही दिखाया जा चुका है और आधिकारिक तौर पर धारा 15(2) में अंतर्निहित पूरी अवधारणा यह है कि संपत्ति की महिला मालिकों द्वारा बिक्री के मामले में, जिसे उन्होंने पुरुष मालिक के माध्यम से हासिल किया है, वही रहना चाहिए अंतिम पुरुष-मालिक के वंशजों में जिसके माध्यम से इसकी उत्पत्ति हुई थी। जैसे ही उप-धारा (1) का खंड (ए) लागू होता है, ऐसी महिला विक्रेता वंश का एक नया स्टॉक बन जाएगी
एक्स प्री-एम्प्शन के उद्देश्य जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति अंतिम पुरुष-मालिक के समान संबंधों के पूर्ण बहिष्कार के साथ उसके दूरस्थ संबंधों तक भी चली जाएगी। इस प्रकार अज्ञेय उत्तराधिकार और गाँव की कृषि जनजाति की एकरूपता को बनाए रखने का उद्देश्य और अवधारणा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। एक तरह से इस तरह के निर्माण से उप-धारा (2) के अधिनियमन का पूरा जोर ही बेकार हो जाएगा।

35. ऐसे निर्माण की विसंगतियाँ और भी अधिक भयावह हैं जहाँ बिक्री एक महिला द्वारा की जाती है जो संपत्ति की एकमात्र मालिक है और अपने पति या अपने बेटे के माध्यम से सफल हुई है। सबसे पहले अपने पति के माध्यम से उत्तराधिकार के मामले को लेते हुए, कानून उप-धारा (2) (बी) (प्रथम) के तहत पति के बेटे या बेटी को अपने ऊपर वरीयता देकर अपने स्वयं के मांस और रक्त को बाहर करने की हठधर्मिता है। progney. यह पुनः स्मरण और दोहराने योग्य है कि क़ानून को 1964 के अधिनियम संख्या 13 द्वारा संशोधित किया जाना था ताकि इस इरादे को स्पष्ट किया जा सके कि संपत्ति को अंतिम पुरुष धारक, अर्थात् पति और पति के स्टॉक से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी थी। उसके बेटे और बेटियाँ जिनके पास पूर्व-मुक्ति का प्रमुख अधिकार है। ऐसी स्थिति में यदि उप-धारा 1(ए) को लागू किया जाता है, तो भले ही संपत्ति पति के माध्यम से प्राप्त हुई हो, पूर्व-खाली देने वालों का अधिमान्य वर्ग पहले दूसरे पति से महिला विक्रेता का बेटा या बेटी होगा। (जो उप-धारा 2(बी) के तहत शर्तों में शामिल नहीं थे और इसके अलावा ऐसी महिला विक्रेता के बेटे के बेटे या बेटी के बेटे को '■^दूसरे पति' से बाहर रखा गया था। इसके अलावा उस संपत्ति में भी जिसके लिए वह अपने

पति के माध्यम से सफल हुई है। पूर्व-मुक्ति का अधिकार उप-खंडों दूसरे और तीसरे के तहत होगा, फिर उसके भाई या भाई के बेटे या यहां तक कि उसके पिता के भाई या पिता के भाई के बेटे को भी दिया जाएगा, जो उस गांव समुदाय से पूरी तरह से अलग हो जाएगा जहां उसके पति की भूमि स्थित होगी और अज्ञेय उत्तराधिकार के रखरखाव की अवधारणा का भी समान रूप से उल्लंघन होगा। इस प्रकार, पेश किए गए संशोधन द्वारा विधायी प्रकृति का स्पष्ट रूप से क्या इरादा और प्रभाव था, 1964 का पंजाब अधिनियम 13 पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

36. जितना अधिक कोई इस पहलू की जांच करता है, उप-धारा (2) को उप-धारा (1) के प्रावधान के रूप में काल्पनिक रूप से परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप विसंगतियां उतनी ही तीव्र होती जाती हैं। अब उस मामले को लीजिए जहां बिक्री 'संयुक्त भूमि में से एक हिस्से की महिला मालिक द्वारा की जाती है, जिसमें वह या तो अपने पिता या भाई या अपने पति या बेटे के माध्यम से सफल हुई है। प्री-एम्प्टर्स का उपवाक्य क्या होगा?

ऐसी स्थिति में उप-धारा (2) में उल्लिखित लोगों के समाप्त होने की स्थिति में और भी गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। यदि उप-धारा (1) का खंड (बी) भी बाद में लागू होता है तो एक सह-हिस्सेदार भी प्री-एम्प्टर की श्रेणी में होगा। बार में इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि किसी विशेष मामले में एक सह-हिस्सेदार पारिवारिक स्टॉक के लिए अजनबी हो सकता है। इसमें धारा 15(1)(बी) के तहत वह पूर्व-खाली करने वालों की श्रेणी में किरायेदार से ऊपर है। अज्ञेय रेखा में संपत्ति को बनाए रखने या कृषि समुदाय की एकरूपता को बनाए रखने की पूरी अवधारणा को उस क्षण से आगे बढ़ाया जाता है जब इस तरह के निर्माण को अपनाया जाता है।

37. उपरोक्त विसंगति से बचने के एक स्पष्ट प्रयास में, अपीलकर्ता की ओर से यह सुझाव देने की मांग की गई कि उप-धारा (1) में संबंधों के वर्ग को बाहर रखा जाना चाहिए और उप-धारा (2) के तहत उत्तराधिकारियों की विफलता पर) अकेले किरायेदार को पूर्व-खालीदारों के अवशिष्ट वर्ग के रूप में जोड़ा जा सकता है। उप-धारा (1) में रक्त-संबंधों को बाहर करने का यह विचित्र प्रयास, जो प्री-एम्प्टर्स का प्राथमिक और अधिमान्य वर्ग है, बिना किसी तर्क के उचित ठहराया जा सकता है और इस बारे में थोड़ा औचित्य नहीं उठाया जा सकता है कि रक्त-संबंध क्यों होने चाहिए प्री-एम्प्शन कानून में अंतर्निहित अज्ञेयवादी सिद्धांत की पूरी अवधारणा के बावजूद प्री-एम्प्शन के अधिकार से इनकार किया गया। वास्तव में, यह परस्पर संबंधों के बीच स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण होगा। धारा 15(2) के तहत, अज्ञेय संबंध प्री-एम्प्टर्स के वर्ग के लिए प्राथमिक स्रोत होगा, जबकि धारा के तहत रक्त संबंध। 15(1) को अब किरायेदार को प्रमुखता देने के लिए पूरी तरह से बाहर करने की मांग की गई है, जो अन्यथा इसमें आता है। उप-धारा (1) में प्री-एम्प्टर्स के सभी वर्गों के नीचे। इस प्रकृति का निर्माण पूर्व-उत्सर्जन के नियम को समाधान की सीमा से परे एक जिग्सॉ पहेली में बदल देगा।

38. इस तरह के रुख से उत्पन्न अंतहीन विरोधाभासों और विसंगतियों का सामना करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री सीबी गोयल स्पष्ट रूप से दुविधा में थे और अपने आधार को लेकर अनिश्चित थे। यह उनका पहला दृष्टिकोण था कि उप-धारा (2) में उल्लिखित प्री-एम्प्टर्स का अधिमान्य वर्ग समाप्त हो जाने के बाद उप-धारा (1) (ए) के पहले से चौथे खंड एकमात्र महिला के मामले में लागू होंगे। वह मालिक जो पुरुष मालिकों के माध्यम से संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। इसी प्रकार, ऐसी महिला मालिक द्वारा संयुक्त भूमि में से हिस्से की बिक्री के मामले में, उप-धारा 1 (बी) के पहले से पांचवें खंड फिर से लागू होंगे, इस प्रकार सह-हिस्सेदार को प्री-एम्प्टर के वर्ग में भी लाया जाएगा। इसी तरह का रुख अपनाने की मांग की

गई थी

उपधारा (1) के खंड (सी) के संबंध में भी। हालाँकि, तब इस स्थिति को यह तर्क देने के लिए वापस लेने की मांग की गई थी कि उपरोक्त सभी खंडों (ए), (बी) और (सी) में, संबंध पूर्व-खालीदारों को चुनिंदा रूप से काट दिया जाना चाहिए और किरायेदार और सह-हिस्सेदार, जैसा भी मामला हो, अकेले ही प्री-एम्प्टर्स के वर्ग के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। बाद के चरण में वकील अनिश्चित था कि खंड (बी) के तहत सह-हिस्सेदारों को अंदर आने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह किरायेदार के दावे को हरा देगा, भले ही वह उसके लिए अजनबी हो। अज्ञेय स्टॉक. अत्यंत सम्मान के साथ, मैं यह देखने में असमर्थ हूं कि किस सिद्धांत पर क़ानून पर इस तरह की कैंची और चिपकाने की कार्रवाई की जा सकती है और उसे व्याख्या की एक काल्पनिक प्रक्रिया द्वारा चुनिंदा रूप से फिर से लिखा जा सकता है। इस तरह के निर्माण का प्रयास परोक्ष लबादे और उसकी व्याख्या की आड़ में कानून के क्षेत्र में एक पेटेंट अतिक्रमण के रूप में प्रतीत होता है । गैर-अप्रत्याशित खंड को ख़त्म करना और एक उप-धारा को दूसरे प्रावधान के रूप में पढ़ना शुरू करना और उसके कुछ प्रावधानों को उनके स्पष्ट और प्राकृतिक अनुप्रयोग से चुनिंदा रूप से बाहर करना मुझे लगता है कि व्याख्या का क्षेत्र दूर-दूर तक नहीं बल्कि स्पष्ट हिंसा है। क़ानून की भाषा और उसके उद्देश्य और प्रावधानों को जानबूझकर ख़त्म करना।

39. पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 17 और 17-ए के प्रावधानों के संबंध में बहुत हंगामा किया गया था। यहां जिस बात को ध्यान में रखना है वह मुख्य नियम है कि एक स्व-निहित की व्याख्या करते समय पंजाब प्री-एम्पशन एक्ट, 1913 जैसा क़ानून। पूर्व की व्याख्या का सुराग पाने के लिए उसके 40 साल बाद बनाए गए एक पूरी तरह से अलग अधिनियम की परिभाषाओं या प्रावधानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। - इसके अलावा, सबसे पहले ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 17 के उद्देश्य और आयात के बारे में गलत धारणा है। इन प्रावधानों को लाने के लिए विधायिका को बाध्य करने वाले विस्तृत कारणों को पहले ही रेखांकित किया जा चुका है। इस निर्णय के पैराग्राफ संख्या 17 से 19 तक। इस प्रावधान को मुख्य रूप से किरायेदार को उसकी किरायेदारी से बेदखल करने के लिए पूर्व-खाली अधिकार के कुटिल उपयोग के खिलाफ किरायेदार की रक्षा करने के लिए अधिनियम में शामिल किया गया था और इस प्रकार पिछले दरवाजे से किरायेदारी की सुरक्षा और खरीद का अधिकार छीन लिया गया था जिसे मांगा गया था। उन्हें कृषि विधान द्वारा प्रदान किया गया। धारा 17 निश्चित रूप से सामान्य किरायेदार को प्री-एम्प्टर के आवश्यक वर्ग के रूप में शामिल करने के किसी बड़े उद्देश्य के लिए अधिनियमित नहीं की गई थी। दरअसल, अगर यही वस्तु होती तो

यह प्रावधान सीधे पंजाब प्री- एम्प्शन एक्ट में किया गया होता, न कि मुख्य रूप से कृषि विधान तक सीमित एक पूरी तरह से अलग क़ानून में। इस संदर्भ में समान रूप से जो बात उजागर करने लायक है वह यह है कि पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 18 और पूर्ववर्ती कानून द्वारा, पहली बार किरायेदारों को उनकी संतुष्टि पर उनकी किरायेदारी के तहत जमीन खरीदने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। उसमें निर्धारित शर्तें. हालाँकि, वास्तविक अभ्यास से पता चला है कि स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने का यह अंतिम लाभ जमींदारों द्वारा किए गए मिलीभगत हस्तांतरण द्वारा रद्द किया जा रहा था, जिसके बाद उनके अज्ञेय संबंधों द्वारा पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग किया गया, जिससे किरायेदारी ही ख़तरे में पड़ गई। समान रूप से, मकान मालिक द्वारा अपने किरायेदार को अपनी किरायेदारी के तहत भूमि की बिक्री पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 की असंशोधित धारा 15 के तहत अज्ञेय प्री-एम्प्टर्स के एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा प्री-एम्प्शन के लिए उत्तरदायी थी और आईएल था पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम की धारा 17 के तहत किरायेदार को इस हिंसक अधिकार से बचाने के लिए। 1953 में पेश किया गया था. धारा 17 के प्रावधानों पर एक स्पष्ट नज़र डालने से पता चलता है कि यह धारा 18 के संदर्भ से शुरू होती है और किरायेदारों को प्री-एम्प्शनर्स की श्रेणी में लाकर, उन्हें संबंधों से प्री-एम्प्शन के शिकारी अधिकार से बचाने की मांग की जाती है या विक्रेताओं के सह-हिस्सेदार। एक किरायेदार को पूर्ववर्ती असंशोधित धारा 15 के तहत मौजूदा अज्ञेय पूर्व-खालीदारों की लंबी कतार के खिलाफ खुद को बेहतर ढंग से बचाने में सक्षम बनाने के लिए प्री-एम्प्टर की श्रेणी में होना चाहिए। धारा 17 के बाकी प्रावधान आगे संकेत देंगे कि अधिकार केवल बड़े भूस्वामियों के हाथ में अधिशेष क्षेत्र में शामिल भूमि के संबंध में दिया गया था। फिर, यह अधिकार केवल उन किरायेदारों को प्रदान किया गया था जिन्होंने चार साल या उससे अधिक समय से भूमि पर लगातार कब्जा कर रखा था। मुख्य रूप से तेनानेव की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए असंख्य अतिरिक्त योग्यताएँ जुड़ी हुई थीं। यह स्पष्ट है कि धारा 17 ने कृषि विधान के विशेष प्रयोजनों के लिए और अपनी किरायेदारी की सुरक्षा के लिए अज्ञेय प्री-एम्प्टर्स के प्राथमिक वर्ग से नीचे के किरायेदारों को एक बहुत ही सीमित उद्देश्य के लिए एक बहुत ही सीमित अधिकार प्रदान किया था, जिसकी मांग की गई थी। मूल भूमि मालिकों द्वारा मिलीभगत से बिक्री के बाद अज्ञेय संबंधों के माध्यम से प्री-एम्प्शन सूट स्थापित करने की कुटिल प्रथाओं से इसे कमजोर कर दिया गया।

40. अब पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 17-ए पर आते हैं, जिसे पंजाब अधिनियम संख्या 14 द्वारा जोड़ा गया था।
1959, क़ानून में, यह उजागर करने योग्य है कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा धारा 17-ए को पढ़ने में एक पेटेंट ग़लतफ़हमी थी, जैसे कि इसने किरायेदार को पूर्व-मुक्ति का अधिकार प्रदान किया हो। स्पष्ट रूप से, यह ऐसा नहीं करता है और वास्तव में सामान्य किरायेदार को प्री-एम्प्टर की श्रेणी में रखने से बहुत दूर है। इसे सम्मिलित करने के कारणों और उद्देश्यों का उल्लेख इस निर्णय के पैराग्राफ संख्या 17 से 19 में पहले ही किया जा चुका है। धारा 17-ए ने जो कुछ किया वह किरायेदार के पक्ष में बिक्री होने पर उसके खिलाफ दूसरों में निहित प्री-एम्प्शन के समुद्री अधिकार के खिलाफ बचाव करना था। सही अर्थों में, धारा 17-ए, वास्तव में प्री-एम्पशन अधिकार का निर्माण है और पंजाब प्री-एम्पशन अधिनियम द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकारों का अपमान है, न कि उसका कोई

विस्तार। यह किसी भी तरह से किरायेदार को छूट का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है । इसे दूसरे शब्दों में कहें तो, यह किरायेदार को अज्ञेयवादी दावेदारों में निहित पूर्व-खाली अधिकार की तलवार के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता है। यह कहने के लिए कि क्योंकि विधायिका ने धारा 17-ए के तहत एक किरायेदार की रक्षा करने का फैसला किया है, तो उसे स्वयं-समान समुद्री डाकू का अधिकार भी दिया जाना चाहिए और विशेष रूप से उन महिला विक्रेताओं द्वारा की गई बिक्री के संबंध में जो संपत्ति में सफल रही हैं अपने पिता, भाइयों या पति के माध्यम से, न तो तर्कसंगत और न ही उचित प्रतीत होता है।

41. मेरा स्पष्ट मानना है कि पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 17 और 17-ए किरायेदारों को धारा के तहत आने वाली बिक्री के खिलाफ पूर्व-खालीदारों की श्रेणी में प्रवेश करने के अंतर्निहित अधिकार का दावा करने का अधिकार नहीं दे सकती है। व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा अधिनियम के 15(2) जब विधायिका ने उन्हें उसमें रखने का विकल्प नहीं चुना है।

42. मामले के इस पहलू से अलग होने से पहले, उस जुड़वां अभिधारणा को दोहराना आवश्यक हो जाता है जो धारा 15 की उप-धारा (2) के अधिनियमन को रेखांकित करती है। अधिनियम। यह स्पष्ट है कि विधायिका ने जानबूझकर महिला विक्रेताओं को उनके पिता, भाई, पति या पुत्रों के माध्यम से सफल होने पर एक विशेष - वर्ग में वर्गीकृत किया और उनके साथ स्पष्ट रूप से अनुकूल व्यवहार किया या किसी भी मामले में पुरुष-विक्रेताओं के साथ-साथ महिला विक्रेताओं की सामान्य स्थिति से अलग व्यवहार किया। उप-धारा (2) में निर्दिष्ट के अलावा स्व-अर्जित अनुपात या श्रेणियां। ऐतिहासिक रूप से, यह याद रखने योग्य है कि हिंदू महिला संपदा का वह विशेष वर्ग जो इससे मुक्त हुआ था। हिंदू की धारा 14 द्वारा इस तरह के स्वामित्व की बेड़ियाँ

उत्तराधिकार अधिनियम को पूर्व-उत्सर्जन के समुद्री अधिकार के विरुद्ध विशेष रूप से और अनुकूल तरीके से व्यवहार करने की मांग की गई थी। दूसरे, अधिनियम की धारा 15(2) में जो बात बड़ी है, वह अलग की गई संपत्ति का विधायी महत्व है, जो पुरुष -मालिक के वंशजों के भीतर पुरुष मालिक के माध्यम से महिला की वंशावली के पूर्ण बहिष्कार के लिए उत्तराधिकार में प्राप्त की गई थी। मालिक। यह इरादा पहले के रिवाज के अनुरूप था जो प्री-एम्पशन कानून की पूरी भावना को साबित करता है। वास्तव में, यह पूरी तरह से तब प्रकट होता है जब पंजाब अधिनियम 13, 1964 द्वारा अधिनियम की धारा 15 (2) के संशोधन पर एक विश्लेषणात्मक नजर डाली जाती है। इससे पहले संदेह पैदा हुआ था कि क्या उप-धारा (2) के तहत, पुत्र किसी अन्य पति की महिला विक्रेता प्री-एम्प्टर की श्रेणी में होगी या नहीं। विधायिका ने मूल मालिक के वंशजों से अलग की गई संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण के खिलाफ पूरी तरह से अपना रुख अपनाया। इसने अपने इरादे या उसके अनुसार उपधारा (2) का स्पष्ट उद्देश्य क्या था, इसे गुप्त नहीं रखा। यह संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के निम्नलिखित शब्दों में प्रकट होता है: -

> "ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब प्री-एम्प्शन *(संशोधन)* अधिनियम *(* 1960 का पंजाब अधिनियम संख्या 10) की धारा 15 (2) को अधिनियमित करने में विधायिका का उद्देश्य संतानों में प्री-एम्प्शन का अधिकार निहित करना था। उस संपत्ति के संबंध में पति जिसके लिए एक महिला ऐसे पति के माध्यम से सफल हुई थी। परन्तु धारा 15(2) के खण्ड (बी) में प्रयुक्त शब्दों से यह आशय स्पष्ट नहीं है। वर्तमान धारा में ऐसी महिला के किसी अन्य पति से उत्पन्न पुत्र या पुत्री तथा ऐसी महिला के पति के भाई या भाई के पुत्र को भी शामिल किया जा सकता है, सिवाय उस महिला के जिसके माध्यम से वह संपत्ति में सफल हुई है।
>
> प्रावधान में एक और दोष यह है कि एक ही पति की दूसरी पत्नी से होने वाली संतान को मौजूदा प्रावधानों में इस्तेमाल किए गए शब्दों से बाहर रखा गया है, जिससे ऐसा लगता है कि यह अनजाने में हुआ है।
>
> संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है ताकि इस संशोधन का लाभ ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके जो 1960 के अधिनियम 10 के अधिनियमन के बाद से इसके हकदार हो गए हों, लेकिन खंड (बी) के प्रारूपण में अनजाने दोष के लिए धारा 15(2). इसलिए यह विधेयक

संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्व पति की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र को न केवल वरीयता में पूर्व-मुक्ति का अधिकार दिया गया।

लेकिन यहां तक कि ऐसी महिला विक्रेता के अपने बेटे और बेटियों को भी पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया। अब यदि विधायिका ने अपने स्वयं के मांस और रक्त, अर्थात् उसके बेटे या बेटी को किसी अन्य पति से प्री-एम्प्टर की श्रेणी से बाहर करने का फैसला किया है, तो क्या यह उचित होगा कि ऐसी महिला विक्रेता के मात्र किरायेदार को अब इसमें शामिल किया जाना चाहिए व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा प्री-एम्प्टर्स का वर्ग। सूचक स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 15(2) की संपूर्ण विचारशील भावना अलग की गई संपत्ति को अंतिम पुरुष-धारक के वंशजों में रखना और पूर्व-खाली अधिकार को निकटतम संबंधों तक सीमित रखना है। यह महत्वपूर्ण है कि उप-धारा (2) के तहत अंतिम पुरुष-धारक के दूर के संबंधों को भी बाहर रखा गया है (उप-धारा (1) के तहत अज्ञेय दावेदारों की लंबी कतार के विपरीत), और महिला विक्रेता के संबंध

किसी पुरुष मालिक के माध्यम से सफल होने को पूर्व-उत्सर्जन के प्रयोजनों के लिए नया स्टॉक बनने से रोकने के स्पष्ट उद्देश्य से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। उप-धारा (2) के तहत, विधायिका ने जानबूझकर पूर्व की संख्या के वर्ग को सीमित और कम कर दिया है -एम्प्टर्स। पूरा उद्देश्य महिला विक्रेताओं के मामले में प्री-एम्प्टर्स की संख्या में कटौती करना प्रतीत होता है, जो पुरुष-मालिकों के निर्दिष्ट वर्ग के माध्यम से संपत्ति में सफल हुए हैं। विधायिका के इस स्पष्ट इरादे के विपरीत विपरीत दिशा में जाने के लिए और उप-धारा (1) में सभी संबंधों के साथ-साथ सह-हिस्सेदारों या किरायेदारों को भी शामिल करके प्री-एम्प्टर्स के वर्ग की सूची का विस्तार करना, मेरे विचार में, विधायिका के उद्देश्य और इरादे को निराश करना है। उप-धारा (2) को अधिनियमित करना और इस प्रकार पुरुष-मालिकों के निर्दिष्ट वर्ग के माध्यम से सफल होने वाली महिला विक्रेताओं को अपने स्वयं के एक अलग वर्ग के रूप में मानना, जिनके मामले में पूर्व-खाली करने वालों की संख्या को बढ़ाने के बजाय कम और कम किया जाना था।

43. फिर, ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही पूरी तरह से तर्क के लिए अपीलकर्ता के वकील के रुख को स्वीकार कर लिया जाए, फिर भी इससे अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) की व्याख्या करने में शायद ही कोई अंतर आएगा। यदि उप-धारा (2) को एक परंतुक के रूप में पढ़ा जाना है और परिणामस्वरूप उसके प्रारंभिक भाग में "उपधारा (1) में किसी बात के बावजूद" शब्दों के स्थान पर "प्रदान किया गया" शब्द रखा जाना है (जैसा कि तर्क दिया गया है) अपीलकर्ता की ओर से), परिणामी व्याख्या आम तौर पर अभी भी वही होगी। यहां तक कि जब पढ़ा जाएगा, तो यह स्पष्ट होगा कि उप-धारा (2) अभी भी विक्रेताओं के एक विशेष वर्ग से निपटेगी, अर्थात्; केवल महिला विक्रेता और केवल इतना ही नहीं, बल्कि आगे स्पष्टीकरण के साथ कि संपत्ति
अलगाव का उत्तराधिकारी पिता, भाई या पति के माध्यम से हुआ होगा। स्पष्ट रूप से, इसलिए, ऐसा प्रावधान पूर्ववर्ती सामान्य प्रावधानों को खत्म कर देगा और एक अपवाद के रूप में होगा क्योंकि पूर्व में केवल पुरुष विक्रेताओं के साथ ही आम तौर पर महिला विक्रेताओं के साथ भी व्यवहार किया जाता है जो निर्दिष्ट वर्ग के माध्यम से संपत्ति में नहीं आए हैं। पुरुष-मालिक. यह लगातार प्रतीत होता है कि भले ही उप-धारा (2) को प्रावधान के रूप में पढ़ा जाता है, यह महिला-विक्रेताओं के विशेष वर्ग को उप-धारा (1) के सामान्य प्रावधानों से अपवाद के रूप में बाहर कर देगा, जिसमें कोई नहीं होगा आवेदन पत्र।

44. अंत में, हालांकि अपीलकर्ता की ओर से पेश किया गया तर्क यह था कि उप-धारा (2) को पूर्ववर्ती उप-धारा (1) के प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, अपीलकर्ता के रुख का पूर्ण और गहन विश्लेषण से पता चलता है इसका वास्तविक व्यावहारिक प्रभाव उप-धारा (1) को अधिनियम की उप-धारा 15(2) के प्रावधान के रूप में पढ़ना दिलचस्प होगा। अपीलकर्ता के मामले में यह दूर-दूर तक नहीं था कि एक महिला विक्रेता के मामले में जो अपने पिता, भाई या पति के माध्यम से संपत्ति में सफल हुई थी, धारा 15(1) के प्रावधान पहली बार में आकर्षित होंगे। यह सबसे स्पष्ट था और ऐसे मामले में, यह उप-धारा (2) है जिसे आवश्यक रूप से लागू और लागू किया जाना है। उप-धारा (2) में उल्लिखित प्री-एम्प्टर्स के सभी खंड समाप्त होने के बाद ही, केवल तभी पूर्ववर्ती उप-धारा (1) में प्री-एम्प्टर्स के वर्ग का सहारा लिया जा सकता है। संक्षेप में, इसलिए, जिस निर्माण का प्रचार किया जाना था वह पहले उप-धारा (2) को लागू करना था और उसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो चुनिंदा रूप से उप-धारा (1) का सहारा लेना था। इसलिए, स्पष्ट रूप से, उप-धारा (1) बाद में ही लागू हो सकती है जब उप-धारा (2) में प्री-एम्प्टर्स की सभी श्रेणियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए, पहले की उप-धारा (1) को पुरुष-

मालिकों के माध्यम से सफल होने वाली महिला विक्रेताओं के विशेष वर्ग में उप-धारा (2) के मुख्य रूप से लागू प्रावधानों के प्रावधान में परिवर्तित करने की मांग की गई है। सबसे बड़े सम्मान के साथ, लौकिक भाषा में इसे ही कहा जाता है - घोड़े के आगे गाड़ी लगाना। अपीलकर्ता के रुख का परिणाम यह है कि उप-धारा (1) की पूर्व अनुमति की मांग की गई है, ताकि निर्माण के निर्धारित सिद्धांतों के खिलाफ उप-धारा (2) में प्रावधान किया जा सके कि एक प्रावधान अनिवार्य रूप से मुख्य खंड का पालन करेगा और जाहिर तौर पर उससे पहले नहीं हो सकता. " '

45. अंतिम अनुपात में, अपीलकर्ता की ओर से रुख केवल उप-धारा (2) को काल्पनिक रूप से पढ़कर ही प्रभावी किया जा सकता है।

कुछ हद तक निम्नलिखित शर्तों में विस्तृत रूप से जोड़ा गया खंड: -

"15 (2)- (ए) -(बी)

(सी) यदि पूर्वोक्त खंड (ए) या खंड (बी) के तहत प्री-एम्प्शन का अधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है या इसका प्रयोग करना चाहता है, तो कृषि भूमि और गांव की अचल संपत्ति के संबंध में प्री-एम्प्शन का अधिकार निहित होगा :—

(i) . जहां बिक्री एकमात्र महिला-मालिक द्वारा की जाती है, जो धारा 15(1) के उपखंडों, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में निर्दिष्ट व्यक्तियों में, अपने पिता, भाई, पति या बेटे के माध्यम से संपत्ति में सफल हुई है (ए) ;

(ii) जहां बिक्री एक महिला-मालिक द्वारा की जाती है, जो अपने पिता, भाई, पति या बेटे के माध्यम से संयुक्त भूमि या संपत्ति में से एक हिस्से की संपत्ति में सफल रही है और " सभी सह-हिस्सेदारों द्वारा संयुक्त रूप से नहीं की गई है व्यक्तियों में, में धारा 15(1)(बी) के उप-खंड, पहले दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें;

(iii) जहां बिक्री एक महिला-मालिक द्वारा की जाती है, जो संपत्ति में अपने पिता, भाई, पति या बेटे के माध्यम से संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्ति में सफल रही है और सभी सह-हिस्सेदारों द्वारा संयुक्त रूप से, उप-खंडों में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा की जाती है , पहले , धारा 15(1)(सी) का दूसरा, तीसरा और चौथा।

मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कोई उपरोक्त शर्तों में क़ानून को फिर से लिख सकता है और उसमें उपरोक्त सभी खंड शामिल कर सकता है जिसे विधायिका ने सलाह दी है कि ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना गया है। यह सात दशक से भी पहले लॉर्ड मर्सी द्वारा थॉम्पसन बनाम गूल्ड एंड कंपनी , (31) में कहा गया था। [1]

"संसद के अधिनियम में ऐसे शब्दों को पढ़ना एक मजबूत बात है -> जो वहां नहीं हैं और स्पष्ट आवश्यकता के अभाव में, ऐसा करना एक गलत बात है।"

व्याख्या की आड़ में विधायी कार्य को नग्न रूप से हड़पना नहीं होगा। मैं किसी से पीछे नहीं हूं

(31) 1910 A.C. 409.

अत्यधिक सख्त शाब्दिक निर्माण के खतरों के प्रति सचेत रहना जो कभी-कभी विधायिका के इरादे को विफल और बाधित कर सकता है। किसी अस्पष्ट क़ानून की व्याख्या करने में कठिनाई का सामना करने वाले न्यायाधीश को अपने हाथ नहीं मोड़ने चाहिए, बल्कि विधायिका के वास्तविक इरादे को खोजने के कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी यह अभ्यास - क़ानून की बनावट तक ही सीमित है और जैसा कि कहा गया था सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स आईडी में लॉर्ड जस्टिस डेन निंग द्वारा । वी. आशेर, (32). "एक न्यायाधीश को उस सामग्री को नहीं बदलना चाहिए जिससे यह बुना गया है, लेकिन वह सिलवटों को ठीक कर सकता है और करना भी चाहिए"। उस सादृश्य को ध्यान में रखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि यहां एक श्रेणीगत गैर-प्रमुख खंड को एक परंतुक में परिवर्तित करना और धारा 15(2) में एक संपूर्ण खंड (सी) सम्मिलित करना एक क्रीज को इस्त्री करना नहीं है, बल्कि कैनवास को रेशम में बुनना है। सीमाओं के भीतर न्यायिक सक्रियता निस्संदेह एक सराहनीय गुण है। हालाँकि, चरम सीमा तक पहुँचने पर, इसके भीतर न्यायिक अराजकता के बीज मौजूद हैं। यहां जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह, अतिवाद के झूठ से बचना होगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में लॉर्ड सिमोंड द्वारा डेनिंग, मैगोर और सेंट मेलोंस ग्रामीण जिला परिषद और न्यूपोर्ट कॉर्पोरेशन में एलजे को दी गई क्लासिक फटकार को याद करना उचित होगा :—•

> "...न्यायालय का कर्तव्य विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या करना है; वे शब्द अस्पष्ट हो सकते हैं, लेकिन, भले ही वे हों, खोज की यात्रा पर उनके बाहर यात्रा करने की अदालत की शक्ति और कर्तव्य सख्ती से सीमित हैं: उदाहरण के लिए, असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड बनाम अंतर्देशीय राजस्व देखें आयुक्त, (33) और विशेष रूप से लॉर्ड राइट की टिप्पणियाँ।
>
> "परिच्छेद का दूसरा भाग जिसे मैंने विद्वान लॉर्ड जस्टिस के फैसले से उद्धृत किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पहले भाग की तार्किक अगली कड़ी है। अदालत को, संसद और मंत्रियों की मंशा का पता चलने के बाद, कमियों को भरने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो विधायिका ने नहीं लिखा, वह न्यायालय को अवश्य लिखना चाहिए। यह प्रस्ताव, जो सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम आशेर (जिसका उल्लेख स्वयं लॉर्ड जस्टिस करते हैं) के पहले मामले में लॉर्ड जस्टिस द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को नए रूप में दोहराता है, का समर्थन नहीं किया जा सकता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्याख्या के छद्म आवरण के तहत विधायी कार्य का घृणित अतिक्रमण है । और जब यह अनुमान लगाया जाता है तो यह कम उचित होता है

(32~lM971)~k.B'49L '

(33) 1952 एसी (हाउस ऑफ लॉर्ड्स) 189।

यदि विधायिका ने अंतर को पाट दिया होता, तो उसे किस सामग्री से भरती। यदि कोई अंतर प्रकट किया जाता है, तो उसका समाधान एक संशोधन अधिनियम में निहित है।"

हालाँकि, फोरेंसिक प्रक्रिया की प्रकृति द्वारा न्यायिक कानून सुधार पर लगाई गई सीमाएं और अनियंत्रित न्यायिक कानून बनाने के कुछ हद तक खतरनाक परिणामों को निम्नलिखित क्लासिक शब्दों में अच्छी तरह से दर्शाया गया है। डुपोर्ट स्टील्स लिमिटेड बनाम सर्स में लॉर्ड स्कार्मन, (34)।

"न्यायाधीशों को दी गई विवेकाधीन शक्तियों की चौड़ाई में कानूनी प्रणालियाँ भिन्न होती हैं; लेकिन विकसित समाजों में सीमाएँ अलग-अलग निर्धारित होती हैं, जिसके आगे न्यायाधीश नहीं जा सकते। ऐसे समाजों में न्याय को मार्गहीन, भले ही फैले हुए ओक के पेड़ के नीचे बैठे अनुभवी ऋषि-मुनि पर नहीं छोड़ा जाता है।

इन सीमाओं के भीतर, जिसे एक स्वतंत्र समाज में नहीं कहा जा सकता है जिसमें वैकल्पिक विधायी संस्थान संकीर्ण या बाधित हैं, न्यायाधीशों की, जैसा कि लॉर्ड बैनिंग एमआर के उल्लेखनीय न्यायिक करियर से पता चलता है, एक वास्तविक रचनात्मक भूमिका होती है। महान न्यायाधीश अपने-अपने तरीके से न्यायिक कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन अगर न्यायिक स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डालना है तो संविधान की शक्तियों के पृथक्करण, या अधिक सटीक रूप से कार्यों का पालन किया जाना चाहिए। क्योंकि, यदि लोग और संसद यह सोचते हैं कि न्यायिक शक्ति को न्यायाधीश की सही समझ के अलावा किसी और चीज तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए (या, जैसा कि सेल्डन ने कहा, चांसलर के पैर की लंबाई तक), तो न्यायिक प्रणाली में विश्वास होगा इसके स्थान पर इसके आवेदन में अनिश्चितता और मनमानेपन का भय व्याप्त हो जाएगा।"

(46) प्रश्न संख्या (3) और (4) (उपरोक्त पैरा संख्या 7 में तैयार) पर चर्चा को समाप्त करने के लिए, यह माना जाता है कि धारा 15 की उप-धारा (2) एक स्वतंत्र स्व-निहित प्रावधान है और इसे इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता है पूर्ववर्ती उपधारा (1) का एक मात्र परंतुक। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, प्रश्न संख्या (4) का उत्तर नकारात्मक में प्रस्तुत किया गया है और यह माना जाता है कि किरायेदार या सह-हिस्सेदार को उप-धारा (2) के अंतर्गत आने वाले मामलों में पूर्व-खाली का कोई अधिकार नहीं है। अधिनियम की धारा 15.

(47) चार बुनियादी प्रश्नों के दिए गए उत्तरों के प्रकाश में , यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को कलवा [1"बी], वासाखा सिंह और अन्य में असफल होना चाहिए। 1969 का आरएस ए 67। उसमें पूर्व-खाली अधिकार का दावा मुख्य रूप से उन महिला-मालिकों द्वारा की गई बिक्री के संबंध में

(34) (1980) 1 W.L.H. 142.

किरायेदार होने के आधार पर किया गया था, जो अपने पिता या पति से कृषि भूमि में सफल हुई थीं। सह-हिस्सेदार के आधार पर प्री-एम्प्शन के दावे के संबंध में, प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले के औचित्य के खिलाफ कोई सार्थक तर्क नहीं दिया गया था, इसलिए, इस अपील को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया गया है। बल्कि जटिल मुद्दे शामिल हैं।

(48) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का यह रुख था कि मूल मुद्दे के अलावा, जिसके कारण बड़ी बेंच को यह संदर्भ देना आवश्यक हो गया है, निर्धारण के लिए अन्य प्रश्न भी उठते हैं। हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि इन अपीलों को अब कानूनी प्रश्नों के दिए गए उत्तरों के अनुसार निपटान के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

डीएस तेवतिया, जे.

(49) मुझे विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए फैसले को पढ़ने का सौभाग्य मिला है और उनके द्वारा दिए गए विचारों को मेरे द्वारा बहुत आदर और सम्मान दिए जाने के बावजूद, मुझे उनके द्वारा दिए गए विचारों से सहमत होना मुश्किल लगता है। और, इसलिए, अलग राय जो इसके बाद चलती है।

(50) क्या पंजाब प्री-एम्पशन एक्ट (1913 का अधिनियम 1) की धारा 15(1) के तहत प्री-एम्प्शन के रूप में सूचीबद्ध सभी या केवल कुछ व्यक्तियों के प्री-एम्प्शन का अधिकार है, जिसे इसके बाद एक्ट के रूप में जाना जाता है। , उक्त उप-धारा (2) के तहत निपटाई गई बिक्री के संबंध में उप-धारा (2) के आधार पर बाहर रखा गया है, यहां तक कि उप-धारा (2) के तहत प्री-एम्प्टर के रूप में सूचीबद्ध व्यक्तियों द्वारा अधिकार का लाभ उठाने में विफलता की स्थिति में भी। धारा (2), कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर देना आवश्यक है।

(51) उठाए गए प्रश्न पर एकमात्र तथ्य जो कानूनी प्रस्ताव को सही परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि सभी चार आरएसए में पूर्व-खालीकर्ता हैं। 1969 की संख्या 67 और 97, 1979 की 538 और 1980 की 2596 - आरएसए में किरायेदार। संख्या 67 और, 97 का +), 1969 और 2596 का 1980 और 1979 के आरएसए 538 में संयुक्त विक्रेताओं में से दो के बेटे - अधिनियम की धारा 15(1) के तहत सूचीबद्ध प्री-एम्प्टर्स की श्रेणी से हैं। जबकि बिक्री उनके द्वारा पूर्व-खाली करने की मांग की गई थी

> अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में उल्लिखित व्यक्तियों और संपत्ति द्वारा बनाए जाने का आरोप है। शर्मा, जे. ने अपने आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 1980 द्वारा इन अपीलों को सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास निर्णय के लिए भेजा है और इस प्रकार ये अपीलें हमारे सामने हैं।
>
> (52) अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों ने पंजाब 'प्री एम्पशन (संशोधन) अधिनियम, 1960' के परिणामस्वरूप वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। तब से, ऊपर उठाया गया प्रश्न विचार के लिए सामने आया है। यह गणना, एक बार नहीं बल्कि कई बार की गई है, और/न्यायालय ने, चाहे चैंबर में न्यायाधीश के माध्यम से बोल रहा हो या बड़ी बेंचों के माध्यम से, एक स्वर से प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया है। लंबे समय से न्यायालय में इस तरह की एकमत राय के बावजूद, दृष्टिकोण की शुद्धता के बारे में एक गंभीर संदेह बना हुआ है और संदेह निर्विवाद रूप से एक वास्तविक दृढ़ विश्वास से कायम है कि विधायिका इस तरह के 'अतार्किक परिणाम का इरादा नहीं कर सकती थी। , जैसा कि

सामने आएगा यदि पूछे गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, जैसा कि वर्तमान में दिखाया जाएगा।

(53) सबसे पहले इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विहंगम दृष्टि डालें और इस निष्कर्ष के समर्थन में उसमें नियोजित तर्क कि अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2 जे) का प्रावधान प्री-एम्प्टर्स को प्री-एम्प्ट का अधिकार देने के लिए संपूर्ण है। उसमें उल्लिखित बिक्री और उप-धारा (2) में उल्लिखित व्यक्तियों के प्री-एम्प्शन लेने में असफल होने की स्थिति में भी, उप-धारा (1) में प्री-एम्प्शन के रूप में उल्लिखित व्यक्ति ऐसा करने के हकदार नहीं होंगे। । ' जे

(54) देबी राम और अन्य बनाम श्रीमती में। चदम्बेली और अन्य, (35), शमशेर बहादुर, जे, (जैसा कि वह तब था) सह-हिस्सेदारों के अधिकार के संबंध में अधिनियम की धारा 15 (2) के दायरे से निपटने के दौरान अकेले बैठे थे। महिला, ने माना कि-

> उप-धारा (2) में प्रयुक्त शब्द 'उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद ' संकेत देते हैं कि उप-धारा (2) में जो कुछ भी कहा गया है वह प्रबल होगा। उपधारा (1) में मान्यता प्राप्त अधिकारों पर । उपधारा '(2)' बिक्री से संबंधित है

> महिलाओं से संबंधित संपत्तियों की, जिन पर वे या तो पैतृक रूप से या अपने पतियों के माध्यम से सफल हुई हैं। किसी भी घटना में, सह-हिस्सेदार संभावित पूर्व-खालीकर्ता के रूप में बिल्कुल भी तस्वीर में नहीं आते हैं। उन्हें, भले ही खाता संयुक्त हो, प्री-एम्प्शन की रात का उपयोग करने से बाहर रखा गया है, जिसके वे धारा 15 के उप-धारा (1), खंड (बी) चौथे के तहत हकदार हैं।

संता सिंह बनाम हजारा सिंह और अन्य में, (सुप्रा) डीके मोहनजन, जे. (जैसा कि वह तब थे) ने अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) और (2) के प्रावधानों पर विचार करते हुए मानदंड अपनाया कि ए विशिष्ट प्रावधान सामान्य प्रावधान को बाहर कर देगा। उन्होंने उप-धारा (2) को विशिष्ट प्रावधान और उप-धारा (1) के प्रावधानों को सामान्य प्रावधान माना और माना कि उप-धारा (2) के प्रावधान विषय पर उप-धारा (1) के प्रावधानों के आवेदन को बाहर रखते हैं। पूर्व प्रावधान द्वारा निपटाया गया।

(55) मोहिंदर सिंह और अन्य बनाम मोहिंदर कौर और अन्य में , 36 ए डीके महाजन, जे. (जैसा कि वह तब था)^ ने केवल एस-एमटी में अपने पहले के फैसले का पालन किया । जोगिंदर कौर बनाम जसबीर सिंह (36)।

(56) जय सिंह बनाम मुगला और अन्य में , (37) नरूला, जे. (जैसा कि वह तब थे), डिवीजन बेंच के लिए राय देते समय जिसमें महाजन, जे. (जैसा कि वह तब थे) एक पक्ष थे - ने एक संदर्भ दिया इस तथ्य से कि अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होती है और इसलिए, उप-धारा (1) के प्रावधान को उप-धारा (2) के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। यदि कोई मामला दोनों उप-धाराओं के अंतर्गत आता है, तो यह उप-धारा (2) थी जो उस पर लागू होगी, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि इसे उप-धारा (1) के अंतर्गत भी शामिल किया जा सकता है। उनका यह भी विचार था कि भले ही प्रावधान दो संभावित व्याख्याओं में सक्षम था, जैसा कि वास्तव में यह पहली नज़र में प्रतीत होता है, वह इसे इस तरह से व्याख्या करना पसंद करेंगे ताकि विक्रेता और विक्रेताओं को उनके मौलिक अधिकार को संरक्षित किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(एफ) के तहत संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और निपटान करने का अधिकार गारंटीकृत है। हालाँकि , पूर्व-मुक्ति का अधिकार, निस्संदेह , उपरोक्त मौलिक अधिकार पर एक प्रतिबंध था।

(36) 1965 ~पीएलआर 1158।" '/ .77"
(36-ए) 1966 पीएलआर 835. जे,;
(37) 1967 पीएलआर 475.

इसमें कोई संदेह नहीं है, इसे संविधान के अनुच्छेद 19' के खंड (5) द्वारा बचाया गया था , जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था, फिर भी, प्री-एम्प्शन का अधिकार प्रकृति में समुद्री डाकू है, इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए ताकि इसे प्रदान न किया जा सके। किसी भी व्यक्ति पर प्री-एम्प्शन का अधिकार है जो अन्यथा संपत्ति के मौलिक अधिकार का विनाशकारी था, जो अधिकार विधायिका द्वारा इच्छित प्री-एम्प्टर को विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया था।

(57) कर्ता राम और अन्य बनाम ओम प्रकाश, *(38)* मामले में पांच न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ के लिए राय देते हुए, इस न्यायालय द्वारा कोसों, देबी राम और अन्य (सुप्रा) में अपनाए गए सुसंगत दृष्टिकोण का अनुकूल उल्लेख करने के बाद। ; संता सिंह .(सुप्रा); जय सिंह (सुप्रा); और मोहिंदर सिंह और अन्य बनाम बलबीर कौर (सुप्रा) ने देखा कि-

> "मेरी राय में, धारा 15 (2) (ए) में प्रयुक्त भाषा कोई अन्य व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। इसमें कहा गया है कि धारा 15(1) में उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, जहां बिक्री एक महिला द्वारा की गई है और संपत्ति की वह अपने भाई के माध्यम से सफल हुई है, तो पूर्व-मुक्ति का अधिकार उसके भाई में निहित होगा या भाई का बेटा. दूसरे शब्दों में, प्री- एम्पशन अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) में जो कहा गया है, उसके बावजूद ऐसी बिक्री के लिए प्री-एम्प्शन का अधिकार किसी और में निहित नहीं होगा । क़ानून की भाषा स्पष्ट होने और कोई अन्य व्याख्या करने में सक्षम नहीं होने के कारण, यह सुझाव देना बेकार है कि उन व्यक्तियों की अनुपस्थिति में जिनके पास धारा 15 की उप-धारा (2) (ए) के तहत छूट का अधिकार है, अन्य प्री-एम्प्शन एक्ट की धारा 15 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को भी प्री-एम्प्शन का अधिकार होगा"

मेहर सिंह, सी.जे. इनिसूरजा और अन्य बनाम सिंट। छोटो और अन्य, *(^),* पहले के निर्णयों का अनुकूल उल्लेख करने के बाद, केवल देबी राम और एक अन्य (सुप्रा) संता सिंह (सुप्रा) में पहले के निर्णयों का पालन किया ; और सुरजीत सिंह बनाम नज़ीर सिंह, (सुप्रा)।

(38) 1970 पीएलजे 815।
(39) 1972 पीएलजे 732.

(58) में बरबंस सिंह, जे. (जैसा कि वह तब थे) का भी वही प्रभाव था, जो पहले के निर्णयों में था।

(59) अमर नाथ बनाम श्रीमती में। निर्मल कुमारी और अन्य (सुप्रा), सूरी, जे. ने केवल पहले के निर्णयों का पालन किया। इसी प्रकार बैंस, जे. मोहिंदर सिंह और अन्य बनाम हर किशन और अन्य (40), सीएस तिवाना, जे., अनुप सिंह और अन्य बनाम इलम चंद (सुप्रा) और जे., वी. गुप्ता, जे. मामले में भी नंद राम बनाम पहलाद सिंह और अन्य (41) और चंदर और

अन्य बनाम चाओ खान और अन्य (सुप्रा)।

(60) क़ानूनों की व्याख्या के संबंध में आधिकारिक पाठ और निर्णयों द्वारा अच्छी तरह से तय किए गए संकेतों के प्रकाश में देखा जाता है, तो ऊपर उल्लिखित निर्णयों की अपर्याप्तता स्पष्ट रूप से सामने आएगी। सबसे पहले, क्रॉफर्ड द्वारा लिखित 'वैधानिक निर्माण* के प्रसिद्ध पाठ से निम्नलिखित अंश पर ध्यान दिया जा सकता है ■- पृष्ठ 269 और 270 पर - इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि यह विधायिका का इरादा है जो कानून का गठन करता है कोई भी क़ानून जिसे प्रभावी किया जाना चाहिए, भले ही उसमें चूक की आपूर्ति की आवश्यकता हो।

> "लेकिन, चूंकि यह विधायिका का इरादा है जो किसी भी क़ानून के कानून का गठन करता है और चूंकि निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य उस इरादे को सुनिश्चित करना है, ऐसे इरादे को प्रभावी किया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए चूक की आपूर्ति की आवश्यकता हो, बशर्ते, निस्संदेह, यह विधायी मंशा को प्रभावित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि छोड़े गए मामले को क़ानून के संचालन में केवल तभी शामिल किया जा सकता है, जब विधायिका इसे शामिल करने का इरादा रखती है लेकिन वास्तव में उस भाषा का उपयोग करने में विफल रही है जो, पहली नज़र में, छोड़े गए मामले को कवर करेगी। समावेश तब उचित होगा, यदि विभिन्न आंतरिक और बाह्य सहायता से, छोड़े गए मामले को शामिल करने के विधायिका के इरादे को निश्चितता की उचित डिग्री के साथ सुनिश्चित किया जा सके ।

(40) 1976 पीएलजे 605।

(41) 1979 पीएलजे 307.

ब्रैडलॉफ बनाम क्लार्क, *(42)* में लॉर्ड ब्लैकमर्न ने इसी दृष्टिकोण को निम्नलिखित शब्दों में समझाया:

> "सभी क़ानूनों का अर्थ न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए ताकि उस इरादे को प्रभावी बनाया जा सके जो क़ानून में प्रयुक्त शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। लेकिन इसकी खोज उन शब्दों पर संक्षेप में विचार करके नहीं की जा सकती है, बल्कि यह पूछताछ करके की जा सकती है कि विषय-वस्तु के संदर्भ में और जिस वस्तु के साथ वह क़ानून बनाया गया था, उसके लिए किसी क़ानून में उपयोग किए गए उन शब्दों द्वारा क्या इरादा व्यक्त किया गया है; यह न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न है, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह उद्देश्य क्या था जिसके लिए ऐसा प्रतीत होता है कि क़ानून बनाया गया था। शब्दों का अर्थ भाषा की सख्त व्युत्पत्ति संबंधी औचित्य में या यहां तक कि लोकप्रिय उपयोग में इतना अधिक नहीं पाया जाता है, जितना कि उस विषय या अवसर में पाया जाता है जिस पर उनका उपयोग किया जाता है और जिस वस्तु को प्राप्त करने का इरादा है। वह विषय-वस्तु जिसके साथ विधायिका निपट रही थी, और उस समय मौजूद तथ्य जिसके संबंध में विधायिका कानून बना रही थी, यह सुनिश्चित करने के लिए वैध विषय हैं कि अधिनियम पारित

करने में विधायिका का उद्देश्य और उद्देश्य क्या था।

शेख गल्फ और अन्य बनाम संत कुमार गांगुली में । (43) इस संबंध में उनके आधिपत्य द्वारा इस प्रकार देखा गया है:

> "अक्सर किसी वैधानिक प्रावधान की व्याख्या करते समय, क़ानून की विषय-वस्तु और उसके उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। हासिल करने का इरादा है. यही कारण है कि प्रासंगिक शब्दों के वास्तविक दायरे और प्रभाव से निपटने में, वह संदर्भ जिसमें शब्द आते हैं, क़ानून का उद्देश्य जिसमें प्रावधान शामिल है, और क़ानून में अंतर्निहित नीति प्रासंगिक और भौतिक हो जाती है ....."

लॉर्ड कोक, एक प्रसिद्ध मामला: हेडन का मामला (44) ने इस संबंध में निम्नलिखित आदेश दिया:

"वास्तविक अर्थ तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य, दायरे और वस्तु की सटीक अवधारणा प्राप्त करना हमेशा आवश्यक होता है

(42) (1883)8 *i735 एल

(43) एआईआर 1965 एससी 1839।

(44) (1584)3 कंपनी प्रतिनिधि 7 बी।

संपूर्ण अधिनियम; विचार करने के लिए, (1) अधिनियम पारित होने से पहले कानून क्या था; (2) किसलिए उत्पात या दोष था। जिसका क़ानून ने प्रावधान नहीं किया था; (3) संसद ने क्या उपाय नियुक्त किया है; और (4) उपाय का कारण।"

एक और प्रासंगिक अवधारणा यह है कि किसी क़ानून के प्रत्येक खंड को संदर्भ और अधिनियम के अन्य खंडों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, ताकि जहां तक संभव हो, संपूर्ण क़ानून या क़ानूनों की श्रृंखला का एक सुसंगत अधिनियम बनाया जा सके। विषय वस्तु को - कनाडा सुगर, रिफाइनिंग कंपनी वी. आर. (45) में लॉर्ड डेवी का सशक्त समर्थन प्राप्त था ।

(61) अटॉर्नी-जनरल बनाम प्रिंस अर्नेस्ट ऑगस्टस ऑफ हनोवर (46) मामले में अपनी राय देते हुए निम्नलिखित शब्दों में उपरोक्त अवधारणा पर अधिक जोर दिया है:

"मैं किसी क़ानून के प्रत्येक शब्द को उसके संदर्भ में जांचना अपना अधिकार और कर्तव्य मानता हूं, और मैं 'संदर्भ' शब्द का उपयोग इसके व्यापक अर्थ में करता हूं ..... इसमें न केवल शामिल है एक ही क़ानून के अधिनियमित प्रावधान, लेकिन इसकी प्रस्तावना , कानून की मौजूदा स्थिति, समानता में अन्य क़ानून, और जो शरारतें मैं कर सकता हूं, उन और अन्य वैध तरीकों से, क़ानून को समझना था, जिसका समाधान करना था। "

कर्ता राम के मामले *(सुप्रा)* में , जो अब तक बाध्यकारी मिसाल थी, उस पर किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई - इसने केवल पहले के दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी, जो निस्संदेह, पहले के मामले में सुसंगत था, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, महाजन, जे. , ने यह मानते हुए विचार किया कि इस प्रकृति के प्रावधान के लिए, निर्माण की प्रसिद्ध तोप जो विशिष्ट को सामान्य से बाहर रखती है। लागू है और, इसलिए, उप-धारा (2) विशिष्ट होने के कारण उप-धारा (1) को बाहर रखा गया है जो प्रकृति में सामान्य थी। नरूला, जे. ने अतिरिक्त रूप से यह जोड़कर उपरोक्त दृष्टिकोण को मजबूत करने की कोशिश की कि जहां दो निर्माण संभव थे, एक जो पूर्व-एम्प्टर के खिलाफ जाता था उसे अपनाया जाना था।

(62) बड़े सम्मान के साथ, विद्वान न्यायाधीश, जो अब तक अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों का अर्थ लगाते रहे हैं,

(45) (1808) एसी, 735।
(46) (1957) एसी 436।

प्रावधानों के बारे में बहुत ही सरल दृष्टिकोण अपनाया गया है और सभी को एक साथ रखा गया है! उन्होंने उप-खंड में जो निर्माण किया है, उससे उत्पन्न होने वाली संगतता और विसंगतियों पर विचार करने से परहेज किया । * (2)अधिनियम की धारा 15 की धारा।

(63) अब देखते हैं कि सकारात्मक उत्तर कैसे दिया जाता है। प्रस्तुत प्रश्न के अनुप्रयोग में अतार्किक परिणाम सामने आते हैं। आर। अधिनियम की धारा 15(1) और (2) के प्रावधान।

(64) . हालाँकि, विश्लेषण का प्रयास करना होगा। . प्री-एम्प्शन के अधिकार में अंतर्निहित उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। इन उद्देश्यों को विधानमंडल द्वारा अधिनियम तैयार करते समय या

उसमें संशोधन का प्रयास करते समय और न्यायालय द्वारा, जब भी कोई चुनौती पेश की गई हो, रेखांकित किया गया है। अधिनियम की संवैधानिकता या उसके दिए गए प्रावधान के लिए।

(65) सही परिप्रेक्ष्य के लिए, ttte,history- पर एक नज़र डालें। इस प्रावधान का पिछला भाग लाभकारी होगा। भारत के इस हिस्से में प्री-एम्प्शन का अधिकार पहली बार 1854 के पंजाब नागरिक संहिता की धारा 13 में ठोस रूप में रखा गया था। धारा 13 को 1872 के पंजाब कानून अधिनियम की धारा 9 से 20 पीएफ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1872 का अधिनियम सह-हिस्सेदार को प्रधानता दी, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा, (ए) के प्रावधानों से स्पष्ट होगा, जो निम्नलिखित शर्तों में थे:

> "12. यदि बेची जाने वाली संपत्ति या छुड़ाने का अधिकार, जिसे जब्त किया जाना है, किसी गांव के भीतर या उसके हिस्से के रूप में स्थित है, तो ऐसी संपत्ति को खरीदने या छुड़ाने का अधिकार, इसके विपरीत किसी प्रथा के अभाव में, का है।
>
> (ए) सबसे पहले, में. गैर-हिस्सेदारी करने वालों के लिए संयुक्त अविभाजित अचल संपत्ति का मामला;

* * * * * *

* * * * # $

* * ♦ * * * एम

(66) जहां तक गांव का संबंध है, अधिकार का मूल उद्देश्य जाति और धर्म में अजनबियों के समुदाय में घुसपैठ को रोकना है और इस प्रकार गांव, समुदायों की सघनता की रक्षा करना है और इसके लिए कारण, इस अधिकार को सामान्य सिद्धांतों का एक परिणाम मात्र माना गया - को विनियमित करना

भूमि का उत्तराधिकार और निपटान की शक्ति और चूंकि यह अंतिम साधन था जिसके द्वारा एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी परिवार में पैतृक संपत्ति को बनाए रख सकता था, जब वह संपत्ति के धारक द्वारा अलगाव के किसी कार्य को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ था, 'पंजाब कानून' अधिनियम* घोषित उद्देश्य में विफल होते दिखाई दिए, क्योंकि इन कानूनों ने गाँव को उसकी ऐतिहासिक नींव के प्रति कोई विशेष सम्मान दिए बिना केवल वैसा ही माना जैसा कि वह खड़ा था, यहाँ तक कि इसने कुछ विशेष रीति-रिवाजों के प्रमाण के अधीन सभी सह-हिस्सेदारों को समान दर्जा दिया। नतीजतन, सामान्य कानून के तहत, यानी, जहां कोई विशेष प्रथा साबित नहीं हुई थी, विक्रेता के एक गोत्र को, केवल ऐसे ही, एक गैर-गोत्र पर कोई विशेष प्राथमिकता नहीं थी, भले ही गोत्र विक्रेता और परिवार का बेटा हो या जनजाति बंधन जो पूर्व-त्याग की पूरी योजना को रेखांकित करता है, जैसा कि यह अलगाव की शक्ति पर अन्य प्रतिबंध लगाता है, नज़रअंदाज़ कर दिया गया था। इसका परिणाम, कुछ हद तक, गाँव की एकजुटता को मजबूत करने के बजाय, उसे कमजोर करना था, यहाँ तक कि एक सह-हिस्सेदार, उदाहरण के लिए, एक साहूकार , जिसका कृषि समुदाय से कोई वास्तविक संबंध नहीं था , एक विक्रेता के वास्तविक रक्त-संबंध या जनजाति के पुरुषों की तुलना में बेहतर स्थिति, जिनके पास गांव में अलग जमीन थी।

(67) 1905 का अधिनियम, जिसने 1872 के पंजाब कानून अधिनियम की धारा 9 से 20 के प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया और बाद में, 1913 का अधिनियम, जिसने 1905 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया, का उद्देश्य पहले परिवार या जनजातीय आधार को फिर से आकार देना था। गाँव; जहां वह विफल हो गया, उनका उद्देश्य गांव की अखंडता को संरक्षित करना था जैसा कि उस समय था * अधिनियम पारित किए गए और जब वह फिर से विफल हो गया, तो उनका उद्देश्य किसानों के लिए भूमि सुरक्षित करना था। इस विषय पर नया कानून भूमि हस्तांतरण अधिनियम, 1900 के पारित होने के कारण भी आवश्यक हो गया था ,जो ऋणों की संतुष्टि या अन्यथा में कृषकों से गैर-कृषकों तक मालिकाना अधिकारों के क्रमिक पारित होने पर रोक लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था - एक प्रक्रिया जो बहुत तेज हो गई थी 1897 के अकाल और जनसंख्या में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप भूमि का अत्यधिक उपविभाजन हुआ।

(68) उत्तम सिंह बनाम करतार सिंह, एआईआर *1954* पंजाब *55* में इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने उपरोक्त इतिहास से अधिनियम की धारा 15 के अंतर्निहित उद्देश्यों के रूप में निम्नलिखित चार का निष्कर्ष निकाला:

(1) गाँव और गाँव, समुदाय की अखंडता को बनाए रखना।

(2) जोत के विखंडन से बचने के लिए;

(3) उत्तराधिकार के नियम के अज्ञेयवादी सिद्धांत को लागू करना ; और

(4) मुकदमेबाजी और घर्षण की संभावना को कम करने और सार्वजनिक व्यवस्था और घरेलू आराम को बढ़ावा देने के लिए।

उनमें से आखिरी को छोड़कर सभी को राम सरूप आदि बनाम मुंशी और अन्य (सुप्रा) मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्ड जहाजों द्वारा रेखांकित किया गया था। .

."(69) इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विधायिका का इरादा था, जो समय-समय पर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरणों के चुनाव को निर्धारित करती थी - अर्थात, व्यक्तियों को, जिन्हें प्री-एम्प्शन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए चुना गया था। ऐसे व्यक्ति वे होने चाहिए जिनके इस अधिकार के प्रयोग से अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्यों या प्रावधान एम प्रश्न को बढ़ावा दिया जाना था। दो उद्देश्य, अर्थात् उपरोक्त उद्देश्य (1) और (3), को प्राप्त करने की मांग की गई थी ऐसे व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करना जो विक्रेता के उत्तराधिकारी होने के हकदार थे; ऐसे विक्रेता पर लागू व्यक्तिगत कानून। उपरोक्त उद्देश्य (2) को प्राप्त करने के लिए, सह-हिस्सेदार को पूर्व-खाली का अधिकार भी प्रदान किया गया था।

(70) विधायिका द्वारा जिस क्रम में प्री-एम्प्टर्स की विभिन्न श्रेणियों की गणना की गई है, वह दिए गए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसकी प्राथमिकता या प्राथमिकता का संकेत है।

(71) 1872 के पंजाब कानून अधिनियम को छोड़कर, सह-हिस्सेदार का उल्लेख उन व्यक्तियों को समाप्त करने के बाद किया गया है, जो बिक्री के अलावा, विक्रेता की कृषि भूमि पर कब्जा करने के हकदार होते। चूँकि 1960 के संशोधन के बाद भी ऐसा है, इसका मतलब है कि उपरोक्त उद्देश्यों (1) और (3) की प्राप्ति को विधायिका द्वारा उद्देश्य (2) की प्राप्ति पर प्राथमिकता दी गई थी।

(72) एक अधिभोगी किरायेदार, जो गाँव के कृषि समुदाय का लगभग उतना ही अच्छा सदस्य है। अन्य भूमि-स्वामी कृषकों का नाम 1872 से ही पूर्व-खालीदारों की सूची में शामिल हो गया, हालांकि अंतिम चरण में रखा गया, लेकिन वसीयत में किरायेदार को शामिल किया गया

पूर्व-खाली करने वालों की सूची में उपर्युक्त उद्देश्यों में से कोई भी शामिल नहीं था , और इसलिए, पूर्व-खाली करने वालों की सूची में 1960 तक एक किरायेदार-पर-वसीयत शामिल नहीं थी।

(73) यह 1960 में प्रभावी संशोधन का परिणाम था कि किरायेदार-एट-वसीयत को भी पूर्व-खाली का अधिकार दिया गया था। किरायेदार को प्री-एम्प्शनर्स की सूची में शामिल करना उन उद्देश्यों से निर्धारित नहीं था, जिन्होंने तब तक प्री- एम्प्शन कानून के निर्माण को प्रेरित किया था। किरायेदार के नाम को शामिल करना, दूसरी ओर, इस तथ्य की जागरूकता से तय होता है कि 'एक किरायेदार/भूमि की वास्तविक खेती में भूमि पर श्रम और पूंजी खर्च करता है और कभी-कभी गैर-कृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य बनाता है और एक कृषि योग्य

भूमि को अधिक उपजाऊ बनाता है और यदि उसका कार्यकाल रखा जाता है अधिक सुरक्षित आधार पर या, उसे अपनी किरायेदारी के तहत भूमि के स्वामित्व को सुरक्षित करने की आशा दी जाती है, वह उपरोक्त दिशा में अधिक प्रयास करने की संभावना रखता है 'शुष्क खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए, भूमि की स्थिति में' के अंतर्गत किरायेदार को मालिक द्वारा बेचा जा रहा था, उसे खरीदने के पूर्व के दावे को वैधानिक मान्यता दी गई थी। इस प्रकार प्रदान करने में, विधायिका इस अवधारणा के अनुरूप हो गई थी कि भूमि जोतने वाले की होनी चाहिए, एक विचार जो पहले था [1] भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953 के अधिनियमन को प्रेरित किया। -स्वामित्व अधिकार अधिनियम, 1953, और ग्राम सामान्य भूमि अधिनियम 1953, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पूर्व-खालीदारों की सूची में किरायेदार के नाम को शामिल करना। 1960 का अधिनियम कुछ हद तक, भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम की धारा 17 और 17-जेए के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रेरित था, जहां, 'पूर्व प्रावधान के तहत, किरायेदार के बिक्री को खाली करने के अधिकार को मान्यता दी गई थी ' पहली बार-और, बाद के प्रावधान का उपयोग करते हुए, विधायिका एक किरायेदार के पक्ष में गैर-पूर्व-खाली बिक्री करने की हद तक चली गई।

(74)"यदि, जैसा कि पहले देखा गया था, विधायिका ने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, वे उस व्यक्ति के चयन को नियंत्रित करते थे जिसके पास इन 6 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्री-एम्प्शन के अधिकार के साथ निवेश किया जाना था, फिर, कम से कम जहां तक सह-हिस्सेदार और किरायेदार का संबंध है/यह बिल्कुल महत्वहीन होगा कि भूमि, जिसे पूर्व-खाली किया जाना था, किसी पुरुष द्वारा बेची गई थी या बिक्री किसी महिला या उसके बेटे द्वारा की गई थी या . बेटी, और क्या भूमि उसे अपने 'पिता' या 'भाई' से या अपने पति 'बीटीएन' से विरासत में मिली थी या/यह स्व-अर्जित थी। अनुक्रम में प्रीएम्प्टर्स की स्थिति में, उनके ऊपर आने वाली प्राथमिकता, या तो एन.डी.टी

अपने अधिकार का लाभ उठाते हुए या गैर-मौजूद होने पर, सह-हिस्सेदार या किरायेदार, जैसा भी मामला हो, को पूर्व-खाली के अपने अधिकार का दावा करने का अधिकार होगा - उद्देश्य को प्राप्त करने और विखंडन की संभावना से बचने के लिए सह- शार्पर किसानों के लिए भूमि सुरक्षित करने के नेक उद्देश्य और 'अधिक भोजन उगाने* के संबंधित उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए जोतों और किरायेदारों की भागीदारी। अन्यथा धारण करना एक असंगत स्थिति को कायम रखना है कि यदि बिक्री अंतिम पुरुष-धारक, यानी एक मामले में पिता और भाई और महिला के दूसरे मामले में पति और पुत्र द्वारा की गई थी, तो दोनों सह-हिस्सेदार और किरायेदार, अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत व्यक्तियों की सूची, जिनका प्री-एम्प्ट का अधिकार विक्रेता के साथ उनके अज्ञेय संबंध पर आधारित है, समाप्त होने के बाद, बिक्री को प्री-एम्प्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जब उसी संपत्ति की बिक्री विवाद में संपत्ति के अंतिम पुरुष धारक की महिला उत्तराधिकारी या उसके बेटे और बेटी द्वारा की जाती है, यदि व्यक्तियों की सूची, धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत अंतिम पुरुष-धारक के साथ उनके अज्ञेय संबंध के आधार पर पूर्व-मुक्ति का दावा करने वाला अधिनियम समाप्त हो गया है।

(75) यदि इस न्यायालय द्वारा अब तक व्यक्त किए गए विचार को सही दृष्टिकोण माना जाता है, तो विधायिका के इरादे को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जो उन उद्देश्यों के विपरीत है जिन्हें विधायिका ने प्रश्न में कानून बनाकर प्राप्त करने का इरादा किया था। और प्री-इम्प्टर्स की सूची तैयार करना और उसके तहत प्राथमिकता का क्रम भी तय करना।

(76) यह तर्कसंगत नहीं है कि एक सह-हिस्सेदार को पूर्व-खाली का अधिकार देकर

जोत के विखंडन से बचने के लिए विधायिका की चिंता अचानक गायब हो गई जब उसके सामने भूमि के एक सह-साझेदार द्वारा पूर्व-खाली का सवाल आया। , जिसकी बिक्री एक महिला द्वारा की गई थी, जिसे वह संपत्ति अधिनियम की उपधारा (2) में परिकल्पित स्रोत से विरासत में मिली थी। समान रूप से, किसी को फिर से आश्चर्य हो सकता है कि उन महान आदर्शों का क्या हुआ, जिन्होंने विधायिका को पहली बार, किरायेदारों को प्री-एम्प्टर की सूची में शामिल करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें किसी भी घटना में बिक्री से पहले छूट मिल सके। एक पुरुष-मालिक, भूमि की एक महिला मालिक की उक्त भूमि के अधिग्रहण का स्रोत चाहे जो भी रहा हो, जिसकी वह उप-धारा (2) में निर्दिष्ट दो स्रोतों से विरासत के बिना मालिक बन गई, जब यह आया किसी किरायेदार को किसी महिला या उसके बेटे या बेटी द्वारा की गई किसी संपत्ति की बिक्री को पहले से छूट देने का अधिकार देना, जिसके लिए वे सफल हुए थे।

उपधारा (2) में उल्लिखित स्रोत। क्या कोई विधायिका को यह श्रेय दे सकता है कि जब उसने धारा 15(2) के प्रोविजन को लागू करने का निर्णय लिया था, तो उसकी याददाश्त चली गई थी, क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि तब तक कानून के लेखकों को किरायेदारों की चिंता अचानक से खत्म हो गई थी। मेरा मानना है कि विधायिका को ऐसी असंगतता और अतार्किकता के लिए जिम्मेदार ठहराना अनुचित होगा। यह एक अलग मामला हो सकता है यदि विधायिका द्वारा प्रावधान में इस्तेमाल की गई भाषा अनजाने चूक के कारण कुछ हद तक अपर्याप्त है। लेकिन फिर, यदि किसी क़ानून की भाषा का शाब्दिक अर्थ दिए गए प्रावधान को लागू करने के लिए कानून के लेखकों को प्रेरित करने वाले घोषित इरादे के विपरीत है और यदि न्यायालय विधायी इरादे के बारे में अपने मन में स्पष्ट है कि प्रावधान में इस्तेमाल की गई भाषा क्या है चूँकि उसे संप्रेषित करने का माध्यम विफल हो गया है, तो प्रावधान को उस आशय को संप्रेषित करने के योग्य बनाया जाना चाहिए, भले ही यहाँ या वहाँ एक शब्द या Iwo जोड़ा या घटाया जाए या यहाँ तक कि एक पूरा वाक्य जोड़ा या घटाया जाए। इस संबंध में तीरथ सिंह बनाम बचित्तर सिंह और अन्य *(47)* मामले में वेंकटराम अय्यर, जे. की निम्नलिखित टिप्पणियाँ , पाठ्य अपर्याप्तता की दी गई स्थिति में कार्रवाई के उपरोक्त संकेतित पाठ्यक्रम की वांछनीय क्षमता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं। प्रावधान :

> "यह तर्क दिया गया है कि यदि अधिनियम की भाषा की व्याख्या उसके शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थों में की जाती है, तो इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि याचिका के पक्ष भी प्रावधान के तहत नोटिस के हकदार हैं। लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित व्याख्या का नियम है कि, 'जहां किसी क़ानून की भाषा', उसके सामान्य अर्थ और व्याकरणिक निर्माण में, अधिनियम के स्पष्ट उद्देश्य के स्पष्ट विरोधाभास, या कुछ असुविधा या बेतुकेपन की ओर ले जाती है। , कठिनाई या अन्याय, संभवतः इरादा नहीं है, उस पर एक निर्माण किया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ और यहां तक कि वाक्य की संरचना को संशोधित करता है।

विधायिका के वास्तविक इरादे के बारे में कुछ विचार करने के लिए, न्यायालय को उस उद्देश्य पर ध्यान देना होगा जिसे विधायिका 1960 में धारा 15 की उप-धारा (1) में संशोधन करके और मौजूदा 'स्पष्टीकरण' को दोबारा तैयार करके प्राप्त करना चाहती थी। * उसकी उपधारा (2) में । हालाँकि, उपरोक्त पहलू से निपटने से पहले

(47) एआईआर 1955 एससी 830. - - -

धारा 15 के प्रावधानों का संदर्भ, जैसा कि यह संशोधन से पहले और बाद में था, वांछनीय होगा:।

धारा 15 I960 के संशोधन से पहले।

> "15. धारा 14 के प्रावधानों के अधीन कृषि भूमि और गांव की चल संपत्ति के संबंध में छूट का अधिकार निहित होगा-
>
> एफए) जहां बिक्री एकमात्र मालिक या अधिभोगी किरायेदार द्वारा की जाती है या, संयुक्त रूप से स्वामित्व या धारित भूमि या संपत्ति के मामले में, उत्तराधिकार के क्रम में सभी सह-हिस्सेदारों द्वारा संयुक्त रूप से, जो ऐसी बिक्री के लिए नहीं विक्रेता या विक्रेताओं की मृत्यु पर, बेची गई भूमि या

संपत्ति को विरासत में पाने का हकदार होना ;

(b) जहां बिक्री संयुक्त भूमि या संपत्ति में से एक हिस्से की है और सभी सह-हिस्सेदारों द्वारा संयुक्त रूप से नहीं की गई है, -

सबसे पहले, उत्तराधिकार के क्रम में विक्रेता के वंशजों में;

दूसरे, सह-हिस्सेदारों में, यदि कोई हो, जो उत्तराधिकार के क्रम में सजातीय हैं;

तीसरा, उन व्यक्तियों में, जो उत्तराधिकार के क्रम में ऊपर पहले या दूसरे में शामिल नहीं हैं, जो ऐसी बिक्री के अलावा, विक्रेता की मृत्यु पर, बेची गई भूमि या संपत्ति को विरासत में पाने के हकदार होंगे;

चौथा, सह-हिस्सेदारों में;

(c) यदि खंड (ए) या खंड (बी) के तहत प्री-एम्प्शन का अधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं करना चाहता है, -

सबसे पहले, जब बिक्री श्रेष्ठ या निम्न स्वामित्व अधिकार को प्रभावित करती है और श्रेष्ठ अधिकार बेचा जाता है, निम्न स्वामियों में, और जब निम्न, अधिकार बेचा जाता है, श्रेष्ठ स्वामियों में;

दूसरे, 5n पट्टी या संपत्ति के अन्य उप-विभाजन के मालिक जिनकी सीमाओं के भीतर ऐसी भूमि या संपत्ति स्थित है;

तीसरा, संपत्ति के मालिकों में;

चौथा, ऐसी भूमि या संपत्ति में स्वामित्व अधिकार की बिक्री के मामले में, किरायेदारों (यदि कोई हो) में ऐसी भूमि या संपत्ति पर अधिभोग का अधिकार है;

पांचवां, किसी भी किरायेदार के पास संपत्ति की किसी भी कृषि भूमि पर अधिभोग का अधिकार है, जिसकी सीमा के भीतर भूमि या संपत्ति स्थित है।

स्पष्टीकरण.-किसी महिला द्वारा भूमि या संपत्ति की बिक्री का मामला, जिसमें वह अपने पति, पुत्र के माध्यम से आजीवन कार्यकाल के लिए सफल रही है। भाई या पिता, इस खंड में 'एग्नेट्स* शब्द का अर्थ उस व्यक्ति का गोत्र होगा जिसके माध्यम से वह सफल हुई है।"

1960 के संशोधन के बाद धारा 15।

15. कृषि भूमि और गाँव की अचल संपत्ति के संबंध में nre-emntinn का अधिकार निहित होगा-

(जहां बिक्री एकमात्र मालिक के लिए होती है,-

सबसे पहले, बेटे या बेटी में या बेटे के बेटे या बेटी में'? विक्रेता का बेटा;

दूसरे, वेन डोर के भाई या भाई के बेटे में;

तीसरा, विक्रेता के पिता के भाई या पिता के भाई के पुत्र में:

चौथा, किरायेदार जो विक्रेता के अधीन बेची गई भूमि या संपत्ति या उसका कोई हिस्सा रखता है ;

(b) जहां बिक्री मूल भूमि या संपत्ति में से किसी एक हिस्से की हो और मूल रूप से सभी हिस्सेदारों के बीच पागल न हो, -

पहला। विक्रेता या विक्रेताओं के पुत्रों या पुत्रियों या पुत्रों के पुत्रों या पुत्रियों के पुत्रों में :

दूसरे, भाइयों या भाइयों के बेटे या विक्रेता डोर या विक्रेताओं में:

तीसरा, विक्रेता या विक्रेताओं के पिता के भाइयों या पिता के भाई के पुत्रों में;

चौथा, अन्य कोष में;

पांचवें, किरायेदारों में जो विक्रेता या विक्रेताओं की किरायेदारी के तहत बेची गई भूमि या संपत्ति या उसके हिस्से को रखते हैं;

मैं

(c) जहां बिक्री संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली भूमि या संपत्ति की है और सभी सह-हिस्सेदारों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है, -

सबसे पहले, विक्रेताओं के पुत्रों या पुत्रियों या पुत्रों के पुत्रों या पुत्रियों* पुत्रों में;

दूसरे, विक्रेताओं के भाइयों या भाई के बेटों में;

!

तीसरा, 'पिता के भाई या पिता के भाई': विक्रेताओं के बेटे;

चौथा, उन किरायेदारों में जो विक्रेताओं या उनमें से किसी एक की किरायेदारी के तहत बेची गई भूमि या संपत्ति का हिस्सा रखते हैं;

(2) उपधारा में किसी बात के होते हुए भी

आर (ए)' जहां बिक्री उस भूमि या संपत्ति की महिला द्वारा की जाती है जिसमें वह अपने पिता या भाई या भाई के माध्यम से सफल हुई है या ऐसी भूमि या संपत्ति के संबंध में बिक्री विरासत के बाद ऐसी महिला के बेटे या बेटी द्वारा की जाती है , पूर्व-मुक्ति का अधिकार निहित होगा, -

(i) यदि बिक्री ऐसी महिला द्वारा, उसके भाई या भाई के बेटे में की जाती है;

(ii) यदि बिक्री ऐसी महिला के बेटे या बेटी द्वारा की जाती है, तो मां के भाइयों या मां के भाई के विक्रेता या विक्रेताओं के बेटों में;

---------,i ii w w> *nw ■ ———— —-------- ------------------------— ,

(बी) जहां किसी महिला द्वारा भूमि या संपत्ति की बिक्री की जाती है, जिसमें वह अपने पति के माध्यम से सफल हुई है, या

अपने पुत्र के माध्यम से यदि पुत्र को अपने पिता से बेची गई भूमि या संपत्ति विरासत में मिली है, तो पूर्व-मुक्ति का अधिकार निहित होगा, -

सबसे पहले, ऐसी महिला के बेटे या बेटी में;

दूसरी बात, पति के भाई या पति के भाई के पुत्र में ऐसी महिला होती है।

1960 के संशोधित अधिनियम को लागू करने और अधिनियम की मौजूदा धारा 15 (1) के प्रावधानों को फिर से आकार देने के अलावा, वर्ष 1913 और 1960 के बीच देश के विभाजन जैसे समाज द्वारा देखे गए परिवर्तनों पर ध्यान देना भी उद्देश्य था। विस्थापित व्यक्तियों को गाँवों में बसाने के परिणामस्वरूप गाँव समाज की सघनता में कमी आई, किरायेदारों की स्थितियों में सुधार हुआ, जैसा कि पहले ही देखा गया था, उन्हें उस भूमि पर अधिकार देकर, जिस पर वे खेती करते थे, कम करना था। प्री-इम्प्टर्स की सूची बनाएं और उनमें से ऐसे व्यक्तियों को हटा दें, जिनका समावेश, सहस्राब्दी का, पहले आंशिक रूप से लाना एलियनेशन एक्ट, 1900 द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसका उद्देश्य कृषकों के हितों की रक्षा करना था, जिन्हें तेजी से खत्म किया जा रहा था। साहूकार वर्गों द्वारा खरीद लिया गया, और मात्र सर्फ में बदल दिया गया और आंशिक रूप से गाँव की जनजातीय समरूपता को बनाए रखने के लिए। इस उद्देश्य को धारा 15 को धारा 14 के प्रावधानों के अधीन करके प्राप्त करने का प्रयास किया गया था , जो प्रावधान निम्नलिखित शर्तों में है:

"14. उस व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, जो बिक्री की तारीख पर, विक्रेता के रूप में कृषि जनजातियों के एक ही समूह में एक कृषि जनजाति का सदस्य था,

को किसी द्वारा बेची गई कृषि भूमि के संबंध में पूर्व-खाली का अधिकार नहीं होगा। एक कृषक जनजाति का सदस्य।"

अब आइए उन उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें विधायिका धारा 15 की मौजूदा व्याख्या को उसकी उपधारा (2) में ढालकर हासिल करना चाहती है।

(77) विधायिका ने बहुत पहले ही उस संपत्ति की महिला द्वारा की गई बिक्री से विशेष रूप से निपटने की आवश्यकता को पहचान लिया था, जिस पर वह अपने पति या बेटे के माध्यम से सफल हुई थी।

या पिता या भाई. 1905 के पंजाब अधिनियम में धारा 12 में जोड़ा गया 'स्पष्टीकरण' निम्नलिखित शब्दों में था;

"स्पष्टीकरण 11. किसी महिला द्वारा उस संपत्ति की बिक्री के मामले में, जिसमें वह अपने पति, पुत्र, भाई या पिता के माध्यम से सफल हुई है, इस धारा में 'एग्नेट्स' शब्द का अर्थ उस व्यक्ति का गोत्र होगा जिसके माध्यम से वह सफल हुई है। ।"

इस स्पष्टीकरण के अवलोकन से पता चलता है कि इसने निर्दिष्ट अंतिम पुरुष-धारक के 'एग्नेट्स' को छूट का अधिकार प्रदान किया, चाहे महिला विक्रेता पूरी तरह से संपत्ति में सफल रही हो या नहीं। उसमें केवल आजीवन कार्यकाल मिला। हालाँकि, अधिनियम की धारा 15 की व्याख्या , जिसने उपरोक्त 1905 अधिनियम की धारा 12 की व्याख्या को प्रतिस्थापित कर दिया, ने एक मौलिक परिवर्तन लाया, अर्थात्, इसने निर्दिष्ट अंतिम पुरुष-धारक के 'एग्नेट्स' के अधिकारों को पूर्व तक सीमित कर दिया। महिलाओं द्वारा केवल ऐसी संपत्ति की बिक्री की छूट, जिसमें उसने विरासत में केवल 'जीवनकाल' अर्जित किया हो। उदाहरण के लिए, यदि मौजूदा कानून के तहत वह उपर्युक्त पुरुष-धारक के उत्तराधिकारी के रूप में पूरी तरह से हकदार थी, तो अभिव्यक्ति 'एग्नेट्स' को उसी अर्थ में लिया जाएगा जिसमें इसका उपयोग संशोधित प्रावधान के पहले भाग में किया गया है। धारा 15, यानी महिला विक्रेता की 'एग्नेट्स*। जब ऐसा देखा जाता है, तो जाहिर है कि उसके 'सगानेवाले' उसके पति के परिवार में नहीं, बल्कि उसके पिता के परिवार में होंगे। इसका मतलब यह है कि, पूर्व-एम्प्टर के असफल होने की स्थिति में 'सगोत्र' पर प्राथमिकता के क्रम में पूर्व-उत्सर्जन का अधिमान्य अधिकार होता है, यह पति या पुत्र का सगा नहीं होगा, जिसके पास पूर्व-उत्सर्जन का अधिकार होगा, यहां तक कि यद्यपि महिला विक्रेता अपने पति या पुत्र से कृषि भूमि पर उत्तराधिकार प्राप्त कर चुकी है,

(78) यह घटना कि वह अपने पति या बेटे या पिता या भाई के लिए पूरी तरह से सफल हो सकती है, अब अटकलों के दायरे में नहीं थी, क्योंकि 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद, एक महिला के पास उसकी सभी संपत्तियां थीं, जिनमें से वह कानूनी रूप से उसके पास थी। , बिल्कुल और, उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद, वह अधिकार के तौर पर, जहां तक निर्वसीयत उत्तराधिकार का सवाल है , संपत्ति में पूरी तरह से सफल हो गई, चाहे वह एक स्रोत से आ रही हो या दूसरे से।

(79) जाहिरा तौर पर, स्पष्टीकरण, जैसा कि यह अधिनियम की धारा 15 के तहत था, एक हद तक, उस उद्देश्य के खिलाफ गया जो इसका आधार बनता है।

पूर्व-मुक्ति का अधिकार, अर्थात, संपत्ति को अंतिम पुरुष-धारक के परिवार में रखने का,

जहां तक यह कृषि संपत्ति से संबंधित है, जिसमें महिला अपने पति या बेटे के माध्यम से सफल हुई थी और इसलिए, प्रश्न में स्पष्टीकरण को दोबारा तैयार करने की आवश्यकता है। धारा 15 में 'स्पष्टीकरण' को फिर से लागू करने का एक अन्य कारण यह था कि इसमें 'एग्नेट्स' को पूर्व-मुक्ति के अपने अधिकार का दावा करने का प्रावधान था, जब महिला कृषि भूमि की विक्रेता थी, जिसके लिए केवल तभी जब वह अपने पति के माध्यम से सफल हुई थी, पुत्र, भाई या पिता, लेकिन तब नहीं जब वही भूमि उसके पुत्र या पुत्री द्वारा बेची गई हो, जो उसके माध्यम से उसके पति या पुत्र या उसके पिता या भाई को, जैसा भी मामला हो, बेच दिया गया था। इसके अलावा, चूँकि धारा 15(1) से अभिव्यक्ति 'एग्नेट' को 1960 के संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, इसलिए उसके स्पष्टीकरण में अभिव्यक्ति 'इस खंड में एग्नेट शब्द' का कोई अर्थ नहीं होगा, जैसा कि उप-धारा में संशोधन के बाद (1), 'एग्नेट' शब्द धारा 15(1) में स्पष्टीकरण के अलावा कहीं नहीं आया है। फिर भी एक अन्य कारण जिसके लिए मौजूदा स्पष्टीकरण को धारा 15 में पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी, उसे - पूर्व-खाली करने वालों की संख्या के संबंध में उपधारा (1) के पूर्ववर्ती प्रावधान के अनुरूप लाना था। विधायिका ने विक्रेता के पिता के भाई और पिता के भाई के बेटे के लिए अज्ञेय पंक्ति में पूर्व-खाली करने वालों की संख्या को सीमित कर दिया है और यदि धारा 15 के स्पष्टीकरण को वैसे ही रहने दिया गया है, तो परिणाम यह होगा कि संबंध में रहते हुए महिला की स्व-अर्जित संपत्ति की बिक्री के लिए, केवल एक निश्चित डिग्री के रक्त-संबंधी ही पूर्व-मुक्ति का दावा कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति के संबंध में दो स्रोतों में से किसी एक के माध्यम से उत्तराधिकार प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी डिग्री पूर्व-मुक्ति का दावा कर सकती है। इसलिए, इन अतार्किकताओं को दूर करने के लिए अधिनियम की धारा 15 की वर्तमान उपधारा (2) के रूप में स्पष्टीकरण का पुनर्निर्माण किया गया था।

(80) उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि 1913 अधिनियम की धारा 15 के मौजूदा स्पष्टीकरण को 1960 के संशोधित अधिनियम के बाद धारा 15 की उप-धारा [1] (2) में डालने के कारण ऊपर बताए गए थे, न कि तथ्य, कि विधायिका का उद्देश्य प्री-एम्प्ट के हकदार व्यक्तियों की संख्या को केवल उन लोगों तक सीमित करना है जिनका उल्लेख उक्त उपधारा में बिक्री के संबंध में (उपधारा (2)) के तहत किया गया है।

(81) अधिनियम की धारा 15 के संशोधन के पीछे के उद्देश्यों और उप-धारा के शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ-1 को ध्यान में रखते हुए, (2) जो अतार्किक परिणामों की ओर ले जाता है और एक को जन्म देता है]

धारा 15 की दो उप-धाराओं के आवेदन के मामले में विसंगतियों के बीच, जो अकाट्य निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि, उप-धारा (2) का उद्देश्य धारा 15 के पूर्व-संशोधन स्पष्टीकरण के समान उद्देश्य को पूरा करना था जो इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसका उद्देश्य उत्तराधिकार के अज्ञेय सिद्धांत के उद्देश्य को प्राप्त करना है, अर्थात, विरासत में मिली संपत्ति के निर्दिष्ट अंतिम पुरुष-धारक के एक सीमित डिग्री के सगे भाइयों को दूसरों पर प्रधानता देना, जो कि महिला या उसके बेटे या बेटी को होता है। बेचने के लिए। इसलिए, अधिनियम की धारा 15 के संशोधन के लेखकों ने धारा 15 को मौजूदा स्पष्टीकरण देकर जो इरादा किया था, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में इसने जो आकार प्राप्त किया है, वह पूर्व-खाली करने वालों को रखना था अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के तहत सूचीबद्ध प्री-एम्प्टर्स पर प्राथमिकता के क्रम में उपधारा (2) में नंबर एक पर उल्लेख किया गया है।

(82) विधायिका की यही मंशा हो सकती है और यदि उपधारा (2) के इस निर्माण को

अपनाया जाता है, तो उपधारा (2) को इस प्रकार पढ़ना होगा: -

"(2) उपधारा में किसी बात के होते हुए भी
(1)'

(a) जहां भूमि या संपत्ति की बिक्री किसी महिला द्वारा की जाती है, जिस पर वह अपने पिता या भाई के माध्यम से सफल हुई है या ऐसी भूमि या संपत्ति के संबंध में बिक्री ऐसी महिला के बेटे या बेटी द्वारा विरासत के बाद की जाती है, तो पूर्व-खाली का अधिकार , प्रथम दृष्टया, निहित होगा-

(i) यदि बिक्री ऐसी महिला द्वारा उसके भाई या भाई के बेटे में की जाती है;

(ii) यदि बिक्री ऐसी महिला के बेटे या बेटी द्वारा की जाती है, तो मां के भाइयों या मां के भाई के विक्रेता या विक्रेताओं के बेटों में;

(b) जहां किसी महिला द्वारा भूमि या संपत्ति की बिक्री की जाती है, जिसमें वह अपने पति के माध्यम से या अपने बेटे के माध्यम से सफल हुई है, यदि बेटे को विरासत मिली है

पहली बार में छूट का अधिकार निहित होगा, -

सबसे पहले, महिला के ऐसे पति के बेटे या बेटी में;

दूसरी बात, ऐसी महिला के पति के भाई या पति के बेटे में।"

हालाँकि, प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क दिया गया था कि जहां अधिनियम में प्रावधानों के दो निर्माण संभव हैं, तो प्री-एम्प्शन के अधिकार को पराजित करने वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि प्री-एम्प्शन का अधिकार प्रकृति में समुद्री डाकू है। थाना सिंह बनाम नंदू (48) की सेवा में दबाव डालकर उपरोक्त निवेदन को कायम रखने की मांग की गई थी।

(83) इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि प्री- एम्प्शन का अधिकार विक्रेता के अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति का निपटान करने और इसे प्राप्त करने के लिए विक्रेताओं के अधिकार पर रोक लगाता है, लेकिन प्री-एम्प्शन के अधिकार के प्रयोग के बाद से और इस तरह के अधिकार की आपूर्ति करने वाले अधिनियम के प्रासंगिक - प्रावधानों को उनके आधिपत्य द्वारा सार्वजनिक हित में माना गया था और इस प्रकार विक्रेता और विक्रेता के संवैधानिक अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध का गठन किया गया था और इसी कारण से अधिनियम के ये प्रावधान यह माना गया कि वे असंवैधानिक रूप से बुराई से पीड़ित नहीं हैं, इसलिए, जिस हद तक प्री-एम्प्शन का अधिकार बचा हुआ है, एक वैधानिक अधिकार होने के नाते वैधानिक सीमाओं के भीतर प्रयोग करने योग्य है। उपरोक्त निर्णय का अनुपात वहां लागू हो सकता है जहां किसी को विधायी मंशा पर संदेह हो। लेकिन यहां एक ऐसा मामला है, जहां विधायी मंशा के बारे में किसी भी दो राय पर विचार नहीं किया जा सकता है। विधायिका ने केवल उपधारा (2) में उल्लिखित व्यक्तियों को उपधारा (2) के तहत पूर्व-एम्प्टर के रूप में सूचीबद्ध व्यक्तियों के ऊपर प्री-एम्प्टर के रूप में

सूचीबद्ध व्यक्तियों के ऊपर प्री-एम्प्टर के पहले समूह का गठन करने वाले प्राथमिकता के क्रम में व्यक्तियों के रूप में इरादा किया था। (1) अधिनियम की धारा 15 का।

(84) हालाँकि, हमारे सामने यह तर्क दिया गया था कि यदि अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत सूचीबद्ध प्री-एम्प्टर्स की श्रेणी

(48) 1978 वर्ष. एलजे (पीबी.-हर.) 25.

केवल प्री-एम्प्टर्स की एक श्रेणी गठित की गई, जो वरीयता के बिंदु पर , ऐसे प्री-एम्प्टर्स से ऊपर आती थी, जो अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) में सूचीबद्ध थे, फिर उसका अपना बेटा या बेटी या बेटे का बेटा या बेटी के बेटे को प्री-एम्प्टर्स के रूप में लाया जाएगा, जब वे उस पति के अलावा किसी अन्य पति से हों, जिसकी संपत्ति, उसे विरासत में मिलने के बाद, बिक्री के लिए रखी जा रही थी, जिसे प्री-एम्प्ट करने की मांग की गई थी, जब की पूरी आपत्ति 1964 के पंजाब अधिनियम संख्या 13 द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) (बी) में उसके ऐसे बेटों और बेटियों को बाहर करना था।

(85) मेरी राय में, यह विधायी इरादे को पढ़ने का सही तरीका नहीं होगा (संशोधन अधिनियम के 'उद्देश्यों और कारणों' के लिए वर्तमान निर्णय का पृष्ठ 53 देखें)।

संशोधन से पहले, धारा 15(2) (बी) (i) निम्नलिखित शर्तों में थी:

> "15(2) (बी) जहां बिक्री उस भूमि या संपत्ति की महिला द्वारा की जाती है, जिसमें वह अपने पति या बेटे के माध्यम से सफल हुई है, यदि बेटे को बेची गई भूमि या संपत्ति अपने पिता से विरासत में मिली है, पूर्व-मुक्ति का अधिकार निहित होगा-
>
> (i) सबसे पहले, ऐसी महिला के बेटे या बेटी में।
>
> (ii) * * * * * *।'

संशोधन के बाद इसे इस प्रकार पढ़ा गया:

> "15(2) (बी) जहां बिक्री उस भूमि या संपत्ति की महिला द्वारा की जाती है, जिसमें वह अपने पति के माध्यम से या अपने बेटे के माध्यम से सफल हुई है, यदि बेटे को बेची गई भूमि या संपत्ति अपने पिता से विरासत में मिली है, पूर्व-मुक्ति का अधिकार निहित होगा-
>
> (i) महिला के ऐसे पति के पुत्र या पुत्री में ।
> (ii) * * * * * * "

संशोधन केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का था। चन्नन सिंह और अन्य बनाम श्रीमती में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्ड जहाज।

जय कौर, (सुप्रा) ने माना कि, उक्त संशोधन के बिना भी, यह स्पष्ट था कि विधायिका का इरादा था कि महिला विक्रेता के केवल ऐसे बेटे और बेटी, जो अपने पति के साथ अज्ञेय संबंध रखते थे, जिनकी संपत्ति विरासत में मिलने के बाद, उसके द्वारा बेचे जाने पर, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 2(बी) में दी गई पहली श्रेणी के रूप में बिक्री से पहले

छूट पाने के हकदार थे।

(86) हालाँकि, विधायिका का इरादा यह नहीं था कि उसका खुद का मांस और खून पूरी तरह से बाहर रखा जाए, तब भी जब उसके पति के करीबी अज्ञेय संबंध इस समस्या से बचने के लिए मौजूद नहीं थे। यह बिना महत्व के नहीं है कि खंड (ए) के विपरीत, जहां कानून में केवल महिला के भाई और भाई के बेटे को प्री-एम्प्टर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, खंड (बी) में जब प्री-एम्प्टर प्रदान करने की बात आती है , तो प्री-एम्प्टिंग के लिए संपत्ति की बिक्री, जिसका अंतिम पुरुष धारक महिला का पति था, वह महिला के ऐसे पति के बेटे या बेटी का उल्लेख करके संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन खंड (बी) के पैराग्राफ (ii) में, यह आगे उल्लेख किया गया है उसके ऐसे पति का भाई या, भाई का बेटा प्री-एम्प्टर के रूप में। इस प्रस्थान का कारण , मेरे विचार में, विधानमंडल की ओर से इस चिंता से तय हुआ था कि खंड (ए) में उल्लिखित संपत्ति के पूर्व-खाली के संबंध में, पूर्व-खाली करने वालों की समाप्ति के बाद उल्लेख किया गया था खंड (ए) में, उप-धारा (1) में सूचीबद्ध संबंध प्री-एम्प्टर्स, जिन्हें प्री-एम्प्शन के लिए अपना दावा पेश करना था, अंतिम पुरुष-धारक, यानी पिता या ■ के साथ घनिष्ठ (अज्ञेय) संबंध रखते थे। महिला का भाई, लेकिन खंड (बी) में दी गई संपत्ति के पूर्व-एम्पायन के मामले में, ऐसा मामला नहीं होता और इसलिए, विधायिका ने, ऐसा कहने के लिए, रक्षा की दूसरी पंक्ति प्रदान की ताकि महिला को सुरक्षित रखा जा सके। महिला के पति के पूर्व-खाली भाई और भाई के बेटे के रूप में नामकरण करके अंतिम पुरुष धारक के अज्ञेय संबंधों के भीतर संपत्ति ।

(87) हालाँकि, यह आग्रह किया जा सकता है कि उपरोक्त तर्क उप-धारा (2) के खंड (ए) के संबंध में विफल हो जाएगा यदि विक्रेता महिला होने के बजाय उसका बेटा या बेटी है, तो सूची समाप्त होने के बाद उपधारा (1) के खंड (ए) में उल्लिखित पूर्व-खाली करने वालों को पूर्व-खाली का अधिकार दिया जाना है, तो ऐसे बाद वाले पूर्व-खाली संपत्ति के अंतिम पुरुष धारक के साथ कोई अज्ञेय संबंध नहीं रखेंगे , जो विषय था- बिक्री का मामला और पूर्व-खाली होने की मांग की गई।

(88) यह देखा जा सकता है कि इस तरह के मामले में, जहां उत्तराधिकार द्वारा संपत्ति नाना-नाती के हाथों में चली गई थी , यह पहले से ही अज्ञेय संबंधों के दायरे से परे चली गई थी और,

इसलिए, विधायिका ने विक्रेता के मामा और मामा के बेटे को पूर्व-प्रदाता के रूप में उल्लेख करके नाना के परिवार के हितों की रक्षा के लिए इसे पर्याप्त माना होगा, जिनकी अनुपस्थिति में इसे अधिक प्रासंगिक माना जा सकता था। प्रयास यह होना चाहिए कि धारा 15 की उपधारा (1) में दी गई पूर्व-खाली करने वालों की सूची का लाभ उठाकर संपत्ति को विक्रेता के परिवार के भीतर ही रखा जाए, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, 1960 का संशोधन आने तक विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोगों के गांवों में आने के परिणामस्वरूप गांव की जनजातीय समरूपता को बनाए रखने के लिए पूर्व-त्याग के अधिकार के कानून के तहत मूल उद्देश्य को प्राप्त करना असंभव हो गया था। अब हरियाणा राज्य का हिस्सा बन गया है और इसलिए, विधानमंडल ने, I960 के संशोधन द्वारा, धारा 15 की अधीनता को धारा 14 के प्रावधानों से हटा दिया और पूर्व-मुक्ति के अधिकार को बहुत करीबी संबंधों तक ही सीमित कर दिया। विक्रेता, इसने रिलेशन प्री-एम्प्टर्स की सूची में कटौती की और ऐसा करते हुए, यह। पूरी तरह से अज्ञेय संबंध को ध्यान में नहीं रखा, अन्यथा, पहली श्रेणी में धारा 15 के एसपीबी-धारा (1) में, बेटी के बेटे को भी एक के रूप में शामिल नहीं किया होता। पूर्व-खाली करने वाले.

(89) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्रस्तावित निर्माण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका व्यावहारिक प्रभाव उपधारा (1) को उपधारा (2) के प्रावधान के

रूप में पढ़ा जाएगा। अधिनियम की धारा 15 का जो वास्तव में घोड़े के सामने, कैंट लगाने के समान है।

(90) मेरी राय में, इस तर्क का कोई आधार नहीं है। वास्तव में, धारा 15 की उपधारा (1) धारा 15 की उपधारा (2) के परंतुक के स्थान को पुनः आरंभ नहीं करती है। जिस तरीके से, टी ने धारा 15 के दो उपधाराओं की व्याख्या की है, यह है धारा 15 (2) को, एक तरह से, उसकी उपधारा (I) [1] के परंतुक के रूप में पढ़ा जा सकता है , न कि इसके विपरीत।

(91) अंत में, तर्क, घूरने के निर्णय के सिद्धांत पर आधारित है।

(92) जैसा कि मैंने फैसले की शुरुआत में ही देखा था कि इस बड़ी बेंच के समक्ष जिस दृष्टिकोण, शुद्धता पर बहस की गई है, वह निस्संदेह लंबे समय तक कायम रहा है और इसलिए, न्यायालय इसे पलटने के लिए बेहद अनिच्छुक होगा, जब तक कि नीचे देखें

अनुचित या सार्वजनिक कठिनाई या असुविधा उत्पन्न करने वाला माना जाता है ।

! . मैं

(93) मेरी राय में, वर्तमान दृष्टिकोण, जब पूर्वगामी चर्चा के प्रकाश में देखा जाता है, तो बड़े सम्मान के साथ, स्पष्ट रूप से गलत, अनुचित, अन्यायपूर्ण और स्पष्ट रूप से वैधानिक इरादे के विपरीत है और इसलिए, अंतर्निहित सम्मान के बावजूद कि घूरने का निर्णय का सिद्धांत आदेश देता है, मैं यह मानने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता कि वर्तमान दृष्टिकोण अब पालन किये जाने योग्य नहीं है।

(94) अब दस एंट-प्री-एम्प्टर्स की ओर से उन्नत पक्षपातपूर्ण प्रस्तुति पर विचार करने के चरण में पहुंच गया है कि अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत प्री-एम्प्टर्स की सूची में से केवल किरायेदार ही इसके तहत निपटाई गई बिक्री को प्री-एम्प्ट करने के हकदार थे। अधिनियम की धारा 15(2), धारा 15(2) के तहत सूचीबद्ध प्री-एम्प्टर्स के ऐसा करने में विफल होने की स्थिति में। 1969 के आरएसए 67 में टोनेंट-अपीलकर्ता के लिए उपस्थित श्री सीबी गोयल ने तर्क दिया कि विधायिका ने अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) को अधिनियमित किया। किसी भी मामले में किरायेदार और सह-हिस्सेदार को छोड़कर सभी को बाहर करने का इरादा था, उप-धारा (2) में प्री-एम्प्टर के रूप में सूचीबद्ध व्यक्तियों ने या तो अपने अधिकार का लाभ नहीं उठाया था या अस्तित्वहीन थे।, यानी , उपधारा 15(1) में सूचीबद्ध विक्रेता के रक्त-संबंधों को ही बाहर करने का इरादा था।

(95) विद्वान वकील ने इस बात पर जोर देकर अपने तर्क को कायम रखने की कोशिश की कि उप-धारा (2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा यदि इसमें कोई इरादा बताया गया है कि इसमें किरायेदार को बिक्री सौदे से पहले छूट देने की परिकल्पना की गई है। उप-धारा (2) के तहत, यहां तक कि उसमें उल्लिखित प्री-एम्प्टर्स की अनुपस्थिति में भी, इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती से बचने के लिए इस उप-धारा को पढ़ा जाना चाहिए। जो, अन्यथा, स्पष्ट रूप से तब उत्पन्न होता है जब इस तथ्य को ध्यान में रखा जाता है कि एक किरायेदार को एक महिला की स्व-अर्जित संपत्ति को पूर्व-खाली करने का अधिकार है, लेकिन वह एक महिला द्वारा अर्जित भूमि के संबंध में उसी अधिकार का प्रयोग करने से वंचित है। अपने पति या पिता के माध्यम से, यह तथ्य न्यायिक व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा द्वेषपूर्ण भेदभाव शुरू करने जैसा होगा। हालाँकि, मैं इस विवाद में कोई कारण या तर्क नहीं देख पा रहा हूँ।

(96) पूर्व-मुक्ति का अधिकार क़ानून का एक प्राणी है और कोई भी व्यक्ति जो इसका आनंद लेता है वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यह उसे प्रदान किया गया है

क़ानून द्वारा. यदि किसी व्यक्ति को किसी दी गई संपत्ति की पूर्व-खाली बिक्री का अधिकार दिया गया है, तो वह किसी अन्य दी गई संपत्ति की पूर्व-खाली बिक्री का हकदार नहीं हो सकता है, भले ही उस अधिकार का अधिकार न दिया गया हो। किसी दिए गए प्रावधान या मेरे क़ानून द्वारा उसे। मैं यह नहीं कह सकता कि जिस प्रावधान ने उन्हें उस अन्य संपत्ति के संबंध में पूर्व-मुक्ति के अधिकार का दावा करने से बाहर रखा था, वह अनुच्छेद 1-1 का उल्लंघन है, जिसमें उनके साथ भेदभाव किया गया था। एक बात और, भेदभाव तब पैदा होता है जब समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। यहां, विधायिका ने जो किया है वह यह है कि उसने भूमि को दो वर्गों में वर्गीकृत किया है, एक वर्ग में उसने सभी किरायेदारों को अधिकार दिया है और दूसरे में उसने सभी किरायेदारों को पूर्व-खाली के अधिकार का दावा करने से बाहर कर दिया है। निश्चित रूप से, भूमि के अन्य वर्ग के संबंध में, कोई भी किरायेदार यह नहीं कह सकता कि उसने उसके साथ भेदभाव किया है।

(97) 'और क्या, यदि इस तर्क को वैध मान लिया जाए, तो किस तर्क से यह कहा जा सकता है कि उपधारा (2) का प्रावधान - यदि इसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाए - असंवैधानिकता के दोष से ग्रस्त है। एनएडी ने किरायेदारों को उक्त उप-धारा (2) के अंतर्गत आने वाली बिक्री के संबंध में प्री-एम्प्शन के अधिकार का प्रयोग करने से बाहर रखा, भले ही उसके पास धारा 15(1)7 के तहत प्री-एम्प्शन का अधिकार हो, टीएनआई का प्रावधान उसी दोष से ग्रस्त क्यों नहीं होगा? असंवैधानिकता के कारण, क्योंकि इसने कुछ अन्य व्यक्तियों को भी बाहर कर दिया था, जिनके पास उप-धारा (1) के तहत पूर्व-मुक्ति का अधिकार था - एक ऐसा अधिकार जो प्राथमिकता के क्रम में उच्चतर होने के कारण मेरे किरायेदारों से बेहतर था, यदि उपधारा (2) के प्रावधान को असंवैधानिक रूप से बचाने के लिए उसे पढ़ने के उनके तर्क का सहारा लेना पड़ता है, तो स्थिरता और तर्क की मांग है कि ऐसा केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह अपनी वर्तमान स्थिति में है। उप-धारा (i) के तहत प्री-एम्प्टर के रूप में सूचीबद्ध व्यक्तियों में से एक, यानी किरायेदारों के खिलाफ भेदभाव करता है, लेकिन क्योंकि यह उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव करता है, जिन्हें अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत प्री-एम्प्टर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। , अधिक स्पष्ट रूप से इसलिए क्योंकि ऐसे अन्य पूर्व-खालीदारों को धारा 15(1) के तहत प्राथमिकता के क्रम में किरायेदारों से ऊपर रखा गया था।

(98) इसलिए, मेरी स्पष्ट राय है कि उप-धारा (1) के तहत प्री-एम्प्टर्स के रूप में सूचीबद्ध व्यक्तियों के बीच किसी संपत्ति की महिला द्वारा की गई बिक्री को प्री-एम्प्ट करने के उनके अधिकार की जांच करते समय ऐसा कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। वह उप-धारा (2) के तहत उल्लिखित स्रोतों के माध्यम से सफल हुई थी।

(99) तब श्री गोयल द्वारा यह तर्क दिया गया था कि चूंकि समाज के समाजवादी पैटर्न की शुरुआत हुई थी और भूमि की अवधारणा जोतने वालों की होनी चाहिए, क्योंकि उस पैटर्न की एक पहचान ने विधायिका को किरायेदारों की सूची में शामिल करने के लिए प्रेरित किया था। प्री-एम्प्टर, इसलिए किरायेदार-प्री-एम्प्टर संबंध-प्री-एम्प्टर से अलग एक श्रेणी में आता है और इसलिए, उप-धारा (2) को लागू करते समय विधायिका द्वारा किरायेदार के बहिष्कार पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस परिकल्पना पर खुद को आधारित करते हुए विद्वान वकील ने कहा कि उप-धारा (2) के दायरे से केवल रिलेशन-प्री-एम्प्टर्स का बहिष्कार माना जाना चाहिए, न कि किरायेदार का। इस तर्क की विशिष्टता को उजागर करने के लिए यह इंगित करने के अलावा और किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है कि यदि विशेष उत्साह ने ही "विधायिका को उप-धारा (1) के तहत पूर्व-खालीदारों में से

एक के रूप में शामिल करने में निर्देशित किया था, तो यह कैसे हुआ कि उन्होंने उसे रखा एक प्री -एम्प्टर एआईटी के रूप में। सूची का अंतिम छोर। यह इस बात पर प्रकाश डालने योग्य है कि जब किसी महिला की स्व-अर्जित भूमि या ऐसी भूमि को पूर्व-खाली करने की बात आती है, जिसे वह दोनों में से किसी से भी विरासत में प्राप्त किए बिना स्वामित्व में आई थी। उप-धारा (2) में उल्लिखित दो स्रोतों में किरायेदार को प्राथमिकता के क्रम में अंतिम स्थान पर रखा गया है, लेकिन हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि विधायिका के समाजवादी इरादे ने अचानक इतने अनुपात में उत्साह दर्ज किया कि जब उप अधिनियम बनाने की बात आई -धारा (2) में किरायेदार को न केवल संबंध-पूर्व-खाली करने वालों से ऊपर, बल्कि उप-धारा में उल्लिखित भूमि की बिक्री की पूर्व-खाली के संबंध में सह-हिस्सेदार के ऊपर भी रखा गया है। (2), उपधारा (2) में उल्लिखित प्री-एम्प्टर्स के प्री-एम्प्ट करने में विफलता की स्थिति में। यह ध्यान देने योग्य है कि बैंड टेन्योर्स एक्ट की सुरक्षा में, किरायेदारों के लिए चिंता सभी को स्पंदित करती है (इसके बावजूद, विधायिका ने इसकी धारा 17 को अधिनियमित करते समय, भूमि की बिक्री से पहले किरायेदार के अधिकार को कम नहीं किया) जिसे उन्होंने विक्रेताओं के समजातीय संबंधों की कुछ श्रेणियों से ऊपर रखा, जैसा कि धारा 17 से ही स्पष्ट होगा, जो निम्नलिखित शब्दों में है:

. "17. किसी भी कानून, प्रथा या अनुबंध में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, और धारा 18 के प्रावधान के अधीन, किसी अन्य भूमि-मालिक के किरायेदार (एक छोटे भूमि-स्वामी के अलावा);

(i) जो अपनी किरायेदारी में बेशकीमती भूमि पर भूमि की बिक्री की तारीख से चार साल से अधिक की अवधि के लिए लगातार कब्जा कर रहा है या "उस भूमि को छुड़ाने के अधिकार की फौजदारी कर रहा है या; या

(ii) बिक्री या फौजदारी के मामले में जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तीन साल की अवधि के भीतर हुई है या होगी और कोई किरायेदार नहीं है जिसने खंड (i) के तहत अधिकार हासिल किया है।

^जे * * * * *

(बी) * * * * *

विक्रेता के दादा-दादी के वंशजों को छोड़कर, पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 (1913 का अधिनियम 1) में दिए गए अनुसार अन्य प्री-एम्प्टर्स के अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए, प्री-एम्प्शन का हकदार बनाया जाएगा। भूमि मालिक के आरक्षित क्षेत्र में शामिल भूमि के अलावा अन्य भूमि की बिक्री या फौजदारी की तारीख से एक वर्ष के भीतर उस अधिनियम में निर्धारित तरीके से बिक्री या फौजदारी, जैसा भी मामला हो:

* ♦ * * * ♦
* * * ♦ ♦ ♦
* * * * * ♦

इसलिए, मेरा विचार है कि अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) और (2) की श्री गोयल द्वारा सुझाई गई व्याख्या तर्क और ब्रिस्टल के अनुरूप नहीं है। वही विसंगतियाँ, जैसा कि विश्लेषण करते समय पहले ही देखा और दिखाया जा चुका है, इस दृष्टिकोण की सत्यता

कि उप-धारा (2) में दी गई प्री-एम्प्टर्स की सूची संपूर्ण है, यानी, भले ही उप-धारा (2) के तहत कोई प्री-एम्प्टर्स का उल्लेख नहीं किया गया है। धारा (2) उपलब्ध है, फिर भी बिक्री नहीं हो सकी। उपधारा (1) में उल्लिखित पूर्व-खालीकर्ताओं द्वारा पूर्व-खाली किया जाना चाहिए।

(100) उपर्युक्त कारणों से, नकारात्मक में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते समय मेरा मानना है कि अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत सूचीबद्ध पूर्व-खालीकर्ताओं की ओर से किसी भी कारण से विफलता की स्थिति में, प्राथमिकता के क्रम में अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत सूचीबद्ध प्री-एम्प्टर्स [1], विक्रेताओं द्वारा की गई बिक्री और परिकल्पित संपत्ति के प्री-एम्प्शन का दावा करने का हकदार होगा। अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में।

(101) अपीलों को अब ऊपर दिए गए कानूनी प्रस्ताव के आलोक में निपटान के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।

एमआर शर्मा, जे.

(102) मुझे माननीय मुख्य न्यायाधीश और मेरे विद्वान भाई डीएस तेवतिया, जे. द्वारा तैयार किए गए निर्णयों को पढ़ने का लाभ मिला है। उन दोनों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, मैं डीएस तेवतिया, जे. द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत हूं कि पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 (यहां इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 15(2), किसी सह-हिस्सेदार और किरायेदार को प्री-एम्प्शन के अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोकती है। चूँकि प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस मामले पर कुछ विस्तार से विचार करने का प्रस्ताव करता हूँ।

(103) इस अधिनियम की धारा 15 में गलत विराम चिह्न, गलत विभाजन और अप्रसन्नतापूर्ण शब्द हैं। फिर भी, उप-धारा (2) के वर्तमान स्वरूप में आने से पहले, यह माना गया था कि एक सह-हिस्सेदार और एक किरायेदार को प्रति-भुगतान के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार था। यह देखने के लिए कि उपधारा (2) द्वारा क्या परिवर्तन लाया गया है, समग्र रूप से अनुभाग की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। उप-धारा (1) के तहत संपत्ति के निम्नलिखित वर्गों के विरुद्ध प्री-एम्प्शन का अधिकार उपलब्ध है: -

(I) पुरुष की संपत्ति, चाहे वह स्वअर्जित हो या पिता या माता की ओर से विरासत में मिली हो।

(II) किसी महिला की संपत्ति, चाहे वह स्वयं अर्जित हो, या अपने पति की ओर से या अपने माता-पिता की ओर से विरासत में मिली हो।

(III) किसी पुरुष या महिला की संपत्ति, जिसे वह दूसरों के साथ संयुक्त रूप से रखता हो।

पूर्व-मुक्ति के अधिकार के प्रयोग के प्रयोजन के लिए, अनुभाग में विशेष रूप से उल्लिखित उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता मिलती है, जिसके बाद सह- हिस्सेदार और किरायेदार आते हैं।

(104) फिर कॉर्निया उप-धारा (2) जो बताती है कि उप-धारा (1) में जो कहा गया है उसके बावजूद, उत्तराधिकारियों के एक अलग समूह को संपत्ति के संबंध में पूर्व-खाली के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार होगा। एक महिला को विरासत में मिला है। अधिक सटीक रूप से, यदि संपत्ति उसे अपने पिता की ओर से विरासत में मिली है, तो उसके

परिवार के वारिसों को पूर्व-मुक्ति का अधिकार होगा, और यदि उसे अपने पति के माध्यम से विरासत में मिली है, तो निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों को पति के परिवार को पूर्व-मुक्ति का अधिकार होगा।

(105) यहां तक कि अगर हम उप-धारा (2) द्वारा लाए गए परिवर्तन के बारे में एक आम आदमी से सवाल पूछते हैं, तो वह संकेत देगा कि यह उप- धारा केवल एक महिला द्वारा विरासत में मिली संपत्ति के संबंध में प्री-एम्प्शन के अधिकार को संशोधित करती है। मैं यह देखने में असफल हूं कि कानून के अनुशासन में सीखे और प्रशिक्षित व्यक्ति एक अलग निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि यह दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है कि उप-धारा (1) के तहत प्री-एम्प्शन का अधिकार उपलब्ध है। एक महिला की स्व-अर्जित संपत्ति के विरुद्ध एक सह-हिस्सेदार और एक किरायेदार। इस निष्कर्ष पर तभी पहुंचा जा सकता है जब दोनों उपधाराओं को एक साथ पढ़ा जाए और उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में संचालित किया जाए। यह आग्रह करना गलत होगा कि उप-धारा (2) अपने आप में पूरी तरह कायम रह सकती है। मैं पहली बार इस दृष्टिकोण की वकालत नहीं कर रहा हूं कि किसी अनुभाग के दो भागों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत मदनलाल फकीरचंद दुधेड़िया बनाम श्री चांगदेव शुगर मिल्स मामले में प्रामाणिक रूप से निर्धारित किया गया है। और अन्य (49)। जिसमें यह देखा गया-

> "दो उप-खंडों को एक अभिन्न अंग के भागों के रूप में और परस्पर-निर्भर होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए; यदि ऐसा करना उचित रूप से संभव हो तो उन्हें समझाने और प्रतिकूलता से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि प्रतिकूलता को टाला नहीं जा सकता है, तो यह प्रश्न उठ सकता है कि दोनों में से किसे प्रबल होना चाहिए। लेकिन यह प्रश्न तभी उठ सकता है जब प्रतिकूलता को टाला नहीं जा सकता।

(106) दो उप-वर्गों की यह व्याख्या नहीं की जा सकती कि वे अलग हो रहे हैं और वास्तव में ऐसा किसी महिला की स्व-अर्जित संपत्ति के लिए नहीं किया जा रहा है। उप-धारा (1) के तहत प्री-एम्प्शन का अधिकार सह-हिस्सेदार और किरायेदार में निहित किया जा रहा है। यदि विधायिका का इरादा किसी महिला द्वारा बेची गई संपत्ति के खिलाफ प्री-एम्प्शन का अधिकार छीनने का था, तो वह उप-धारा (2) में आसानी से प्रावधान कर सकती थी कि किसी भी अन्य मामले में बेची गई संपत्ति के खिलाफ प्री-एम्प्शन का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। एक महिला द्वारा. 'प्रतिरोध' से निपटने के दौरान, मैक्सवेल ने विधियों की व्याख्या, ग्यारहवें संस्करण , पृष्ठ 153 पर, निम्नलिखित शब्दों में विषय से निपटा है: -

> "एक लेखक को स्वयं के प्रति सुसंगत होना चाहिए, और, इसलिए, यदि एक स्थान पर उसने अपने मन की बात स्पष्ट रूप से व्यक्त की है, तो यह माना जाना चाहिए कि वह अभी भी उसी का है

(49)^.1.^1962 एस.सी.टी.1543. –

> वही मन दूसरी जगह, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से प्रकट न हो कि उसने इसे बदल दिया है। इस संबंध में, लेजिस लैचर के काम को किसी भी अन्य लेखक के समान ही माना जाता है, और प्रत्येक अधिनियम की भाषा को जहां तक संभव हो हर दूसरे क़ानून की शर्तों के अनुसार समझा जाना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है स्पष्ट शब्दों में संशोधित या अपील करें। इसलिए, कानून निर्माण द्वारा किसी क़ानून को रद्द करने या बदलने की अनुमति नहीं देगा, जब शब्द इसके बिना

उचित संचालन में सक्षम हो सकते हैं। यह नहीं माना जा सकता कि संसद ने एक हाथ से दिया है और दूसरे हाथ से छीन लिया है।"

(107) दोनों उप-अनुभागों में सामंजस्य स्थापित करने का एकमात्र तरीका यह है कि उप-धारा (2) को अपने स्वयं के क्षेत्र में संचालित किया जाना चाहिए जो वास्तव में उप-धारा (1) द्वारा कवर किए गए पूरे क्षेत्र का एक हिस्सा है। उपधारा (2) में "बावजूद" शब्द आने के बावजूद , यह वास्तव में परंतुक की प्रकृति में है। शब्द "बातजूद" से शुरू होने वाले एक वैधानिक प्रावधान को वास्तव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एलआर, (सुप्रा) द्वारा वड्डेबॉयिना तुला-सनुना और अन्य बनाम वड्डेबॉयिना शेषा रेड दी (मृत) मामले में एक प्रावधान के रूप में माना गया था। के समर्थकों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ विपरीत दृष्टिकोण, मेरा मानना है कि पृथी पाल सिंह और अन्य बनाम मिल्का सिंह और अन्य (50) में अल्पमत निर्णय में इस बिंदु पर मेरा निष्कर्ष सही है। उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मैंने निम्नलिखित अनुच्छेद पर भरोसा किया था राम नारायण संस लिमिटेड, और अन्य बनाम सहायक बिक्री कर आयुक्त और अन्य (51):

"यह व्याख्या का एक प्रमुख नियम है कि किसी क़ानून के किसी विशेष प्रावधान का प्रावधान केवल उस क्षेत्र को शामिल करता है जो मुख्य प्रावधान के अंतर्गत आता है। यह उस मुख्य प्रावधान के लिए एक अपवाद बनाता है जिसके लिए इसे लागू किया गया है - के रूप में कार्य किया जाता है एक परन्तुक और कोई अन्य नहीं।"

ऐसा करने के बाद, मैंने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:-

"अधिनियम की धारा 15(1) के तहत दिया गया पूर्व-मुक्ति का अधिकार विभिन्न प्रकार की संपत्तियों से संबंधित है जो एक मालिक द्वारा बेची जाती हैं। मालिक पुरुष या महिला हो सकता है। इस धारा की उप-धारा (2) आती है केवल संचालन में

(50) एआईआर 1976 पीबी7&"एच^वाई~1577~ ~

(51) एआईआर 1955 एससी 765।

जब संपत्ति की बिक्री किसी महिला द्वारा की जाती है। इसका अधिनियमन खंड के अन्य प्रावधानों को निरस्त करने या निरस्त करने या किसी भी तरह से संशोधित करने का प्रभाव नहीं है। इसका आवेदन केवल इसके द्वारा शासित उन मामलों तक ही सीमित होना चाहिए जिनके संबंध में क़ानून के सामान्य प्रावधान भी क्षेत्र को कवर करते हैं। यदि इन परीक्षणों को अधिनियम की धारा 15 के मामले में लागू किया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 15(2) केवल पूर्व-मुक्ति के अधिकार के मामले में एक अपवाद बनाती है।

महिला मालिकों द्वारा की गई बिक्री के संबंध में उद्धृत। अन्य सभी मामलों में, अधिनियम की धारा 15(1) अछूती है ।"

भले ही उप-धारा (2) को एक गैर-प्रमुख खंड के रूप में माना जाए, परिणाम कोई अलग नहीं होगा।

अश्विनी कुमार घोष और अन्य बनाम अरबिंद बोस और अन्य , (सुप्रा) में, यह निर्धारित किया गया था-

"किसी क़ानून के अधिनियमित भाग को, जहां यह स्पष्ट है, गैर-अस्थिर खंड को नियंत्रित करने के लिए लिया जाना चाहिए, जहां दोनों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता है; ऐसे खंड के अलावा भी, बाद का कानून पहले के कानूनों को निरस्त कर देता है जो स्पष्ट रूप से इसके साथ असंगत हैं। पोस्टीरियर लेग्स प्रीओरेस कॉन्ट्रारियास एब्रोगेंट (ब्रूम के लीगल मैक्सिम्स, संस्करण 10 पृष्ठ 347)। यहां धारा 2 सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक वकील को भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने का अधिकार देती है।

(108) क़ानून के सभी भागों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और उनकी उचित भूमिका पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। संक्षेप में, सामंजस्यपूर्ण निर्माण नियम है और निरसन निहितार्थ से अपवाद है।

(109) अजीब बात है कि, इस न्यायालय की दो पूर्ण पीठ के फैसलों में एक स्पष्ट गैर - अप्रत्याशित खंड को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था, जो सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (इसके बाद 'गुरुद्वारा अधिनियम* के रूप में संदर्भित) के तहत उत्पन्न हुआ था। गुरुद्वारा अधिनियम के तहत, सिख गुरुद्वारों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए एक विशेष मशीनरी प्रदान की गई थी। गुरुद्वारा अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत, गुरुद्वारे के 50 श्रद्धालु राज्य सरकार के समक्ष याचिका दायर करने के हकदार हैं, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गुरुद्वारा

उस धारा की उप-धारा (3) और (4) के तहत 'सिख गुरुद्वारा' घोषित किया जाए, राज्य सरकार ऐसी याचिका को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने और पंजीकृत डाक से दावे की सूचना भेजने के लिए बाध्य है। याचिका में नामित व्यक्ति और गुरुद्वारे में रुचि एड। गुरुद्वारे के अधिनियम की धारा 8 में कहा गया है कि किसी भी गुरुद्वारे के संबंध में धारा 7(3) के तहत नोटिस के प्रकाशन के बाद, कोई भी वंशानुगत कार्यालय-धारक या गुरुद्वारे के 20 या अधिक अनुयायी इसमें दावा करते हुए याचिका दायर कर सकते हैं। गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा नहीं है। गुरुद्वारा अधिनियम की धारा 16(1) इस प्रकार है:-

> धारा 16(1): लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि ट्रिब्यूनल के समक्ष किसी कार्यवाही में यह विवादित है कि किसी गुरुद्वारे को सिख गुरुद्वारा घोषित किया जाना चाहिए या नहीं, तो ट्रिब्यूनल पहले इसकी जांच करेगा । उक्त गुरुद्वारे से संबंधित किसी अन्य विवाद के मामले में, उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लें कि इसे सिख गुरुद्वारा घोषित किया जाना चाहिए या नहीं।'*

(110) सामान्य कानून के तहत, किसी मामले में उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्दों को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में मानने और उसमें उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों पर विचार करने से पहले, उस पर निर्णय देने का विवेक न्यायालय या न्यायाधिकरण में निहित होता है। हालाँकि, गुरुद्वारा अधिनियम में एक विशेष प्रावधान किया गया है कि जब भी किसी गुरुद्वारे की प्रकृति पर विवाद होगा, तो ट्रिब्यूनल पहले उस मुद्दे का फैसला करेगा। ये प्रावधान महंत हरि किशन बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर, आदि (52) मामले में विचार के लिए आए। उसमें यह माना गया था कि ट्रिब्यूनल यह मानने के लिए खुला था कि याचिकाकर्ता-महंत जिसने गुरुद्वारे की प्रकृति को चुनौती दी थी, उसके पास - याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वह वंशानुगत पद-धारक नहीं था और उसके द्वारा दायर याचिका इस बिंदु पर कोई निर्णय किए बिना खारिज किया जा सकता है कि विवाद में गुरुद्वारा एक सिख गुरुद्वारा था या नहीं, पूर्ण पीठ के लिए बोलते हुए, ढिल्लन, जे. ने निम्नानुसार कहा: -

> "अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान उस मामले में लागू नहीं होंगे जहां याचिका को ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के पास धारा 8 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसी याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है । अधिनियम। धारा 16 के प्रावधान

(52) आईएलआर (1975) द्वितीय पीबी। एवं एच. 569.

> यह तभी लागू होगा जब ट्रिब्यूनल के समक्ष किसी भी कार्यवाही में यह विवादित हो कि किसी गुरुद्वारे को सिख गुरुद्वारा घोषित किया जा सकता है या नहीं, लेकिन जहां संस्थान को सिख गुरुद्वारा घोषित किए जाने को चुनौती देने वाली कोई सक्षम याचिका नहीं है, अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान लागू नहीं होंगे । यदि प्रत्येक मामले में, धारा 8 के प्रावधानों के तहत इसे दायर करने के लिए सक्षम व्यक्तियों द्वारा याचिका दायर की गई है या नहीं, तो ट्रिब्यूनल को इस सवाल का फैसला करना होगा कि प्रश्न में संस्था एक सिख गुरुद्वारा है या नहीं, धाराओं के प्रावधान 8 और 9 [1] वस्तुतः बेकार हो जाएंगे । - लूयस स्टैंडी का मुद्दा एक प्रारंभिक मुद्दा है और यदि उठाया जाता है, तो पहले अधिनियम की विशिष्ट सेटिंग में निर्णय लिया जाना चाहिए यदि याचिकाकर्ता के पास याचिका दायर करने का अधिकार है, तो धारा 16 के प्रावधानों पर तब विचार किया जाएगा। ट्रिब्यूनल यह निर्धारित करने के लिए कि प्रश्न में संस्था एक सिख गुरुद्वारा है या नहीं, लेकिन यदि कोई सक्षम याचिका नहीं है, यानी,

Kalwa v. Vasakha Singh and another '
(M. R. Sharma, J.)

दूसरे शब्दों में, धारा 8 के ढांचे के भीतर धारा 7 के तहत जारी अधिसूचना को कोई वैध चुनौती नहीं है। , धारा 9 के प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य है और एक बार एक अधिसूचना जारी होने के बाद कि विचाराधीन संस्थान एक सिख गुरुद्वारा है, ऐसे मामले में धारा 16 के प्रावधानों को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं होगा।

उस मामले में महंत का अपने वंशानुगत पद-धारक होने का दावा किस प्रकार था, इस पर मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अस्वीकार कर दिया। हालाँकि, तथ्य यह है कि वह एक धार्मिक संप्रदाय से थे, जिसका गुरुद्वारे पर कब्ज़ा था, और बिना किसी निर्णय के उनसे गुरुद्वारा छीन लिया गया क्योंकि यह एक सिख गुरुद्वारा था। यह उस मामले का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें जिन अधिकारों का निर्धारण न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना था, उन पर विधानमंडल की मान्य आज्ञा के तहत फैसला सुनाया गया था।

(एचएल) इससे पहले महंत लछमन दास चेला महंत ईशर दास बनाम पंजाब राज्य और अन्य (53) मामले में, इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता के खिलाफ एक हमले को सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने खारिज कर दिया था।

(537 टीएल.आर, (1968)' 2. पीबी. एवं एच. 499।

यह न्यायालय. संविधान के अनुच्छेद 26(सी) और (डी) पर आधारित तर्क से निपटते समय, नरूला, जे. (तब विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) ने कहा था-

> "याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए अंतिम विवाद, यानी संविधान के अनुच्छेद 26 के कथित उल्लंघन के संबंध में , श्री गुप्ता द्वारा आधे-अधूरे मन से तर्क दिया गया कि अधिनियम गैर सिख संस्थानों, या उनकी संपत्ति को छीनने के लिए मशीनरी प्रदान करता है। जिन व्यक्तियों के कब्जे में वे हैं और उन्हें सिखों को सौंप दिया जाए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन मामलों में अनुच्छेद 26 के तहत कोई तर्क नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि इनमें से किसी भी याचिका में किसी संप्रदाय की ओर से या यहां तक कि उनकी ओर से कोई दावा नहीं किया गया है। उसका कोई अनुभाग. हालाँकि, यह मानते हुए कि तर्क के लिए लछमन दास याचिकाकर्ता उदासी भेख की ओर से इस न्यायालय में आए हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम किसी भी गैर-सिख संस्थान या उसकी संपत्ति से निपटने या छूने का इरादा नहीं रखता है। यह विवादित नहीं है और वास्तव में यह बार-बार माना गया है कि उदासी सिख नहीं हैं, हालांकि उदासी भी किसी एक प्रकार के अनुरूप नहीं हैं।'*

(112) इन टिप्पणियों का तात्पर्य यह है कि किसी महंत को गुरुद्वारे से अलग होने के लिए बुलाने से पहले, यह निष्कर्ष देना होगा कि गुरुद्वारा अधिनियम के अर्थ के तहत वह एक सिख गुरुद्वारा है। जब प्रतिमा की संवैधानिक वैधता के ख़िलाफ़ हमले को रद्द कर दिया गया तो यही रवैया अपनाया गया । हालाँकि, वास्तविक व्यवहार में, महंत हरि किशन के मामले (सुप्रा) में अपीलकर्ता को विवाद में गुरुद्वारा से वंचित कर दिया गया था, बिना यह पता लगाए कि उस मामले में गुरुद्वारा एक सिख गुरुद्वारा साबित हुआ था। दोनों मामलों में जो दृष्टिकोण अपनाया गया वह स्पष्टतः विरोधाभासी था । इस विरोधाभास को इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने देखा, जिसमें मैं पहली अपील (एफएओ संख्या 263, 1971) में सदस्य था और मामले को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया था। पाँच न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ का गठन किया गया और इस बार फिर से मुख्य निर्णय ढिल्लों, जे. द्वारा लिखा गया, जिन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ * गुरुद्वारा अधिनियम की धारा 16 के आधार पर तर्क को खारिज कर दिया।

"मैं अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों से सहमत होने में असमर्थ हूं, जहां तक प्रावधानों में गैर-विवादास्पद खंड के संबंध में तर्क का संबंध है

अधिनियम की धारा 16 में, यह देखा जा सकता है कि धारा 16 में निहित ' - किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद/जैसा कि धारा 16 में निहित है, शब्दों की व्याख्या करने की मांग की गई है , जिसका अर्थ यह है कि इस अधिनियम का कोई अन्य प्रावधान नहीं है। यहां तक कि इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, केवल अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए नहीं दिया जा सकता है। यह देखा जाएगा कि अधिनियम में गैर-अप्रत्याशित खंड अधिनियम के कई अन्य प्रावधानों में प्रदान किया गया है। जहां भी विधायिका चाहती थी कि अधिनियम के किसी विशेष प्रावधान को लागू करने में, अधिनियम के अन्य प्रावधानों को ही विचार से बाहर रखा जाना चाहिए, उस संबंध में अधिनियम की उक्त धाराओं के गैर-विषयक खंड में एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए, अधिनियम की धारा 38 में, यह निम्नानुसार प्रदान किया गया है: -

38(1): इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम या लागू अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद .....।

इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 127-ए में भी इसी भाषा का उपयोग किया गया है, जहां यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि तत्समय लागू किसी अन्य कानून या इस अधिनियम आदि में किसी भी बात के बावजूद, धारा में गैर-अप्रत्याशित खंड को अधिनियमित करते समय 16, विधायिका ने अधिनियम के अन्य प्रावधानों के आवेदन को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया । इस स्थिति का सामना करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि गैर। अधिनियम की धारा 16 में अनिवार्य खंड आदेश 14 के प्रावधानों के आवेदन को रोक देगा। नागरिक प्रक्रिया संहिता के नियम 2 और 3 और, इसलिए, लोकस स्टैंडी के संबंध में मुद्दे के निर्णय के प्रश्न को तय करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधिकरण. यह तर्क फिर से बिना किसी योग्यता के है। ऐसा आदेश 14 के प्रावधानों के कारण नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 2 और 3 के कारण न्यायाधिकरण को लोकस स्टैंडी के मुद्दे पर निर्णय लेने का आदेश दिया गया है, बल्कि यह धारा 8 के अनिवार्य प्रावधानों के कारण है। अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार ऐसा मुद्दा, जिसे विधानमंडल ने ट्रिब्यूनल के निर्धारण के लिए डिज़ाइन किया है, का निर्णय ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाना है। यह विवादित नहीं है कि यह अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, इसके प्रावधान जहां तक हैं

सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं, प्रबल होना होगा। ऐसा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (11) के प्रावधानों के कारण है। इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि अधिनियम की धारा 16 में गैर-प्रमुख खंड के संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क बिना किसी योग्यता के है।

(113) बहुमत से यह माना गया कि दो पूर्ण पीठ के निर्णयों के बीच कोई विरोधाभास नहीं था। एससी मितल, जे., जिन्होंने अल्पमत निर्णय सुनाया, ने निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया:-

"महंत टहल दास को यह साबित करने का अधिकार नहीं देने से कि संस्था एक सिख गुरुद्वारा नहीं है, ट्रिब्यूनल के फैसले का परिणाम यह है कि टहल दास को उनके महंत पद से वंचित कर दिया गया है और संबंधित धार्मिक संप्रदाय को निहित कर दिया गया है।" सिख गुरुद्वारों के प्रशासन के लिए अधिनियम के भाग III द्वारा बनाई गई संस्था में। इस प्रकार, श्री एचएल सिब्बल का यह तर्क कि अधिनियम की धारा 8 धार्मिक संप्रदाय के वंशानुगत कार्यालय धारक के माध्यम से खुद को बचाने के अधिकार को प्रतिबंधित करती है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2(4) (iv) में परिभाषित है, अनुच्छेद 26(घ) संविधान का, दृढ़ विश्वास है।

(114) प्रतिवादी की ओर से अपनाए गए कठोर रुख को देखते हुए विद्वान न्यायाधीश के पास अन्यथा कोई विकल्प नहीं था।

जैसा कि मैंने पहले कहा था, यदि बहुमत के दृष्टिकोण को प्रबल होने दिया जाता है, तो संस्था की प्रकृति का कोई न्यायिक निर्धारण किए बिना विधायिका के कथित आदेश के तहत एक महंत को उसके गुरुद्वारे से वंचित किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण श्रीमती में निर्धारित कानून के शासन के विपरीत है । इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण (54), जिसने संविधान के अनुच्छेद 329-ए के खंड (4) को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह एक चुनावी विवाद का निपटारा करने वाला विधायी निर्णय था। मैथ्यू, जे., ने देखा-

"चर्चा के परिणाम को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है: हमारा संविधान, अनुच्छेद 329 (बी) द्वारा ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत याचिका के आधार पर और उपयुक्त विधायिका के तरीके से एक चुनावी विवाद के समाधान की कल्पना करता है। कानून द्वारा, प्रदान कर सकता है। की प्रकृति

(MFAJ.R 1975 SC 2299.

चुनाव याचिका में उठाया गया विवाद ऐसा है कि इसे न्यायिक प्रक्रिया के अलावा, चुनाव से संबंधित तथ्यों का पता लगाने और पहले से मौजूद कानून को लागू करने के अलावा हल नहीं किया जा सकता है; जब संशोधन निकाय ने माना कि अपीलकर्ता का चुनाव वैध था, तो वह न्यायिक प्रक्रिया द्वारा तथ्यों का पता लगाने और कानून लागू करने के अलावा ऐसा नहीं कर सकता था। इस प्रक्रिया का परिणाम संवैधानिक कानून का अधिनियमन नहीं बल्कि एक निर्णय या सजा का पारित होना होगा। . संशोधन करने वाली संस्था के पास न्यायिक

शक्ति होने के बावजूद, उसे इसका प्रयोग करने की कोई ताकत नहीं थी, जब तक कि वह ऐसा करने के लिए सक्षम करने वाला कोई संवैधानिक कानून पारित नहीं कर देती। हालाँकि, यदि अपीलकर्ता के चुनाव को वैध ठहराने के लिए संशोधन निकाय का निर्णय एक गैर-जिम्मेदार निरंकुश विवेक के प्रयोग का परिणाम था, जिसे वह पूरी तरह से राजनीतिक आवश्यकता या समीचीनता से नियंत्रित करता था, तो, प्राप्तकर्ता के बिल की तरह, यह था किसी विशेष चुनाव विवाद का निपटारा करने वाला विधायी निर्णय , न कि किसी कानून का अधिनियमन जिसके परिणामस्वरूप संविधान में संशोधन होता है। और, भले ही बाद की प्रक्रिया (निरंकुश विवेक का प्रयोग) को संविधान में संशोधन के रूप में माना जा सकता है, यह संशोधन संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्र की एक आवश्यक विशेषता को नुकसान पहुंचाएगा या नष्ट कर देगा, अर्थात् चुनाव विवाद का समाधान। एक प्राधिकारी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करके न्यायिक तथ्यों का पता लगाता है और लोगों के वास्तविक प्रतिनिधि का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक कानून लागू करता है। संशोधन निकाय के निर्णय को इन कारणों से चुनाव के संवैधानिक विधायी सत्यापन में एक अभ्यास के रूप में नहीं माना जा सकता है: सबसे पहले, जब न्यायिक तथ्यों के संबंध में पार्टियों के बीच विवाद होता है तो चुनाव का कोई विधायी सत्यापन नहीं हो सकता है; संशोधन करने वाला निकाय विधायी प्रक्रिया अपनाकर इन तथ्यों को एकत्र नहीं कर सकता है; उन्हें केवल न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ही एकत्र किया जा सकता है। दूसरे, संशोधन करने वाली संस्था को कानून को पूर्वव्यापी रूप से बदलना होगा ताकि चुनाव को वैध बनाया जा सके, यदि चुनाव के समय वास्तव में मौजूद कानून के किसी प्रावधान के आधार पर चुनाव वैध हो गया था। अनुच्छेद 368 संशोधन करने वाली संस्था को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ या उसके बिना किसी भी सामान्य कानून को पारित करने की क्षमता प्रदान नहीं करता है। धारा

(4) प्रश्नगत चुनाव में चुनाव याचिका से संबंधित सभी कानूनों के संचालन को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। इसलिए, चुनाव को उस कानून में बदलाव करके वैध नहीं माना गया जिसने इसे अमान्य बना दिया। तीसरा, अपीलकर्ता के लिए उद्धृत मामले अवैध चुनावों की विधायी मान्यता या पूर्वव्यापी प्रभाव से अयोग्यता को हटाने से संबंधित मामले हैं, विधायी मान्यता के मामले होने के कारण , या विधायिका द्वारा अयोग्यता को हटाने के मामले, वे के आधार पर परीक्षण के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। बुनियादी संरचना का सिद्धांत, जो, मुझे लगता है, केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। चौथा, उन मामलों में निर्णयात्मक तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं था; यदि इन तथ्यों के संबंध में कोई विवाद था, तो यह बहुत संदेहास्पद है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया द्वारा न्यायिक तथ्यों को सुनिश्चित किए बिना केवल कानून में बदलाव करके चुनाव की विधायी मान्यता हो सकती है।

(115) उपरोक्त दो मामलों का फैसला करने वाले विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, यह देखा जा सकता है कि उनके द्वारा गुरुद्वारे की धारा 16 और 8 को अधिनियम के रूप में समकालिक करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था, इन दोनों धाराओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आसानी से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। गुरुद्वारे का निर्णय *डब्ल्यू मुद्दे में प्रारंभिक तौर पर किया जाना चाहिए। न ही गुरुद्वारा अधिनियम की धारा 16 में प्रयुक्त स्पष्ट भाषा के प्रभाव को कम करने का कोई औचित्य था। उनके द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है और मैं इसे खारिज करता हूं। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि धरम दास आदि बनाम पंजाब राज्य और

अन्य *(सुप्रा)* मामले में, गुरुद्वारा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, लेकिन उसमें की गई टिप्पणियां इसके विपरीत हैं। - जो श्रीमती में बने हैं। इंदिरा नेहरू गांधी का मामला (सुप्रा), एक बड़ी पीठ द्वारा तय किया गया।

(116) एक तर्क उठाया गया है कि प्री-एम्प्शन का अधिकार एक समुद्री अधिकार की प्रकृति में है और इस कारण से अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से समझा जाना चाहिए। अपनी स्थापना में प्री-एम्प्शन के कानून का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय की एकरूपता को संरक्षित करना था। यह अधिकार मूल रूप से केवल करीबी रिश्तेदारों को प्रदान किया गया था और चूंकि इसने भूमि के मालिक द्वारा भूमि के स्वतंत्र हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था , समय बीतने के साथ अदालतों ने इस अधिकार के प्रयोग को नापसंदगी की दृष्टि से देखा, चीजें भौतिक रूप से बदल गई हैं। संविधान ने एक सामाजिक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है

नागरिक न्याय पाने के हकदार हैं - सामाजिक और आर्थिक। इस नीति के अनुसरण में, भारत के लगभग सभी राज्यों में भूमि सुधार लागू किये गये हैं। कुछ मामलों में किरायेदारों को मालिकाना अधिकार प्रदान किया गया है और अन्य में किरायेदारों के लिए जमीन खरीदना अधिक सुविधाजनक बना दिया गया है। भूमि सुधारों का उद्देश्य यह है कि भूमि जोतने वाले काश्तकार अपने श्रम का प्रतिफल प्राप्त करने में सक्षम हों। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जो जमींदार अपनी जमीन पर काश्तकारों से खेती करवाता है, उसे एक तरह से उस जमीन से कुछ लाभ मिलता है जो वह वास्तव में नहीं कमाता है। जब किरायेदार को पूर्व-भुगतान का अधिकार प्रदान किया जाता है, तो यह वास्तव में मकान मालिक को इस अनर्जित ब्याज को इकट्ठा करने से रोकने में मदद करता है। ऐसा अधिकार मूलतः एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है और इसे समुद्री अधिकार नहीं माना जा सकता। इसी तरह, जब प्री-एम्प्शन का अधिकार एक सह-हिस्सेदार में निहित होता है, तो उसके द्वारा इस अधिकार का प्रयोग होल्डिंग्स को मजबूत करने के लिए जाता है और उसी आधार पर सराहना का पात्र होता है।

(117) इस प्रस्ताव के लिए कुछ संदेह व्यक्त किए गए हैं कि यदि उप-धारा (2) की व्याख्या किरायेदार या सह-हिस्सेदार में निहित पूर्व-खाली के अधिकार को नकारात्मक करने के लिए की जाती है, तो व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 14 की भावना का उल्लंघन करेगी। पृथी पाल सिंह के मामले *(सुप्रा)* में इस बिंदु से निपटने के दौरान , मैंने निम्नानुसार देखा था: -

> "यदि अधिनियम की धारा 15(1) और (15)(2) को अलग-अलग संहिता के रूप में माना जाता है, तो, जाहिर है, अधिनियम की धारा 15(1) को किसी की स्व-अर्जित संपत्ति तक ही सीमित रखना होगा महिला। ऐसी संपत्ति के मामले में, किरायेदार और सह-हिस्सेदार को निस्संदेह पूर्व-भुगतान का अधिकार होगा। - दूसरी ओर, यदि अधिनियम की धारा 15(2) को लागू माना जाता है किसी महिला द्वारा अपने पति या स्वयं के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति
> सेकंड में उल्लिखित व्यक्ति
> 15 (2) (बी) के पास प्री-एम्प्शन का कोई अधिकार होगा । उस स्थिति में, किरायेदार और सह-हिस्सेदार को इस समझौते के अभ्यास से बाहर करना होगा। यह पहले ही देखा जा चुका है कि हाल के दिनों में किरायेदारों की भूमि

के संबंध में किरायेदारों के अधिकारों को बढ़ाने और बढ़ाने की प्रवृत्ति रही है। यदि भूमि की बिक्री किसी किरायेदार को की जाती है, तो भूमि-स्वामी के पुत्र और अन्य निकट संबंधियों को भी

ऐसी बिक्री के संबंध में पूर्व-भुगतान के किसी भी अधिकार का प्रयोग करने से रोक दिया जाएगा । पेप्सू किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1955 की धारा 8-ए और पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 17-ए को ध्यान में रखते हुए, यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि विधानमंडल जिसने इसे लागू करने का स्पष्ट इरादा प्रकट किया था। समाज के समाजवादी पैटर्न में किरायेदारों के अधिकारों को ऊंचे स्थान पर रखने से किरायेदारों को एक महिला द्वारा अपने पति या अपने पिता के माध्यम से अर्जित संपत्ति के संबंध में पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, अन्यथा धारण करने के लिए. न्यायिक व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा घृणित भेदभाव का एक तत्व पेश करना होगा। यदि किरायेदार को किसी महिला की स्व-अर्जित संपत्ति को पूर्व-खाली करने का अधिकार है, तो यह तर्कसंगत नहीं है कि उसे अपने पति या पत्नी के माध्यम से अर्जित भूमि के संबंध में उसी अधिकार का प्रयोग करने से क्यों रोका जाए । पिता। पीड़ित किरायेदार तुरंत यह दलील लेकर आगे आएगा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानूनों के संबंध में वर्गीकरण करना विधानमंडल के लिए खुला है, लेकिन उचित होने के अलावा वर्गीकरण का विधानमंडल द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ संबंध होना चाहिए। जहां तक किरायेदारों का सवाल है, विधायिका ने उनके अधिकारों में सुधार के लिए यथासंभव स्पष्ट शर्तों पर अपना इरादा प्रकट किया था। यह मान लेना पूरी तरह से अनुचित होगा कि विधानमंडल एक महिला द्वारा अपने पति के माध्यम से अर्जित संपत्ति के संबंध में अलग-अलग विचार रखती है। उसके पिता। यदि पूर्व-खाली भूमि पर सह-हिस्सेदार के अधिकार की रक्षा इस आधार पर की जानी है कि यह जोत के विखंडन को रोकता है, तो विधानमंडल इस विचार को नजरअंदाज नहीं कर सकता था यदि बिक्री एक महिला द्वारा अपने पति से विरासत में मिली भूमि द्वारा की गई थी। या उसके पिता से।

(118) अब भी मेरी यही राय है. मामले को और अधिक विस्तृत करने के लिए, मैं यह देखना चाहूंगा कि किरायेदार के मामले में वर्गीकरण का आधार जोतने वाले के रूप में भूमि के साथ उसका संबंध है। यदि वह किसी महिला के लिए स्व-अर्जित भूमि या किसी से विरासत में मिली भूमि पर खेती करता है, तो यह रिश्ता अलग नहीं होता है। अगर भूमि अधिग्रहण के स्रोत के आधार पर भेदभाव किया जाता है, इसका वर्गीकरण की वस्तु से कोई संबंध नहीं होगा। कुछ चीजें जो विधानमंडल संविधान के अनुच्छेद 14 के निषेध के कारण नहीं कर सकता, उसे न्यायालय को व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा शुरू नहीं करना चाहिए। एक किरायेदार के बारे में जो सच है वह सह-हिस्सेदार के बारे में भी उतना ही सच है, जिसके मामले में वर्गीकरण का आधार भूमि का संयुक्त स्वामित्व है।

(119) यह तर्क दिया जाता है कि प्री-एम्प्शन का अधिकार क़ानून का प्राणी है और विधानमंडल किसी महिला द्वारा विरासत में मिली संपत्ति के संबंध में इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए किरायेदारों और सह-हिस्सेदारों को बाहर करने के लिए खुला है। यह तर्क (मामले को अत्यधिक सरल बनाने की ओर प्रवृत्त होता है। भेदभाव के प्रश्न पर विचार तभी उठता है जब विधानमंडल कार्रवाई करता है। यदि किसी विशेष विषय पर कोई

कानून पारित नहीं होता है, तो कोई भी भेदभाव की शिकायत नहीं कर सकता है। हालाँकि, जब कोई कानून पारित हो जाने पर, विभिन्न क्षेत्रों में इसका अनुप्रयोग जांच का विषय बन जाता है। यदि ऐसी जांच से पता चलता है कि कानून विभिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करता है, तो अंतर व्यवहार के आधार का विश्लेषण किया जाता है। यदि इसकी उस वस्तु के साथ कुछ प्रासंगिकता है जो (विधानमंडल ने कानून पारित करते समय यह ध्यान में रखा था कि विभेदात्मक व्यवहार या पेश किए गए वर्गीकरण को वैध घोषित किया जाता है। दूसरी ओर, यदि वर्गीकरण का विधानमंडल के उद्देश्य के साथ कोई उचित संबंध नहीं है, तो कानून को उल्लंघन माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार। इसमें विधानमंडल ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है क्योंकि अधिनियमित खंड के तहत किरायेदारों को पूर्व-खाली का अधिकार प्रदान किया गया है। ऐसा करने में विधानमंडल का निस्संदेह उद्देश्य भूमि को जोतने वाला बनाना था। इसके मालिक। वर्गीकरण, यदि कोई हो, केवल इस वस्तु के आधार पर ही किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विधानमंडल यह कह सकता था कि हाल के किरायेदारों के मुकाबले कई वर्षों से भूमि पर खेती करने वाले किरायेदारों को ही पूर्व-खाली का अधिकार होगा। अथवा, संभवतः यह कहा जा सकता था कि केवल अनुसूचित जाति के किरायेदार ही इस अधिकार का प्रयोग करेंगे। इन दो मामलों में, यह कहा जा सकता था कि किरायेदारी की उम्र के आधार पर या लाभ प्राप्तकर्ता के जीवन में विशिष्ट स्थिति के आधार पर वर्गीकरण वैध था। लेकिन यदि यह अधिकार सभी किरायेदारों को अधिनियमित खंड के तहत किसी भी आरक्षण के बिना प्रदान किया जाता है, तो स्वामित्व अधिकारों के अधिग्रहण के स्रोत के आधार पर प्रावधान या गैर-विषयक खंड के तहत इस अधिकार से इनकार करना पूरी तरह से अपमानजनक होगा। उस स्थिति में, प्रभावित किरायेदार आग्रह कर सकता है
कि जिस वर्गीकरण के आधार पर उसे बाहर किया जा रहा है उसका उस उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है जो विधानमंडल के मन में था। फिर, वर्गीकरण पर आधारित तर्क पर विचार करते समय किरायेदारों और उत्तराधिकारियों के मामलों को आपस में मिलाना अनुचित होगा। रिश्ते पूरी तरह से अलग श्रेणी के हैं और उनके मामले में विधायिका इस आधार पर वर्गीकरण करने के अपने अधिकार के तहत कार्य करेगी कि प्री-एम्प्शन का अधिकार उस परिवार के सदस्यों में निहित होना चाहिए जिससे संपत्ति आई है। .

(120) विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने पहले के दृष्टिकोण की पुष्टि के लिए घूरकर निर्णय लेने के सिद्धांत का सहारा लिया है। उनके प्रति अत्यंत सम्मान के साथ। मैं यह देखना चाहूंगा कि जहां किसी क़ानून की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 14 के अक्षरशः और भावना का उल्लंघन करती है , तो यह न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह पुनर्विचार करे और पहले के दृष्टिकोण को सही करे। इस कारण से और इस बिंदु पर डीएस तेवतिया, जे द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए, मेरा मानना है कि इस मामले में घूरने के निर्णय के सिद्धांत को लागू करना उचित नहीं होगा।

उपरोक्त कारणों से, मेरे निष्कर्ष हैं:-

(1) अधिनियम की धारा 15 को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

(2) उचित व्याख्या पर, इस धारा की उप-धारा (2) किसी सह-हिस्सेदार या किरायेदार को किसी महिला द्वारा विरासत में मिली संपत्ति के संबंध में पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोकती है।

(3) उपधारा (2) उपधारा (1) के परंतुक की प्रकृति में है और इसकी व्याख्या उपधारा (1) के प्रभाव को नष्ट करने के लिए नहीं की जा सकती।

(4) यदि सह-शेयरों और किरायेदारों को उप-धारा (2) पर विपरीत व्याख्या करके

प्री-एम्प्शन के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वह व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 14 की भावना का उल्लंघन करेगी।

(5) इस मामले की परिस्थितियों में घूरने के निर्णय के सिद्धांत के पीछे आश्रय लेना पूरी तरह से अनुचित होगा।

प्रेम चंद जैन, जे.

(121) मैंने विद्वान मुख्य न्यायाधीश, भाई तेवतिया, जे., और भाई एमआर शर्मा, जे. के निर्णयों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मैं अपने प्रभु मुख्य न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत हूं।

कलवा बनाम वसाखा सिंह और अन्य

एससी मितल, जे.

(122) मैंने माई लॉर्ड्स, मुख्य न्यायाधीश, तेवतिया, जे., और शर्मा, जे. के फैसले को पढ़ा है।

(123) पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट की धारा 15 की उप-धारा (2) में गैर-अस्थिर खंड की व्याख्या करने के लिए, शर्मा, जे., टी के लिए अत्यंत सम्मान के साथ, गैर-अप्रत्याशित से एक सादृश्य निकालना अत्यधिक कठिन है। सिख गुरुद्वारा अधिनियम के प्रावधानों में खंड।

(124) मैं अपने प्रभु मुख्य न्यायाधीश से सहमत हूं।

आरएन मित्तल, जे.

(125) मैंने मुख्य न्यायाधीश, तेवतिया, जे., और शर्मा, जे. के निर्णयों का अध्ययन किया है। मैं मुख्य न्यायाधीश से सहमत हूं।

एएस बैंस, जे.

मैं भी मुख्य न्यायाधीश से सहमत हूं.

न्यायालय का आदेश

(126) बहुमत के विचार के अनुसार, 1969 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 67 *(कलवा बनाम वसाखा सिंह और अन्य)* को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

(127) आगे यह निर्देश दिया गया है कि शेष अपीलों को अब "उनमें दिए गए कानूनी सवालों के जवाब" के अनुसार निपटान के लिए एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।

एसएस संधावालिया, सीजे
प्रेम चंद जैन, जे.
एससी मितल, जे.
डीएस तेवतिया, जे.

Kalwa v. Vasakha Singh and another '
(M. R. Sharma, J.)

एमआर शर्मा, जे.
आरएन मित्तल, जे.
एएस बैंस, जे.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी , हरियाणा